


07239



9310

भंडारों की प्राप्ति व वस्तुसूची प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा परमाणु ऊर्जा विभाग



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार, वैज्ञानिक विभाग
2010-11 की संख्या 13 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

2010

Presented to Lok Sabha on.....
Presented to Rajya Sabha on.....

भंडारों की प्राप्ति व वस्तुसूची प्रबंधन
की निष्पादन लेखापरीक्षा
परमाणु ऊर्जा विभाग

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार, वैज्ञानिक विभाग
2010–11 की संख्या 13 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

1000
1000
1000



अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	iv
कार्यकारी सारांश	v
अध्याय 1 – परिचय	1
पृष्ठभूमि	1
संस्थागत संरचना	1
डी. ए. ई. में प्राप्त चक्र	2
बजट और व्यय	3
अध्याय 2 – लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	5
हमारा विस्तार	5
हमने इस मुद्दे की जांच क्यों की	5
परीक्षण के लिए हमारे मुख्य उद्देश्य	5
परीक्षण के लिये हमारे विस्तृत उद्देश्य	6
हमारी लेखापरीक्षा के मापदंड	6
हमारी लेखापरीक्षा की विधि और नमूने की कार्यप्रणाली	6
अभिस्वीकृति	7
अध्याय 3 – खरीद और स्टोर के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण	8
कम्प्यूटरीकरण / आवश्यकता के कार्यक्षेत्र का विश्लेषण	8
प्रणाली विकास जीवन चक्र	8
एम आई एस रिपोर्ट की अनुपस्थिति	9
खरीद, भंडार और लेख कार्य के बीच डेटाबेस का एकीकरण	10
खरीद एवं भंडार निदेशालय तथा क्षेत्रीय खरीद ईकाईयों के बीच केंद्रित कम्प्यूटरीकरण	10
कम्प्यूटरीकरण डेटा में होनेवाली गलतियाँ	10
लेखों का कम्प्यूटरीकरण	12
भंडारों का कम्प्यूटरीकरण	12
मांगकर्ता और स्टोर विभाग के बीच ऑनलाईन कनेक्टीविटी	12
ई-प्राप्ती	13
डी ए ई की इकाईयों से संबंधित भंडार विभागों के बीच ऑनलाईन कनेक्टीविटी	13
निष्कर्ष	13
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	14



अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 4 – प्राप्तियों की समयावधि	15
प्राप्ती हेतु समयावधि	15
खरीद आदेश का नियोजन	16
निष्कर्ष	18
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	18
अध्याय 5 – प्राप्ती के लिये नियोजन	19
प्राप्ती चक्र में होने वाली आवश्यकतायों की प्राथमिकता	19
लागत का अनुमान	20
वार्षिक प्राप्ती योजना	21
मांगपत्रों का इकट्ठा न किये जाना	21
निष्कर्ष	23
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	23
अध्याय 6 – निविदा प्रक्रिया और संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं वस्तुनिष्ठता	25
निविदाओं के सर्वसामान्य मार्गों का वितरण	25
एकल निविदा पर आधारित आदेश	26
सीमित निविदा पर आधारित आदेश	28
क्रय आदेशों का विभाजन	29
पुनरादेश	30
आदेश नियोजन के नियमों का उल्लंघन	30
निष्कर्ष	31
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	31
अध्याय 7 – संविदा प्रबंधन	33
क्रय आदेश भौतिक नहीं हुए	33
असमायोजित अग्रिम भुगतान	34
वितरकों को व्याजरहित अग्रिम अदायगी	34
परिनिर्धारित क्षतियाँ	35
कार्यों के निष्पादन का अनुवीक्षण	38
सम्मिलित एजेंसियों के बीच कार्य के कार्यान्वयन में समन्वय	39
अनुबंध के निष्पादन के पूरा होने से पहले अदायगी	40
निष्कर्ष	41
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	41
अध्याय 8 – संविदा के पश्चात प्रबंधन	43
स्टोर प्राप्ति वाउचर की मंजूरी	43



	पृष्ठ संख्या
उपस्कर की स्थापना/चालू करने में देरी	43
उपकरणों की स्थापना/चालू ना होना	44
निष्कर्ष	50
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	50
अध्याय 9—वस्तुसूची प्रबंधन	52
मदों की निष्क्रिय स्टॉकिंग	52
वार्षिक समीक्षा	55
अधिशेष मदों की घोषणा	56
स्टॉक जाँच रिपोर्ट	57
निष्कर्ष	58
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	58
अध्याय 10 – क्रय और भंडार प्रक्रिया	60
खरीद प्रक्रिया का अद्यतन	60
खरीद प्रक्रिया में समयावधि	60
अग्रिम राशि की अदायगी	60
अदायगी के स्तर तय करने हेतु प्रक्रिया	61
विदेशी वितरकों को भुगतान करना	62
भंडारण प्रक्रिया में समयावधि	63
सामान्य तौर पर उपयोग में मदों की पहचान में कमी	64
निष्कर्ष	64
हमारी अनुशंसाएं और डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही	64
अध्याय 11 – निष्कर्ष	66
परिशिष्ट	68
परिशिष्ट I – पी ओ में देरी के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ	68
परिशिष्ट II – लम्बे समय तक व्याज रहित आग्रिम रखने के कारण व्याज की हानि	71
परिशिष्ट III ए – डीपीएस और इसके आरपीयू के द्वारा अतिरिक्त कर भुगतान के लेखों पर अतिरिक्त व्यय	77
परिशिष्ट III बी – पीओ के अन्य शर्तों के उल्लंघन के कारण गैर अनुमेय भुगतान	79
परिशिष्ट IV ए – 2002–03 से 2007–08 के दौरान स्टोर वाउचर प्राप्ति की निकासी में देरी	82
परिशिष्ट IV बी – 2002–03 से 2007–08 के दौरान स्टोर वाउचर प्राप्ति की निकासी में देरी	83
परिशिष्ट IV सी – उपकरणों की स्थापना / चालू करने में देरी	84
परिशिष्ट IV डी – मशीनरी और उपकरण की स्थापना ना होना	85
परिशिष्ट V – कार्य-स्थल तैयार न होने के कारण मशीनरी/उपकरणों की अस्थापना/चालू न किया जाना	86
परिशिष्ट VI – दोषपूर्ण/कम आपूर्ति के कारण 18 से 51 माह तक उपस्करों की प्रतिस्थापना होना/उपयोग में न लाया जाना	90
परिशिष्ट VII – स्टॉक की सामग्रियों का बेकार पड़े रहना	92




प्रस्तावना

मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग में भंडारों की प्राप्ति व वस्तुसूची प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा समिलित है, को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन जून 2008 से मई 2009 के बीच परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाईयों में फाइलों, भुगतान फोल्डरों और स्टोर के रिकॉर्डों की नमूना जाँच द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

इस रिपोर्ट में हमारी लेखापरीक्षा के परिणाम, अनुशंसाएँ तथा हमारी अनुशंसाओं पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया समिलित है।





कार्यकारी सारांश

हमने इस विषय की जाँच करने का फैसला क्यों किया?

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के कार्यक्रमों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का ऊर्जा निर्माण, विकिरण प्रौद्योगिकी तथा कृषि, औषधि, उद्योग और संशोधन क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का आचरण करना है। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, डी.ए.ई. ने आवश्यक उपकरणों/सामग्री की प्राप्ती का कार्य हाथ में लिया। वर्ष दर वर्ष डी.ए.ई. के प्राप्त किये जाने वाले खर्चों में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई। प्राप्ती गतिविधियों और सामग्री प्रबंधन पर सक्षम और प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक था। हमने 1993 में डी.ए.ई. की लेखापरीक्षा समीक्षा की थी, जिसमें प्राप्ती और भण्डारण पद्धतीयों में भारी मात्रा में कमी को दर्शाया गया। प्राप्तियों की दक्षता डी.ए.ई. की वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली की विवेचनात्मकता के मद्देनजर परियोजना प्रबंधन गतिविधियों पर इसके प्रभावों पर परमाणु ऊर्जा विभाग में 'भण्डारों की प्राप्ति व वस्तुसूची प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु प्रोत्साहित किया।

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा से क्या उद्घाटित हुआ?

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 2002–03 से 2008–09 की अवधि के खरीद एवं भंडरण विदेशालय तथा इसकी क्षेत्रीय ईकाईयों द्वारा रु. 3266.38 करोड़ को प्राप्तियों की समीक्षा की थी। हमने डी.ए.ई. में खरीद एवं भंडारण की पर्याप्तता तथा क्या यह सामान्य वित्तीय नियमों के विस्तृत सिद्धांतों के हैं, की जांच की भी हमारे निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या प्राप्ती प्रणाली की दक्षता ठीक है, क्या प्राप्तियों प्रतियोगी, पारदर्शी थे, तथा संविदा उपरांत वास्तुसूची प्रबंधन के उचित तंत्र का होना और उत्तम मुल्यांकन के स्वच्छ प्रकार में थे, को सुनिश्चित करना था।

खरीद और स्टोर के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

खरीद, स्टोर और लेखा के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए निर्णय लिये जाने के 10 साल बाद भी, डी.ए.ई.–प्राप्ति के कार्यान्वयन को लागू नहीं कर सका है। यह प्रणाली इसकी खरीद और स्टोर की ईकाईयों के सामग्री प्रबन्धन प्रणाली में लागू नहीं की गयी है। कम्प्यूटरीकरण के लिए किये गये प्रयास नियोजित नहीं हैं क्योंकि ये प्रणाली के विकास की सामान्य स्तर का अनुसरण नहीं करते हैं जैसे डिजाइन प्रावस्था, विकास/परीक्षण प्रावस्था, और डिलीवर/संक्रमण प्रावस्था। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वयन की कई कमियों का सामना करना पड़ा। अलग अलग खरीद और स्टोर ईकाईयों में लागू की गयी प्रणाली को एकीकृत नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दक्षता में कमी और प्रयासों की आवृत्ति हुई। प्रौद्योगिकी में समक्ष होते हुए, डी.ए.ई. को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना होगा ताकि इसकी प्राप्ति की दक्षता और सूची प्रबन्धन के कार्यों को बढ़ाया जा सके।

प्राप्तियों की समयावधि

हमने यह पाया कि रु. 50 लाख से कम की एकल निविदा प्राप्तियों के लिये किसी भी प्रकार की समयावधि नहीं थी। हमने आगे यह भी देखा की प्राप्ती के लगभग 11 प्रतिशत मामलों में समयावधि से ज्यादा देरी हुई है और खरीद आदेशों के कार्यान्वयन में 54 महीनों तक देरी हुई थी। इस देर के कारण डी.ए.ई. पर अतिरिक्त वित्तीय देय का बोझ था।

प्राप्ती के लिये नियोजन

खरीद की योजना को और अधिक व्यवस्थित और दक्ष बनाने के लिए वार्षिक खरीद योजना की तैयारी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। 39 प्रतिशत नमूनों की जांच के मामलों में, हमने पाया कि मांगपत्र की आवश्यकताओं की अत्यावश्यकता का संज्ञान लिए बिना एक नियमित तरीके से कई खरीद मामलों को संशोधित किया गया। हमने यह भी पाया कि मांगपत्रों के परियोजित मूल्य और खरीद आदेशों के मूल्यों के



निविदा प्रक्रिया और संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं वस्तुनिष्ठता

संविदा प्रबंधन

बीच बहुत ज्यादा का अंतर था। और आवश्यकतों का इकट्ठा नहीं किया गया था, इस सभी से है; योजना प्रक्रिया में कमियां उजागर होती हैं।

इसकी 94 प्रतिशत खरीद की निविदा प्रतिबंधित तरीके (एकल / सीमित निविदा) पर आधारित थी, डी.ए.ई. की खरीद प्रक्रिया केवल सीमित स्पर्धा ही हासिल कर पाई थी। आवश्यकता को महत्ता के आधार पर प्रतिबंधित तरीके के बिना तय कार्यवाही जैसे निविदा की तुरत प्रक्रिया, साईंट की उपलब्धता, उपस्करों की समय पर प्रतिस्थापना / चालू करने को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी समन्वय इत्यादि जो निविदा को प्रतिबंधित तरीके को अपनाने को निरस्त करता है।

डी.पी.एस. में स्थित संविदा प्रबंधन को दुर्बल पाया गया क्योंकि 17 प्रतिशत खरीद आदेशों को उनके तय किये गये सुपूर्दगी दिनांकों के 6 सालों पश्चात भी मूर्त स्वरूप नहीं दिया गया था और लंबे समय से भारी मात्रा में अग्रिम भुगतान असमायोजित स्वरूप में थे। आपूर्तकर्ताओं से देरी होने पर भी भुगतान की गयी क्षतियों को बटोरा नहीं गया था। उच्च मूल्य के आदेशों का निरीक्षण करने हेतु किसी भी प्रकार के प्रभावी साधन मौजूद नहीं थे, जिसके परिणामतः आदेशों के कार्यान्वय में हुई अतिरिक्त देर और अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा।

संविदा के पश्चात का प्रबंधन

संविदा के पश्चात के प्रबंधन में तत्परता शिथिल थी और आडिट में रूपये 125.60 करोड़ की राशि के 22 प्रतिशत मामले की जांच में प्रभावी कार्यवाही की कमी पाई गई। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पाया गया कि स्थापना, चालू करने और मशीनरी/उपस्कर के जांच की स्वीकृति में देरी का कारण था। आगे, साईंट की अनुपलब्धता, अनुचित साईंट चयन, कुछ कार्यात्मक जांच का पूरा होना इत्यादि कारणों से रूपये 76.81 करोड़ के मूल्य के उपस्कर / मशीनरी की स्थापना न हुई / चालू नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी निधियों के अवरोधन के अलावा उपस्कर का प्रयोग निहित उददेश्य के लिए नहीं हुआ।

वस्तु-सूची प्रबंधन

सूची प्रबंधन न तो प्रभावी था और न ही वर्णित विधि के अनुसार था। कई ऐसे मामले थे जहाँ पर ज्यादा खरीद की गई थी जो जरूरत के अनुसार नहीं थी। आगे, स्टॉक की वार्षिक समीक्षा समयानुसार नहीं की गई थी, फलतु स्टॉक के मदों की पहचान समय – समय पर नहीं की जा सकी और स्टॉक स्थापन सूचियों में बतायी गई विसंगतियों का तुरंत समाधान नहीं किया जाता था।

क्रय और भंडार प्रक्रिया

क्रय और भंडारों की प्रणालीयों को लगातार अद्यतन नहीं किया गया था। समय – समय पर टुकड़ों में आदेश जारी किए गए जिन्हें क्रय प्रणाली में इकठ्ठा करके शामिल नहीं किया गया। इससे निर्धारित तरीकों से काफी हद तक मनमानी तौर से खरीदारीयाँ हुई, खरीद में देरी हुई और सूची प्रबंधन में गिरावट आई।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

खरीद और स्टोर के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

सभी खरीद और स्टोर इकाईयों के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए सभी डी.ए.ई. इकाईयों के ऑनलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सभी खरीद और स्टोर इकाईयों को खरीद और स्टोर गतिविधियों के बीच बेहतर नियंत्रण को प्राप्त करने में एकीकरण की आवश्यकता है।

- परिशुद्ध और डेटाबेस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑन लाइन जांच में प्राकृतिक बनावट और नियंत्रण का आरंभ किया जा सकता है।

प्राप्तियों की समयावधि

डी.ए.ई. को उचित निरीक्षण तंत्र लागू करना जरूरी है जिससे निविदाओं के कार्यान्वयन और अंतिम स्वरूप के लिये निर्धारित अवधि का डी.ए.ई. की विभिन्न प्राप्ती एजंसीयों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।



प्राप्ती के लिये नियोजन

देरी और आवर्ती खरीद से बचने के लिए वार्षिक खरीद योजना खरीद इकाईयों को समेकित आवश्यकताओं को इकट्ठा करके और अग्रिम रूप में तैयार करके संचारित किया जा सकता है जिससे कि धन की उपयोगिता को अधिकतम बनाया जा सके।

- पी.ओ. समय पर जारी किए जाने चाहिए ताकि दस्तावेजों में निर्धारित समय सारणी के अंदर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आवश्यकता को अभियक्ति बेहतर खरीद योजना के लिए विशिष्ट समयावधि तय करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण, प्राथमिकता, के आधार पर की जानी चाहिए।
- अत्यावश्यकता के आधार पर निविदा के सामान्य प्रकार के छूटे गए प्रस्तावों को स्थान के तैयार होने के प्रमाण पत्र द्वारा या स्थल के तैयार होने की सुपुर्दगी देने वाले प्रमाण पत्र द्वारा समर्थन मिलना जरुरी है। निर्दिष्ट तिथि और अन्य अर्हताओं को सुनिश्चित करते हुए ऐसी कार्यवाही को सुनिश्चित किया गया है।

निविदा प्रक्रिया और संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं वस्तुनिष्ठता

संविदा प्रबंधन

डी.ए.ई. को सी.वी.सी. के दिशा निदेशों के अनुसार आपूर्ति कर्ताओं को ब्याज रहित अग्रिम भुगतान देने की प्रक्रिया को रोकना होगा और इस प्रकार के अग्रिम भुगतानों पर लगाए जाने वाले ब्याज दर के विषय में उसे अनेक प्राप्ति विभागों में एकसमान नीती को अपनाना होगा। आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये और लंबे समय से बकाया अग्रिम भुगतानों की समीक्षा की किया जा सकती है और इसके निपटान हेतु कार्यवाही की योजना बनाई जानी चाहिए।

- डी.ए.ई. को वितरण समय सारणी को नये मैन्युअल के रूप में फिर से तय करने हेतु, प्रबंधनों का फिरसे एकबार जाएजा लेना होगा, जैसा वैधानिक शुद्धता देनी होगी। इससे न की प्रकल्प परियोजना सारणी पत्र पर परंतु परियोजना के वित्तीय आशय भी प्रभावित नहीं होंगे आर्थिक

संविदा के पश्चात का प्रबंधन

दिए गए तथ्य कि साइट की तैयारी नहीं होने, इत्यादि जैसे कारणों से बड़ी संख्या में मशीनरी/उपस्कर की स्थापना/चालू करने में देरी हुई, डी.ए.ई. को अपने मांगपत्र अधिकारियों को मशीनरी/उपस्कर की स्थापना/चालू करने हेतु विशिष्ट समय सीमा तय करने का निर्देश देना चाहिए।

सरकार के वित्तीय इन्टरेस्ट को सुरक्षित रखने के क्रम में खराब/कम आपूर्ति इत्यादि के लिए खरीद आदेशों/अनुबंधों में आवश्यक प्रावधानों को समाविष्ट करके आपूर्तिकर्ता को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

- एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जिससे वस्तुओं की खरीद वास्तविक जांची जरूरत के आधार पर ही होनी चाहिए।

वस्तु—सूची प्रबंधन

भंडार की सभी इकाईयों का वार्षिक अवलोकन होना चाहिए जिससे फालतू मदों का पता लग सके।

- फालतू मदों की सूचना को तरीके से तैयार करके अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि इंडेन्टर जरूरतों को बताने से पहले उन्हें देखले।

क्रय और भंडार प्रक्रिया

- डी.ए.ई. की अधिप्राप्ति प्रणाली को रिव्यु करने और उसे इन कमियों के मध्य नजर आवश्यक परिवर्तन कर नए सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार संशाधित करने की आवश्यकता है।



हमारी सिफारिशों पर परमाणु उर्जा विभाग की क्या प्रतिक्रिया थी?

परमाणु उर्जा विभाग ने हमारे द्वारा दिये गये अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया। निष्पादन लेखापरीक्षा में दिये गये मुद्दों की जटिलता को पहचानते हुए, परमाणु उर्जा विभाग ने, हमारी सिफारिशों को लागू करने के लिए, निर्धारित समय अवधि के साथ विस्तृत कार्यवाही योजना प्रस्तुत की। हम रिपोर्ट में बताये गये महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की प्रशंसा करते हैं। हमें आशा है कि परमाणु उर्जा विभाग इन महत्वपूर्ण कमियों पर निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्यवाही करेगा।





अध्याय 1

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि

1.1 परमाणु ऊर्जा विभाग (डी. ए. ई.) की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी। डी. ए. ई. के कार्यक्रमों का उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग, विकिरण प्रौद्योगिकी का विकास और कृषि, औषधि, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है। डी. ए. ई. में पाँच अनुसंधान केंद्र¹, तीन औद्योगिक संगठन², पाँच सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण³ और तीन सेवा संगठन⁴ शामिल हैं।

संस्थागत संरचना

1.2 विभाग की संवेदनशील और विवेचनात्मक आवश्यकताओं के कारण डी. ए. ई. को पूर्ति और निपटान महानिदेशक के कार्यक्षेत्र से दूर रहने और स्वयं की केंद्रीकृत खरीद एजेंसी शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई। डी. ए. ई. के पाँच शोध एवं विकास केंद्रों और तीन उद्योग एवं खनिज इकाईयों के भंडारों के प्रबंध और तालिका प्रबंधन प्रक्रियाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जून 1972 में मुंबई में क्य एवं भंडारण निदेशालय के नाम से एक अलग खरीदारी और भंडारण संस्था शुरू की गई, जिसकी क्य शाखाएँ कलपक्कम, हैदराबाद और इंदौर में थीं। अतः भंडारण की प्राप्ति एवं वस्तुसूची प्रबंधन कार्यप्रणाली में पाँच अनुसंधान एवं विकास केन्द्र और डी.ए.ई. की तीन औद्योगिक एवं खनिज इकाईयों की सहायता हेतु कलपक्कम, हैदराबाद तथा इंदौर स्थित पाँच क्षेत्रीय खरीद इकाईयों सहित पृथक खरीद एवं भंडार संस्थान जो कि खरीद एवं भंडार निदेशालय के रूप में जाना जाता है, का जून 1972 में मुम्बई में सृजन किया गया था। आर. एंड डी. और आई. एंड एम. इकाईयों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए, 1994 में डी. पी. एस. द्वारा संचालित खरीद गतिविधियों का विकेंद्रीकरण शुरू किया गया, जिसमें आई. जी. सी. ए. आर. कलपक्कम, एम.एफ.जी. हैदराबाद और आर. आर. सी. ए. टी. (इंदौर) के निदेशकों को डी. पी. एस. के पदेन निदेशकों के समकक्ष नियुक्त किया गया था, जिन्हें क्रमशः चेन्नई, हैदराबाद और इंदौर के आर. पी. यू.⁵ के समान शक्तियाँ प्राप्त थीं। मनुगुरु, कोलकाता, दिल्ली और कोटा में भी सीमिती खरीद अधिकारों वाले आर. पी. यू. स्थापित किए गए थे। इन आर. पी. यू. को उन प्राप्ति प्रस्तावों को देखना होता है जो डी. पी. एस. द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों से बाहर हों। जबकि डी. ए. ई. के अंतर्गत स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण की अपनी प्राप्ति प्रणाली होती है, ये प्राप्ति प्रणाली जैसे कोयला, वाष्प, नैथा, मैगनीशियम डी. यूरिनेट (एम. डी. यू.) इत्यादि स्थूल प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं (जैसे कि निम्न पैरा 2.1 में चर्चा की गई है)।

¹ आर. एंड डी. इकाईयँ: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी. ए. आर. सी.), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आई. जी. सी. ए. आर.), राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आर. आर. सी. ए. टी.), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन केंद्र (वी. ई. सी. सी. सी.) और परमाणु खनिज निदेशालय (ए. एम. डी.)।

² आई. एंड एम. इकाईयँ: हेली वॉटर बोर्ड (एच. डब्ल्यू. बी.), नाभिकीय ईंधन परिसर (एन. एफ. सी.) और विकिरण आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बी. आर. आई. टी.)।

³ पी. एस. यू.: भारतीय यूरेनियम निगम लि. (यू. सी. आई. एल.), भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लि. (एन. पी. सी. आई. एल.), भारतीय दुलम खनिज लि. (आई. आर. ई. एल.), भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लि. (ई. सी. आई. एल.), और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी)।

⁴ सेवा संगठन: क्य एवं भंडारण निदेशालय (डी. पी. एस.), निर्माण सेवाएँ एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डी. सी. एंड. ई. एम.) और सामान्य सेवा संगठन (जी. एस. ओ.)।

⁵ डी. पी. एस. के निदेशक और आर. पी. यू. के पदेन निदेशक आई. जी. सी. ए. आर., कलपक्कम, आर. आर. सी. ए. टी., इंदौर तथा एन. एफ. सी., हैदराबाद को क्य आदेशों पर हस्ताक्षर करने और क्य प्रक्रियाओं के प्रावधनों को उपयुक्त तर्कों के आधार पर बदलने की पूर्ण शक्तियाँ दी गई थीं।

⁶ मनुगुरु, दिल्ली, कोटा और कोलकाता के आर. पी. यू. को 1. लाख रुपये तक के क्य की सीमित शक्ति प्राप्त है इस सीमा से अधिक होने पर नियंत्रण डी. पी. एस. के निदेशक के हाथ में होता है। इन आर. पी. यू. को क्य प्रक्रिया के नियमों से हटने की शक्ति प्राप्त नहीं होती।



1.3 डी. ए. ई. में भंडारण एवं वस्तुसूची प्रबंधन और प्रापण संबंधी गतिविधियाँ निम्न एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती हैं।

डी. ए. ई. में वस्तुसूची प्रबंध और प्रापण में समिलित इकाईयाँ

i. क्रय एवं भंडारण निदेशालय, मुंबई

क्रय एवं भंडारण निदेशालय (डी.पी.एस.), मुंबई, जिसका प्रमुख निदेशक होता है, को डी.ए.ई.⁷ के आर.एंड.डी. केंद्रों और आई.एंड.एम. इकाइयों के प्रापण की जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई स्थित बी.ए.आर.सी. की केंद्रीय भंडारण इकाई (सी.एस.यू.) मुंबई स्थित अन्य इकाइयों तथा बी.ए.आर.सी. की भंडार प्रबंधन का संचालन करती है व अन्य संचालित गतिविधियों तथा आर.एंड.डी. के लिए तार्किक सहायता तथा उपकरण/प्रणाली प्रबन्धित करती है। यह डी.पी.एस. की सभी भंडारण इकाइयों में सबसे बड़ी है।

ii. मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडारण इकाई

मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडारण इकाई (एम.आर.पी.यू.) आई.जी.सी.ए.आर., कलपक्कम और भारत के दक्षिणी भागों में स्थित अन्य डी.ए.ई. इकाइयों के प्रबंध और भंडारण की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है। आई.जी.सी.ए.आर., कलपक्कम के निदेशक को एम.आर.पी.यू. के लिए डी.पी.एस. का पदेन निदेशक नियुक्त किया गया है।

iii. हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडारण इकाई

हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडारण इकाई (एच.आर.पी.यू.) एन.एफ.सी., हैदराबाद के क्रय और भंडारण की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है। एन.एफ.सी., हैदराबाद के निदेशक को एच.आर.पी.यू. के लिए डी.पी.एस. के पदेन निदेशक का पदभार सौंपा गया है।

iv. इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडारण इकाई

इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडारण इकाई (आई.आर.आर.यू.) आर.आर.सी.ए.टी. के क्रय और भंडारण की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है। आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर के निदेशक को आई.आर.पी.यू. के लिए डी.पी.एस. के पदेन निदेशक का पदभार सौंपा गया है।

v. अन्य आर.पी.यू.

मुख्य आर.पी.यू. के अलावा अन्य लघु आर.पी.यू. अपने क्षेत्रों/केंद्रों की सीमित क्रय आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। क्षेत्रीय क्रय इकाई, मनुगुरु (आर.पी.यू.एम.), विशेषकर हेवी वॉटर संयंत्र, मनुगुरु की क्रय आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है। इस संयंत्र के महाप्रबंधक को इस आर.पी.यू. के क्षेत्रीय निदेशक का पदभार सौंपा गया है। कोलकाता क्षेत्रीय क्रय इकाई (सी.आर.पी.यू.) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (वी.ई.सी.सी.), कोलकाता और देश के पूर्वी भागों में स्थित अन्य डी.ए.ई. इकाइयों की क्रय एवं भंडारण आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है, कोटा क्षेत्रीय क्रय इकाई (के.आर.पी.यू.) एवं दिल्ली क्षेत्रीय क्रय इकाई (डी.आर.पी.यू.) देश के उत्तरी भागों में स्थित डी.ए.ई. इकाइयों की क्रय आवश्यकताओं की आपूर्ति करती हैं। इन आर.पी.यू. को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों की सीमा से ज्यादा के क्रयों को डी.पी.एस., मुंबई संचालित करता है।

डी. ए. ई. में प्रापण चक्र

1.4 डी.ए.ई. की प्रापण प्रक्रिया में मांगपत्र डिवीजन, क्रय इकाइयाँ, प्रापण समितियाँ और आपूर्तिकर्ता भूमिकाएँ निभाते हैं। डी.ए.ई. की प्रापण गतिविधियाँ, प्रापण की सार्वजनिक निविदा, सीमित निविदा और एकल निविदा पद्धतियों के लिए एक भाग और दो भाग की बोली की प्रक्रियाओं को अलग से संचालित करती है। इस प्रापण चक्र को नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। परियोजना अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार प्रापणों, प्राप्तियों, यातायात, लेखा, सामग्रियों के उपयुक्त भंडारण और वितरण के अतिरिक्त, संबंधित क्रय इकाईयाँ रददी और अतिरिक्त/अनुपयोगी/ अप्रयुक्त सामग्रियों के निपटान संबंधी गतिविधियों

⁷ डी.पी.एस. सामान्य सेवा संगठन और निर्माण सेवा एवं संपत्ति प्रबंधन निदेशालय की भंडारण आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। डी.पी.एस.डी.ए.ई. के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अस्पतालों की आवश्यकताओं (औषधि, उपभोक्ता सामग्रियाँ और प्रधान उपकरण) की भी आपूर्ति करता है।



का भी संचालन करती है।

डी.ए.ई. में प्राप्ति चक्र

- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात् मांगपत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया मांगपत्र डी. पी. एस./आर. पी. यू. को भेज दिया जाता है।
- डी. पी. एस./आर. पी. यू. निविदा पठताल (सार्वजनिक/लिमिटेड/एकल निविदा) को एक हिस्से/दो हिस्सों में जारी करता है।

- एक हिस्सा प्रक्रिया में, डी. पी. एस./आर. पी. यू. तुलनात्मक विवरणी (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) तैयार करता है और इसे मांगपत्र अधिकारी को मूल्यांकन के लिए भेज देता है।
- मांगपत्र अधिकारी प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और सिफारिश प्रदान करता है।
- सक्षम प्राधिकारी/समिति, मूल्यांकन के परिणाम का अनुमोदन करता है और इसे डी. पी. एस./आर. पी. यू. को भेज देता है।
- अनुशंसित आपूर्तिकर्ता को डी. पी. एस./आर. पी. यू. द्वारा पी.ओ. सौंपा जाता है।

- दो हिस्सा प्रक्रिया में डी. पी. एस./आर. पी. यू. पहले मांगपत्र अधिकारी को तकनीकी बोली हेतु तुलनात्मक विवरणी मूल्यांकन के लिए भेजता है।
- मांगपत्र अधिकारी तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और सक्षम प्राधिकारी/समिति के अनुमोदन के बाद, डी. पी. एस./आर. पी. यू. को सिफारिशें सौंपता है।
- वाणिज्यिक बोली डी. पी. एस./आर. पी. यू. द्वारा खोली जाती है और मांगपत्र अधिकारी को मूल्यांकन के लिए भेज दी जाती है।
- मांगपत्र अधिकारी वाणिज्यिक हिस्से का मूल्यांकन करता है और सक्षम प्राधिकारी/समिति के अनुमोदन के बाद, डी. पी. एस./आर. पी. यू. के पास सिफारिशों का प्रस्तुत करता है।
- अनुशंसित आपूर्तिकर्ताओं को डी. पी. एस./आर. पी. यू. द्वारा पी.ओ. सौंपा जाता है।

बजट और व्यय

1.5 2002–03 से 2008–09 की अवधि के लिए डी. ए. ई. का कुल बजट रुपये 47874.79 करोड़ था और कुल व्यय रुपये 46311 करोड़ था। इसमें से, मशीनरी एवं उपकरणों (एम. एंड ई.) और सामग्रियों एवं आपूर्तियों (एम. एंड एस.) के प्राप्ति के लिए डी. ए. ई. का बजट रुपये 21064.42 करोड़ था और वास्तविक व्यय रुपये 19461 करोड़ था, जैसा कि सारणी–1 में विवरण दिया गया है।



सारणी–1
प्रापण बजट⁸ और व्यय (2002–03 से 2008–09)

वर्ष	संशोधित अनुमान (रु करोड़ में)	वास्तविक व्यय (रु करोड़ में)	बचत (रु करोड़ में)	अप्रयुक्त प्रावधान की प्रतिशतता
2002-03	2315.48	2249.20	66.28	2.86
2003-04	2342.41	2220.39	122.02	5.20
2004-05	2235.40	2178.93	56.47	2.52
2005-06	2709.32	2646.23	63.09	2.32
2006-07	3869.42	3642.78	226.64	5.85
2007-08	3350.21	2825.65	524.56	15.65
2008-09	4242.18	3697.82	544.36	12.83
कुल	21064.42	19461.00	1603.42	7.61

जैसा कि उपरोक्त सारणी में देखा जा सकता है कि डी० ए० ई० पिछले दो वर्षों के दौरान अपने प्रापण बजट के एक महत्वपूर्ण भाग का उपयोग नहीं कर सका। 2007-08 और 2008-09 की बचत के मुख्य कारण क्रय आदेशों को अंतिम रूप देने में हुई देरी, वितरण समय-सारणी में विलम्ब आदि थे।



⁸ एम.एंड.ई. और एम. एंड.एस. के अंतर्गत और इसमें वाहनों, कार्यों और कार्यालय व्ययों आदि को शामिल नहीं किया गया है।



अध्याय 2

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमारा विस्तार

2.1 2002–03 से 2008–09 की अवधि में एम. एड ई. और एम. एड एस. के अंतर्गत डी. ए. ई. का प्रापणों पर कुल व्यय रुपये 19461 करोड़ आया। इसमें कोयला, नैथा, स्टीम और एम. डी. यू. का थोक प्रापण, निर्माण संविदा/बही समायोजन⁹, औषधि/सी. एच. एस. एस.¹⁰ व्यय, संयंत्रों के दैनिक संचालन के लिए आपातकालीन/प्रत्यक्ष खरीदारी, आपात प्रतिस्थापन के रूप में प्रौद्योगिकी का निर्माण/विकास, जो इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जाते थे, शामिल थे। डी. पी. एस. को छोड़कर डी. ए. ई. की ऐसी इकाइयों द्वारा बुक की गई राशि 15566.86 करोड़ थी।

डी. पी. एस. और इसके आर. पी. यू.ज. द्वारा विशिष्ट रूप से संचालित किए जा रहे प्रापणों पर कुल व्यय रुपये 3894.14 करोड़ था। उपरोक्त के अतिरिक्त, डी. पी. एस. और इसके आर. पी. यू. ने अन्य प्रापणों जैसे, कार्यालय उपकरण, मोटर वाहनों का प्रापण और रख-रखाव के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी संचालन किया। इस प्रकार, 2002–03 से 2008–09 की अवधि में डी. पी. एस. और इसके आर. पी. यू.ज. द्वारा संचालित किए गए प्रबंधों के कुल व्यय की रुपये 4810.13 करोड़ की गणना की थी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए हमने डी. पी. एस. और इसके आर. पी. यू.ज. द्वारा संचालित किए गए रुपये 4810.13 करोड़¹¹ के मूल्य के प्रापणों पर ध्यान केंद्रित किया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने डी. ए. ई. में खरीद और भंडारण प्रक्रिया की पर्याप्तता और क्या ये सामान्य वित्तीय नियमों (जी. एफ. आर.) द्वारा निर्धारित व्यापक सिद्धांतों के समकक्ष थे की जाँच की।

हमने डी. ए. ई. की व्यावहारिक प्रापण और वस्तुसूची प्रबंधन प्रक्रियाओं का परीक्षण यह सत्यापित करने के लिए कि वे निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रतियोगी और लागत का सही मूल्य देने में सक्षम थे, किया।

हमने इस मुद्दे की जाँच क्यों की

2.2 परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों का उद्देश्य— विजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग, विकिरण प्रौद्योगिकी और कृषि, औषधि, उद्योग और शोध के क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए डी. ए. ई. आवश्यक उपकरणों/सामग्रियों के प्रापण का जिम्मा उठाता है। डी. ए. ई. के प्रापण का व्यय 2002–03 में रुपये 2249.20. करोड़ से बढ़कर 2008–09 में रुपये 3697.82. करोड़ हो गया था।

अतः, प्रापण प्रक्रियाओं और वस्तुसूची प्रबंधन पर सक्षम और प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। हमने पहले 1993 में डी. पी. एस. की लेखापरीक्षा समीक्षा की थी, जिसमें महत्वपूर्ण त्रुटियाँ सामने आई थीं। हाल के वर्षों में भी, ये त्रुटियाँ हमारे स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान सामने आती रही हैं, जिससे हमें इन मुद्दों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई।

परीक्षण के लिए हमारे मुख्य उद्देश्य

2.3 हमारे निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्या प्रभावी प्राप्ति की प्रणाली उपयुक्त है, क्या प्राप्ति को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और न्यायोचित तरीके से

⁹ हेवी वाटर संयंत्रों और चारा भंडारण सामग्रियों पर ओ. एंड एम. के व्यय समेत बही समायोजन

¹⁰ सहकारी स्वास्थ्य सेवा योजना

¹¹ डी. पी. एस. द्वारा रुपये 4810.13 करोड़ की कुल व्यय की राशि संकलित और प्रस्तुत की गई थी। हालांकि इसमें आई. आर. पी. यू. द्वारा 2008–09 की अवधि में संचालित किए गए एम. एंड ई. और एम. एंड एस. के अलावा अन्य व्यय शामिल नहीं थे।



	<p>किया गया है ताकि धन की पूरी कीमत का लाभ उठाया जा सके और क्या अनुबन्ध सामग्री प्रबन्धन के बाद की एक प्रबल प्रणाली उपस्थित थी।</p>
परीक्षण के लिए हमारे विस्तृत उद्देश्य	<p>2.4 हमारे विस्तृत उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि क्या;</p> <ol style="list-style-type: none"> खरीद और स्टोर के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण पूरा हुआ था और उससे प्राप्ति और स्टोर नियन्त्रण का प्रभावी प्रबन्धन हुआ था। प्राप्ति की समय सीमा उपयुक्त थी और अपनाई जा रही थी। उठाई गई मांगे वास्तविक थीं और प्राप्तियों हेतु नियोजन दक्ष था। प्रक्रियाएं एक प्रतियोगी और निष्पक्ष तरीके से लागत का सही मूल्य प्राप्त करने के लिए की गई, और क्या निविदाओं के मूल्यांकन की प्रणाली वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी थी। संविदा प्रबंधन की प्रणाली को प्रभावी और पर्याप्त बनाया गया था। सामग्री की जांच, अस्वीकृत सामग्री का नियन्त्रण, और उसकी प्रतिस्थापन आदि के सन्दर्भ में ठेकों के प्रबन्धन के बाद की एक ठोस प्रणाली उपस्थित थी और प्राप्त मशीन एवं उपकरणों को समय पर लगाना, कमीशनिंग, और उनके उपयोग के लिए एक प्रभावी प्रणाली थी। वस्तुसूची प्रबंधन दक्ष और प्रभावी था। क्रय और भंडारों की प्रक्रिया बहुत ही अधिक व्यापक थी और समय–समय पर इसको अपडेट किया गया था।
हमारी लेखापरीक्षा के मापदंड	<p>2.5 लेखापरीक्षण के मुख्य मापदंड निम्न से व्युत्पन्न होते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> डी.ए.ई. की खरीद और स्टोर प्रक्रियाओं में इन्डेन्ट, निविदा, ऑर्डर, और ठेके के प्रबन्धन के बाद के मापदण्ड केन्द्रीय निगरानी आयोग के द्वारा जारी किये गये सामान्य वित्तीय नियम और दिशानिर्देश एवं खरीद आदेशों/ अनुबंधों में निहित निबंधन एवं शर्तें खरीद के ऑर्डर/ठेकों में शर्तें तथा नियम/स्टाक/स्टोर का प्राप्ति, रख रखाव, जारी करने और निपटान के लिए, कोडल प्रावधान जैसा कि डी.ए.ई की स्टोर प्रक्रिया में दिए गए हैं। <p>2.6 हमने 9 मई 2008 को मुम्बई में डी.ए.ई सचिवालय में एक प्रवेश सम्मेलन में डी.ए.ई. के साथ हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा की। इस निष्पादन लेखापरीक्षण में निर्धारित विधियों और उद्देश्यों को डी.ए.ई. ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया। हमने इन्डौर, कल्पकम और हैदराबाद में डी.पी.एस., सी.एस.यू., और आर.पी.यू. खरीद की फाईलों, पेमेण्ट के फोल्डरों, और स्टोर के रिकॉर्ड्स के माध्यम से स्टोर की गतिविधियों और प्राप्ति से सम्बन्धित रिकॉर्ड्स की जून 2008 से मई 2009 के दौरान समीक्षा की।</p> <p>लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, हमने 2002–03 से 2007–08 की अवधि के दौरान, 77855 खरीद के ऑर्डरों में से 7816¹² ऑर्डरों (10 प्रतिशत) और सम्बन्धित भुगतान के फोल्डरों की समीक्षा की। हमारे द्वारा चुने गये नमूनों का विवरण सारणी 2 में दिया गया है।</p>

¹² चुने गए नमूने थे – 20 लाख तक के खरीद के आर्डरों का 10 प्रतिशत, 20 में 50 लाख के खरीद आर्डरों का 50 प्रतिशत और 50 लाख से ऊपर के खरीद आर्डरों का शत प्रतिशत।



सारणी 2

नमूनों का विवरण

इकाई का नाम	पी ओ की कुल संख्या	कुल मूल्य, (करोड़ रुपये में)	कुल पी ओ जिनकी लेखा परीक्षण में समीक्षा की गयी	पी ओ का मूल्य जिसकी लेखा परीक्षण में समीक्षा की गयी (करोड़ रु में)
डीपीएस	33290	2344.01	4962	2296.85
एमआरपीयू	22406	510.77	1462	339.64
एचआरपीयू	12716	776.75	985	511.74
आईआरपीयू	9443	287.12	407	118.15
कुल	77855	3918.65	7816	3266.38

लेखापरीक्षा के प्रारम्भिक परिणामों को मई 2009 में डी ए ई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डी ए ई ने अक्टूबर 2009 में अपनी प्रतिक्रिया दी। लेखा परीक्षण के उद्देश्यों, परिणामों, निष्कर्षों की चर्चा 19 फरवरी 2010 को एक एक्ज़िट सम्मेलन में डी ए ई के साथ की गयी।

मार्च 2010 में डी ए ई ने हमारी अनुशंसाओं के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी और इनके कार्यान्वयन के लिए एक एक्शन प्लान दिया। हम डी ए ई के द्वारा की गयी इस पहल की प्रशंसा करते हैं। डी ए ई से प्राप्त जवाब को, एक्ज़िट सम्मेलन की विवेचनाओं और डी.ए.ई. द्वारा अनुशंसाओं को लागू करने के लिए कार्यवाई योजना को शामिल करने के बाद रिपोर्ट को फाईनल कर दिया गया है।

अभिस्वीकृति

हमारे विस्तृत परिणाम

2.7 हम लेखा परीक्षण के दौरान, डी ए ई, डी पी एस एवं उनकी भिन्न क्षेत्रीय खरीद इकाईयों जैसा कि एम आर पी यू एच आर पी यू, आई आर पी और यू सी एस यू के सहयोग को स्वीकार करते हैं।

2.8 हमारे लेखा परीक्षण के परिणाम, निष्कर्ष, डी ए ई की प्रतिक्रिया, हमारी संस्तुतियां, और डी ए ई की एक्शन योजना की चर्चा अगले अध्याय में की गयी है।





अध्याय 3

खरीद और स्टोर के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

उद्देश्य 1: क्या खरीद और स्टोर के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण पूरा हुआ था और उससे प्राप्ति और स्टोर नियन्त्रण का प्रभावी प्रबन्धन हुआ था।

3.1 अक्टूबर 1998 में, डी ए ई ने मेनुअल स्टोर्स अकाउन्टिंग सिस्टम को बन्द करने का फैसला लिया और सामग्री के प्रबन्धन के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को लागू करने की डी पी एस को अनुमति दे दी। इस सम्बन्ध में हमने देखा कि डी ए ई के भाग में कई कमियां थीं। जिनकी चर्चा अगले पैराग्राफ में की गयी है।

कम्प्यूटरीकरण के विस्तार की जरूरत का विश्लेषण नहीं किया गया।

3.2 हमने देखा कि

- जब डी.ए.ई. की अनुमति के बाद 1999 से डी पी एस में स्टोर्स का कम्प्यूटरीकरण किया गया, डी पी एस ने 2000 में बी ए आर सी की कम्प्यूटर डिविजन के माध्यम से इसकी प्राप्ति से सम्बन्धित गतिविधियों का स्वतन्त्र कम्प्यूटरीकरण किया। हालांकि इसके लिए डी ए ई की अनुमति नहीं थी। डी पी एस ने 2001–02 में ₹ 66.69 करोड़ ₹ की कीमत के 4108 पी ओ को हेण्डल किया जो बढ़कर 2007–08 में 7089 हो गए (कीमत रुपये 632.51 करोड़)। इन जटिल गतिविधियों के शामिल होने के बावजूद, अक्टूबर 2009 तक भी कम्प्यूटरीकरण की विस्तृत योजना को बताने वाले कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये।
- कम्प्यूटरीकरण के बारे में ना तो कोई अध्ययन किया गया ना ही उपयोगकर्ता की आवश्यकता के लिए कोई दस्तावेजीकरण किया गया। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के विनिर्देशन भी नहीं दिये गये। उपयुक्त उपयोगकर्ता विशिष्ट कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के लिए ऐसा दस्तावेजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार से, डी.ए.ई. ने इसके कम्प्यूटरीकरण प्रोग्राम और इसकी आवश्यकता के स्कोप को परिभाषित नहीं किया। प्राप्ति और स्टॉक के कार्यों की अकाउन्टिंग में प्रभाविता प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये बिना कम्प्यूटरीकरण पर उठाया गया कोई भी कदम एक छोटा प्रयास होता

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि 1990 के दशक के अन्त में और 2000 के दशक के प्रारम्भ में कम्प्यूटरीकरण मानवीय कार्य को इलेक्ट्रॉनिक कार्य में बदलने की दिशा में एक प्रयास था, यह पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली नहीं थी। डी ए ई ने इसके बाद कहा कि इस अध्ययन के लिए अब अधिकारियों के एक समूह को नियुक्त किया गया है; और अन्तिम उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत आदि के बाद दस्तावेजों का एक पूरा सेट बनाया जायेगा, और पूरी तरह से व्यापक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू की जायेगी।

एस डी एल सी की अवस्थाओं का अनुपालन ना किया जाना

डिजाईन अवस्था का अनुपालन नहीं किया

3.3 कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की समीक्षा एस.डी.एल.सी.¹³ पर आधारित विकास अवस्थाओं से की गयी। हमने पाया कि ऐसी विकास परियोजनाओं में शामिल प्रावस्थाओं का अनुसरण उस तरह से नहीं किया गया जैसा कि अगले पैराग्राफ में बताया गया है।

- डी ए ई / डी पी एस परियोजना की डिजाईन अवस्था जिसमें कार्यात्मक डिजाईन की स्थापना, तकनीकी डिजाईन और कम्प्यूटरीकरण की विजनेस प्रक्रिया के डिजाईन शामिल थे,

¹³ एस.डी.एल.सी. परियोजना प्रबंधन में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर इन्जीनियरिंग कॉनसैप्युयल माडल मुहैया करता है कि लागू होने के रखरखाव के जरिए संभाव्य अध्ययन से सूचना प्रणाली विकास परियोजना के बताए गए स्तरों तक शामिल है।



गया

को लागू करने में असफल रहे। डिजाईन प्रावस्था की शुरुआत आवश्यकता, अवस्था के द्वारा डिलीवर किये गये आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यकताओं के वास्तुकला में परिवर्तन के साथ आरम्भ हुई। वास्तुकला अवयवों, उनके इन्टरफेस और व्यवहार को परिभाषित करती है। डिलीवर किये जाने योग्य डिजाईन दस्तावेज ही वास्तुकला है। डिजाईन दस्तावेज आवश्यकता को लागू करने के लिए योजना का वर्णन करता है। कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, वातावरण, मशीनें, पैकेज, अनुप्रयोग वास्तुकला, वितरित वास्तुकला लेयरिंग, मेमोरी का साईज, प्लेटफार्म, एल्गोरिद्धि, डेटा संरचना, ग्लोबल टाइप परिभाषाओं, इन्टरफेस और कई अन्य अभियान्त्रिकी विवरणों की स्थापना की गयी है। डिजाईन अवस्था में डिलीवर किये जाने योग्य दस्तावेज सिस्टम डिजाईन दस्तावेज हैं, इन्हें भी डी.ए.इ./डी.पी.एस. के द्वारा तैयार किया गया।

डिजाईन अवस्था को लागू करने में असफल होने पर, डी.ए.इ./डी.पी.एस. कम्प्यूटरीकरण प्रोग्राम की वास्तुकला को परिभाषित नहीं कर पाये, जो इसके सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक थे।

विकास और टेस्ट अवस्था को लागू नहीं किया जाना।

डिलीवरी और संक्रण अवस्था को लागू नहीं किया जाना।

ii. विकास प्रावस्था सोफ्टवेयर पैकेज का वास्तविक डिजाईन है, जिसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए और टेस्ट अवस्था वह अवस्था है जिसमें लाईव डेटा के साथ सोफ्टवेयर की उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है। इस प्रावस्था में टेस्ट योजना और स्वीकृति योजना के अलावा कार्यान्वयन रिपोर्ट, उपयोगकर्ता प्रक्रिया मेनुअल, और प्रशिक्षण मेनुअल को प्रदान किया जा सकता है, यदि सोफ्टवेयर के अनुसार चल रहा है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि प्रदान किए जाने वाले धारण उपयोगकर्ता मेनुअल और प्रक्रिया मेनुअल, टेस्ट योजना आदि उपलब्ध नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्ति और सूची प्रबन्धन प्रक्रिया के लिए, विकसित सोफ्टवेयर की उपयोगी का निर्धारण करना कठिन होगा।

iii. इस अवस्था में, सोफ्टवेयर को सभी निर्धारित इकाईयों में लगाया जाता है और मानवीय प्रणाली के समानान्तर इसे चलाया जाता है। यदि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के परिणाम प्राप्ति और सूची प्रबन्धन की मानवीय प्रणाली के समान हैं, तो मानवीय प्रणाली को बन्द कर दिया जाता है और सभी इकाईयों को केवल कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर ही चलाया जाता है। एक परिवर्तन प्रबन्धन प्रक्रिया की व्यवस्था भी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से प्राधिकृत होने के बाद ही विकसित प्रणाली में परिवर्तन को शुरू किया गया है।

हमने देखा कि डी.ए.इ./डी.पी.एस. ने इस अवस्था को तथा ट्रुकडों में कम्प्यूटरीकरण, जो डी.पी.एस. में लेखा तथा स्टोर कार्यों के लिए किया गया, डिलीवरी तथा संक्रण प्रावस्था की अनदेखी की गई जो सोफ्टवेयर को अधिक प्रभावी बनाता और डी.ए.इ./डी.पी.एस. की आवश्यकताओं को पूरा करता।

उपरोक्त अवस्थाओं के अनुपालन नहीं होने पर टिप्पणी की प्रतिक्रिया में, डी.ए.इ. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि पूरी तरह से व्यापक और पूर्णतया सामग्री प्रबन्धन पैकेज के साथ, यह इसे एक वैज्ञानिक स्पर्श देता है। एक विस्तृत प्रणाली की आवश्यकता के विनिर्देशन जारी किये जायेंगे और लेखा परीक्षण के अनुसार पूरे भारत में प्राप्ति के लिए नयी प्रणाली में इन परामर्शों का ध्यान रखा जायेगा। इसमें सभी सामग्री यानि मानक या अमानक को एक ही प्लेटफार्म पर रखा जायेगा ताकि कम्प्यूटरीकरण का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

3.4 हमने इसके बाद देखा कि कम्प्यूटरीकरण के सभी नियोजन और प्रभावी नियन्त्रण के लिए कोई प्रबन्धन सूचना प्रणाली रिपोर्ट जारी नहीं की गयी थी, जिसे लागू किया गया था। डी.पी.एस. कम्प्यूटरीकृत जानकारी में पी ओ का असामग्रीकरण, डैमरेज भुगतान, पी ओ के खिलाफ भुगतान के बारे में हमारे द्वारा मांगी गई सूचना को प्रदान नहीं कर पाया।

इस सम्बन्ध में डी.ए.इ. ने कोई उपयुक्त समुचित जवाब नहीं दिया, हालांकि फरवरी 2009 में डी.पी.एस. ने कहा था कि लेखापरीक्षा टिप्पणी के सन्दर्भ में, भविष्य में अधिक एम.आई.एस.

एम आई एस रिपोर्ट की अनुपस्थिति



**खरीद, स्टोर और
अकाउन्ट्स के कार्यों
में डेटाबेस के
एकीकरण का अभाव**

रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।

3.5 हमने देखा कि खरीद, स्टोर और अकाउन्ट्स के कार्यों में डेटाबेस के एकीकरण का अभाव था यद्यपि इन्हें 2001–02 में धारित किया गया था। खरीद और स्टोर के कार्यों के लिए सोफ्टवेयर ओरेकल 9 आई पर आधारित था; लेखागतिविधियों फ़ोक्स प्रो में की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों का एकीकरण जो कि 2001–02 तक करना था, अब तक नहीं किया गया। आगे एकीकरण में सहायता के लिए सभी तीनों कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य, जनवरी 2009 तक भी नहीं शुरू किया गया। इसके परिणामस्वरूप, हमने देखा कि डी.पी.एस. के द्वारा क्रय आदेशों के सम्बन्ध में डेटा इनपुट में दोहरे प्रयास किये गये। रखे गए आदेशों के खंड पर विचार करते हुए यह पाया गया कि बढ़ती हुई त्रुटि की संभावना के कारण कंप्यूटरीकरण को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और सामान्य डेटाबेस के इनपुट में दो बार श्रम घंटे को निवेश किया गया।

ऑडिट टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, डी.पी.एस. ने कहा कि सभी कार्यों को एक साझे प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिए खरीद, स्टोर और लेखा कार्यों के डेटाबेस का एकीकरण किया जायेगा।

**डी.पी.एस. और आर.पी.यू.
के बीच केन्द्रीकृत
कम्प्यूटरीकरण का अभाव**

3.6 डी.पी.यू. के खरीद और स्टोर कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का केन्द्रकरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, डी.पी.एस. और इसके आर.पी.यू. ने स्वतन्त्र स्तरों पर कार्य किया। सभी आर.पी.यू. को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, कम्प्यूटरीकरण आंशिक था। खरीद के कार्यों को केवल सात में से दो इकाईयों से नामतः एम.आर.पी.यू. और आई.आर.पी.यू. में पूरी तरह से स्टोर का कार्य अब तक कंप्यूटरीकृत किया गया था। समय पर कारबाई में फ़िलाई के कारण, डी.पी.एस. और उसके आर.पी.यू. को कंप्यूटरीकरण का लाभ, अर्थात् डी.ई.ई. के विभिन्न यूनिटों के द्वारा सामान्य आवश्यकताओं की मांग के लिए सूचना का इंटर-यूनिट ऑनलाइन संचरण, क्रय यूनिटों के द्वारा मांगपत्रों को इकट्ठा करना, आर.पी.यू. के शक्ति से परे मांगपत्रों का संचरण, इत्यादि, को प्राप्त नहीं किया जा सका।

जनवरी 2009 में, इस तथ्य को स्वीकार करते समय, डी.पी.एस. ने कहा कि कई इकाईयों के बीच केन्द्रीयकृत कंप्यूटरीकरण का, ई-खरीद को लागू करते समय ध्यान दिया जाएगा।

**डेटा विश्लेषण का
परिणाम— कंप्यूटरीकृत
डेटा में त्रुटि**

**पीओ के डेटाबेस में
त्रुटियों**

3.7 डी.पी.एस. में विकसित कंप्यूटरीकृत खरीद, स्टोर और लेखा प्रणाली से डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता को विश्लेषित किया गया था। हमने पीओ के डेटा प्रविष्टियों में, पी.ओ. का निर्धारित मूल्य, बैंक गारंटीयों का डेटाबेस, इत्यादि में विसंगतियां पाई, जिसका वर्णन अगले पैराग्राफ में किया गया है।

3.8 2002–03 से 2007–08 के दौरान डी.पी.एस. द्वारा निर्धारित पी.ओ. के डेटाबेस की जॉच में हमने पाया कि उक्त वर्षों के दौरान कुल पी.ओ. में दिए गए आंकड़े गलत थे, क्योंकि डेटाबेस में कई रिक्त स्थान थे। हमने आगे उनके रिकार्ड पर आधारित 2002–03 से 2007–08 के दौरान डी.पी.एस. द्वारा दी गई पी.ओ. की जानकारी और उक्त अवधि के लिए पी.ओ. का डेटाबेस जो हमे प्रस्तुत किया गया में असमानता पाई, जैसाकि सारणी 3 में दिखाया गया है।



सारणी-3

पी.ओ. के बारे में डी.पी.एस. द्वारा प्रस्तुत और उसके डेटाबेस के अनुसार प्राप्त जानकारी

वर्ष	डेटाबेस के अनुसार पीओ के बारे में जानकारी		पीओ के बारे में डीपीएस के द्वारा प्रस्तुत जानकारी		रिक्त स्थान
	पीओ की संख्या	पीओ का मूल्य (करोड़ में)	पीओ की संख्या	पीओ का मूल्य (करोड़ में)	
2002-03	8511	219.34	5218	97.23	2114
2003-04	7294	365.37	6070	165.49	2
2004-05	6596	498.35	6782	274.15	1
2005-06	7000	757.99	6553	304.99	7
2006-07	6552	520.04	6989	714.57	37
2007-08	5155	160.88	7089	632.51	3
कुल	41108	2521.97	38701	2188.94	2164

जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं, डी.पी.एस. के डेटाबेस और भौतिक सूचना के बीच रु. 333.03 करोड़ मूल्य के 2407 पी.ओ. का अंतर था।

डी.पी.एस. ने मार्च 2009 में जवाब दिया कि उस अवधि के दौरान मांगपत्र प्राप्त करने के जवाब में पीओ सहित डेटाबेस जारी किया गया, डीपीएस के द्वारा प्रस्तुत जानकारी 2002-03 से 2007-08 की अवधि के दौरान जारी किए गए आदेश से संबद्ध रखता है। हाँलाकि, तथ्य यह रह जाता है कि डेटाबेस प्रबंधन पर नियंत्रण एवं प्रभावी चेक सुनिश्चित करने के क्रम में ऐसी विसंगतियों के समायोजन की आवश्यकता है।

बैंक गारंटी के डेटाबेस में त्रुटि

3.9 रुपये 5.45 करोड़ के मूल्य के 762 बैंक गारंटी के मामले में, डीपीएस और एच.आर.पी.यू. के द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के डेटाबेस से पता चलता है कि इन बैंक गारंटी के वैधता की तिथि की प्रविष्टी डेटाबेस में नहीं की गई थी। रुपये 17.37 करोड़ के 2747 बैंक गारंटी के मामले में, हमने आगे पाया कि इन बैंक गारंटियों से संबंधित डेटा का पुनर्मूल्यन और संपादन उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई त्रुटियों की स्वीकृति करते समय, डी.पी.एस. ने जवाब दिया कि बैंक गारंटी की निगरानी की मैनूअल प्रणाली प्रभावी थी। इसने आश्वासन दिलाया कि विसंगतियों का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को विकसित करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार, तथ्य यही रहा कि बैंक गारंटी की वैधता की निगरानी के लिए बैंक गारंटी की कंप्यूटरीकृत प्रणाली प्रभावी नहीं थी।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में, जवाब दिया कि कंप्यूटर अनुभाग की सहायता से और अधिक प्रभावी निगरानी लागू की गई थी।

आर.पी.यू. के डेटा इनपुट में त्रुटि

3.10 आर.पी.यू. के कंप्यूटरीकृत परीक्षण पर, मांगपत्रों और पी.ओ. जैसे मांगपत्र में रिक्त स्थान और आई.आर.पी.यू. में पी.ओ. संख्या स्थान के डेटा इनपुट में हमने कमियों को पाया था। आई.आर.पी.यू. के 2017 मामलों में, पी.ओ. की दोहरी प्रविष्टियां पाई गई थीं।

एच.आर.पी.यू. के डेटा इनपुट में त्रुटि

3.11 एच.आर.पी.यू. में हमने पाया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान 240 मामलों में कोई पी.ओ. मूल्य प्रविष्ट नहीं की गई थी, जिसने एच.आर.पी.यू. में पी.ओ. के मूल्य पर कंप्यूटरीकृत जानकारी की विश्वसनीयता को प्रभावित किया।

अगस्त 2008 में, एच.आर.पी.यू. ने जवाब दिया कि कोबोल प्लेटफार्म पर, लंबी अवधि के बाद कंप्यूटरीकरण की वापसी की गई थी, जिसकी अपनी सीमा थी। इसने आगे विश्वास दिलाया



कि इन विसंगतियों को संशोधित किया जा रहा था। अक्टूबर 2009 में, डी.ए.ई. ने आगे कहा कि आर.पी.यू. में जो अनुप्रयोग चल रहा है उसे समय की अवधि के बाद अपडेट नहीं किया गया था। इसने यह भी कहा कि इस सिस्टम में वास्तविक डेटा के होने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है और मौजूद सिस्टम में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू किए जा चुके हैं।

लेखों का अपूर्ण कंप्यूटरीकरण

3.12 हमने डी.पी.एस. के कंप्यूटरीकृत लेखा फंक्शन में निम्नलिखित त्रुटियां पाईः

- प्रत्येक पी.ओ. में भुगतान की शर्त को इनपुट करने के लिए डेटा प्रविष्टि प्रारूप उपलब्ध कराया गया था। एक परिणाम के रूप में, भुगतान के मामलों की संख्या के अनुसार जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है जहां 80 प्रतिशत आपूर्ति पर और 20 प्रतिशत खींचति पर मानक भुगतान शर्त का पालन किया गया था। पहचान न और भूल को ठीक करने के लिए, इस प्रकार की जानकारी एक महत्वपूर्ण एम.आई.एस. है।
- भुगतान के कुल मामलों पर मूल जानकारी को 2002–03 से 2007–08 की अवधि के दौरान डी.पी.एस. के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। भुगतान मामलों के विकास की पहचान करने और संबंधित निर्णय लेने में इस प्रकार की जानकारी महत्वपूर्ण एमआईएस है।
- डेटाबेस विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रखे गए खरीद आदेश को भारतीय मुद्रा मूल्य के समतुल्यता प्रदान नहीं करता है यद्यपि यह खरीद आदेश में मैन्यूअली दिया हुआ है। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान विदेशी खरीददारी करने में डी.पी.एस. खर्च के आंकड़े को प्रस्तुत नहीं कर सका था। तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी भुगतान अधिकांशतः क्रेडिट पत्र के द्वारा जारी किए जाते हैं, इस प्रकार की जानकारी भुगतान किए गए भारतीय मुद्रा मूल्य की पहचान करने में महत्वपूर्ण है और इसे अभी समायोजित किया जाना है। आगे, एल.सी. के द्वारा विदेशी भुगतान की संख्या को प्रस्तुत करने के लिए डी.पी.एस. ने मैनुअल रजिस्टर पर विश्वास किया, इसलिए इस कार्य में डेटाबेस उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अक्टूबर 2009 में, डी.ए.ई. ने जवाब दिया कि लेखों में चल रहे अनुप्रयोगों को एक समय से अधिक की अवधि तक अपडेट नहीं किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि यद्यपि डाटाबेस में विसंगति के कारण कार्य को प्रभावित नहीं किया गया था, सिस्टम में परिशुद्ध डेटा होने की आवश्यकता को मान्यता दे दी गई है और कंप्यूटर अनुभाग के सहयोग से मौजूदा सिस्टम में सुधार करने के लिए उचित उपाय शुरू किए गए हैं।

स्टोरों का अपूर्ण कंप्यूटरीकरण

3.13 1999 में स्टोरों का कंप्यूटरीकरण प्रारंभ किया गया था। हाँलाकि, कंप्यूटरीकरण के समय, 1999 से पूर्व स्टॉक कार्डों की डेटा प्रविष्टि पूरी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, हम 1999 से पूर्व खरीदे गए स्टॉकों की वास्तविक उम्र और कीमत और उनके कार पड़े रहने के बारे में पता नहीं लगा सके।

मांगपत्रों और स्टोर अनुभाग के बीच ऑनलाइन कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति

3.14 मांगपत्रों और संबंधित स्टोर अनुभागों के बीच कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं थी। परिणामस्वरूप, मांगकर्ता द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सौंपे गए मांगपत्रों से संबंधित जोनल स्टोरों के डिविजनों को मांगपत्रों के बदले, खरीद मुख्यालय के स्टोरों से आगे भेजने के लिए तकनिकी विशिष्टीकरण सहित डेटा मांगपत्रों को मैन्यूअली फीड किया जाता है। मांगपत्र की प्रक्रिया में वैसे मैन्यूअल हस्तक्षेप के त्रुटियों की भेदभाव और मांगपत्र में लिए गए समय को बढ़ाता है। हाँलाकि, हमारी यह राय है कि वैसी कनेक्टिविटी को परिशुद्ध मांगपत्र की प्रक्रिया



में सामयिकता को बढ़ाया जाएगा और वैसा लघुपरिपथ डी.ए.ई. के द्वारा आवश्यकता के मूल्यांकन की उपस्थिति के कारण है।

अक्टूबर 2009 में, डी.ए.ई. ने जवाब दिया कि स्टोर गतिविधियों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण हाथ में था, जिससे स्टॉक और मुद्दों पर ध्यान रखा जाएगा।

ई-खरीद का गैर कार्यान्वयन

स्टोर डिवीजनों के बीच
ऑनलाइन कनेक्टिविटी
की अनुपस्थिति

3.15 सितंबर 2003 में, सी.वी.सी ने एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिसमें विभागों द्वारा संबंध, ई-खरीद के बारे में विस्तृत तरीकों को अपनाने के बारे में प्रक्रिया को बनाना था। ई-खरीद का पालन करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया के द्वारा उनके विभाग को विस्तृत जानकारी के साथ संपन्न किया जाना था। यह भी निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जाए। फिर भी, हमने पाया कि इस संबंध में डी.ए.ई. द्वारा कार्यवाही को अभी भी पूरा नहीं किया गया था। हमारा मानना है कि डी.पी.एस. और आर.पी.यू. में पी.ओ. की बढ़ती हुई मात्रा के संदर्भ में तथा व्यापक प्रचार एवं खरीदारी इत्यादि के क्रियान्वयन में और शीघ्र कार्यवाही की जा सकती थी।

3.16 हमने आगे पाया कि डी.ए.ई. के कई स्टोर अनुभागों के बीच कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं थी। परिणामस्वरूप, अधिशेष स्टॉक पर जानकारी का परिचालन ऑनलाइन नहीं किया गया था और केवल हार्ड कॉपी का ही परिचालन हुआ था। हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि मांगकर्ताओं के साथ—साथ सभी डी.ए.ई. इकाईयों के आर-पार स्टोर अनुभागों के द्वारा स्टॉक की उपलब्धता का समय पर मूल्यांकन, इस प्रकार उठाए गए संचालित समय और आवश्यकताओं की प्रक्रिया को कम करने और लंबे अवधि से पड़े बेकार स्टॉकों के उन्मूलन के लिए ऑनलाइन प्रसारण समय को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में कहा कि उपरोक्त पैराग्राफ में लेखाप्रक्रिया के द्वारा इंगित किए गए मुद्दों को मौजूदा योजना जो कि डी.ए.ई. में भूमिगत थे को विस्तृत तौर पर संशोधित किया जाएगा। छोटी इकाईयों में ई-खरीद को लागू करने के लिए विचार किया गया और तब अनुभव उपरान्त, इसे मुख्यालय सहित अन्य इकाईयों में बढ़ाया जाएगा। इसके अनुसरण में, एम.आर.पी.यू. निविदाओं को पहले ही आमंत्रित कर लिया है जिसे प्रारम्भिक अधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थल के रूप में चुना था और कार्य के लिए खरीद आदेश जारी किया गया था। समांतर प्रयासों को भी मुख्यालय में शुरू किया गया था और साथ निविदा के विशिष्टिकरण कार्यों को जारी किया जा चुका था जिससे ई-खरीद के कार्यान्वयन के लिए व्यापार का बाहर प्रवर्तन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

डी.ए.ई. ने 1998 में मैन्यूअल सामग्री प्रबंधन के हटाने के लिए डी.पी.एस. को कम्प्यूटरीकृत सामग्री प्रबंधन को लागू करने का अनुमोदन दिया। 2000 में खरीद गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत भी की गई थी। हालांकि 10 वर्षों के बाद भी, खरीद और स्टोर इकाईयों में खरीद, स्टोर और एकारंटिंग कार्यों के कंप्यूटरीकरण को सफलतापूर्वक लागू करने के योग्य नहीं बनाया गया। कंप्यूटरीकरण व्यवस्थित और योजनाबद्ध नहीं था। विकास जीवन चक्र जैसे डिजाइन फेज, विकास/परीक्षण फेज और वितरण/संक्रमण के सिस्टम के सामान्य अवस्था का पालन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, सिस्टम के कई डिजाइनों और क्रियान्वयन में कमी को विकसित किया। कई खरीद और स्टोर यूनिटों में लागू स्टॉलोन सिस्टम एक दूसरे के साथ संकलित किए गए थे, जो प्रयासों के दोहरीकरण और प्रभाव के घटाने का परिणाम थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनने जा रहे डीएई को इसके खरीद और सूची प्रबंधन कार्यों की दक्षता को बढ़ाने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के लाभ लेने की आवश्यकता है।



हमारी अनुशंसाएं

1. डीएई में शामिल खरीद गतिविधियों के परिमाण की दृष्टि में, स्पष्ट मार्गदर्शन और कंप्यूटरीकरण से संबंधित निर्देशों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
2. सभी खरीद और स्टोर इकाईयों के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए सभी डी.ए.इ. इकाईयों के ऑनलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सभी खरीद और स्टोर इकाईयों को खरीद और स्टोर गतिविधियों के बीच बेहतर नियंत्रण को प्राप्त करने में एकीकरण की आवश्यकता है।
3. इकाईयों स्तरों पर तकनीकी सहायता के साथ कंप्यूटरीकरण के लिए समर्पित कार्य बल को अपडेट करने, समस्या निवारण करने और डेटा को सुरक्षित रखने की सुनिश्चितता के लिए निर्मित किया जा सकता है।
4. परिशुद्ध और डेटाबेस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑन लाइन जांच में प्राकृतिक बनावट और नियंत्रण का आरंभ किया जा सकता है।
5. परिशुद्धता और आवश्यकताओं की प्रक्रिया की सामयिकता को सुनिश्चित करने के लिए डीपीएस के संबंधित मांगपत्र अनुभाग से मांगपत्र के प्रेषण में मैन्युअल हस्तक्षेप को हटाया जा सकता है।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्यवाही

ई-टेंडरिंग सिस्टम को लागू करने के लिए कारबाई शुरू की गई है। शुरूआत में इसे एम.आर.पी.यू. में और इसके क्रमांक में आईआरपीयू एच.आर.पी.यू., में, डी.पी.एस., ने डी.पी.एस. की सभी अन्य इकाईयों में लागू करने की योजना है। एक अनुबंध को इस उद्देश्य के पहले ही पुरस्कृत किया गया है और ई-टेंडरिंग समाधान के द्वारा सैम्प्ल फाइल, प्रक्रिया के तहत है। ई-टेंडरिंग समाधान का प्रयोग करके गैर संवेदनशील मांगपत्र की नियमित प्रक्रिया को एमआरपीयू में जून 2010 से प्रारंभ किया जाएगा। ई-खरीद समाधान की सेवाओं को तीन महीने के अंतराल पर अन्य इकाईयों के चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।

बी.ए.आर.सी. और आई.जी.सी.ए.आर. में कार्य प्रवाह संचालन प्रणाली को लागू करने के लिए कार्य की शुरूआत भी कर दी गई है जिसमें स्टोर प्रबंधन सूचना प्रणाली स्टोर और खरीद गतिविधियों को भी व्यवस्थित किया जाएगा। आई.जी.सी.ए.आर. में इस कार्य के लिए एक आदेश को पहले ही पुरस्कृत किया गया है और छ: माह की जपावे न उपभोक्ता को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार, बीएआरसी में इस प्रणाली को लागू करने के लिए, एक निविदा दी। डी.ए.इ. की अन्य इकाईयों में कार्य प्रवाह संचालन प्रणाली को एक प्रगतिशील तरीके से लागू किया जाएगा।

संवेदनशीलता के पहलुओं और डेटा की सुरक्षा पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल के द्वारा डी.ए.इ. इकाईयों के कंप्यूटरीकरण के विकेंद्रीकरण पर एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने की रणनीति तैयार करने के लिए, इस पहलू पर विचार विमर्श डीएई स्तर पर किया जाएगा।





अध्याय 4

प्राप्तियों की समयावधि

उद्देश्य 2 क्या प्राप्ति की समय सीमा उपयुक्त थी और अपनाई जा रही थी।

4.1 सार्वजनिक प्राप्ति की समय मर्यादा को आश्वासित करना कार्यक्रम के उद्देश्य को सक्षमता और प्रभावी रूप से पाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीएफआर¹⁴ के अनुसार, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सिस्टम में दक्षता, मितव्ययिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए।

इसे हासिल करने के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में लेना आवश्यक है:

- देरी को टालने के लिये प्राप्ति के हर स्तर के लिये उचित समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।
- निर्णय लेने के लिये लगाने वाले समय को कम करने के लिये निम्न कार्यकर्ताओं के लिये उचित प्रत्यायोजन करना चाहिए।
- बोली कि सच्ची वैधता में मांग पत्र दर्ज करना और बोली कि वैधता को खींचने कि कृती को टालना जरुरी है।
- क्रेन्द्रीय खरीद संस्थानों को उपभोगकर्ता मर्दों की बड़ी मात्रा में खरीद को प्रोत्साहन देना चाहिए।

सभी प्राप्तियों के लिये समयावधि की अनुपस्थिती

4.2 जून 2002 के सीमित और सार्वजनिक निविदाओं के लिये पहली बार डी.पी.एस. ने समयावधि निर्धारित की जबकि एकल निविदा के लिये कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी। कॉट्रैक्ट के अंतिम स्वरूप देने के लिये लगाने वाली समय मर्यादा की डी.पी.एस. ने एकल, सीमित और सार्वजनिक निविदाओं के लिये 2005 में रु. 50 लाख से ज्यादा की प्रमुख प्राप्तियों हेतु संशोधित समयावधि का निर्धारण तथा एकल संविधाओं के हेतु समय सारणी का पननिरिक्षण किया। हमने यह देखा कि इन आदेशों के तहत रु. 50 लाख से कम वाली एकल निविदाओं के लिये कोई निर्धारित समयावधि नहीं बनाई गई थी।

आगे हमने यह देखा कि, 2005 में सूचना वितरीत की गई थी जिसमें सार्वजनिक निविदा, मर्यादित निविदा, एकल निविदा, दो भाग में होने वाली निविदा ऐसे निविदा के विविध प्रकारों के अंतर्गत मांग की प्रक्रिया के लिये दी गई समयावधि को अक्टूबर 2009 के खरीद मैनुअल में स्थापित नहीं किया गया था।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझावों के अनुसार, सभी प्रकारों की निविदाओं हेतु समयावधि का पुर्णनिरिक्षण किया जाएगा।

4.3 2002 और 2005 में निविदा के सभी प्रकारों पर दी गई निर्धारित समयावधि के आधार पर, हमने यह गणना की कि औसतन डी.पी.एस. को औसत $6 \frac{1}{2}$ महीनों¹⁵ के भीतर खरीद आदेश का नियोजन करना था।

14 जी.एफ.आर का नियम 161(i) :— मंत्रालय और विभाग द्वारा खरीद के प्रत्येक स्तर हेतु उचित समयावधि से संबंधित खरीद कर्मचारियों और सर्तक होंगे।

15 2002 एवं 2005 में बनाई समयसीमा पर आधारित।



डी.पी.एस. द्वारा निर्धारित समय सारणी तथा जून 2002¹⁶ और अक्टूबर 2005¹⁷ में इसके आरपीयुज. के अनुसार डी.पी.एस. ने आदेशों के नियोजन में देरी की जैसा कि तालिका 4 में बताया गया है।

तालिका 4 मांगों की प्रक्रिया में देरी

निविदा प्रक्रिया	मांग / पीओ दर्ज करने की प्रक्रिया में देरी (2002 में डी.पी.एस. १ रा निवारित समय सीमा के अनुसार)			मांग / खरीद आदेश दर्ज करने कि प्रक्रिया में होने वाली देर (2005 में डि पी एस द्वारा दि गई समय सीमा के अनुसार)		
	मालों कि संख्या	मूल्य करोड रु. में	मालों कि संख्या	मूल्य करोड रु. में	मालों कि संख्या	(श्रेणी महीनों में)
सार्वजनिक निविदा (एकल बोली)	219	104.01	10 (1 to 32)	88	65.98	11 (1 to 30)
सेमिट निविदा (एकल बोली)	236	48.58	5 (1 to 22)	108	40.18	6 (1 to 29)
सार्वजनिक निविदा (दो बोली प्रणाली)	32	40.84	8 (2 to 19)	115	198.62	4 (1 to 48)
सेमिट निविदा (दो बोली प्रणाली)	05	6.39	4 (2 to 6)	29	128.69	5 (2 to 17)
एकल निविदा	17	6.32	8 (1 to 54)	41	57.54	3 (1 to 13)
कुल	509	206.14	8 (1 to 54)	381	491.01	6 (1 to 48)

* 2002 में, दो भाग निविदा तथा एकल निविदा पर मांग की प्रक्रिया हेतु निर्धारित समयावधि की अनुपस्थिति के मद्देनजर हमने 2002-03 से 2007-08 की समस्त अवधि हेतु 2005 में निर्धारित समयावधि को लाग किया।

हमने देखा कि हमारे द्वारा जांचे गए डाटा की रु. 3266.38 करोड़ मूल्य के 7816 खरीद आदेशों की होने वाली डी. पी. एस. और इसके आरपीयूज, मांग कि प्रक्रिया में रुपये 697.15 करोड़ के मूल्य के 890 खरीद आदेशों में 54 महीनों तक की देरी थी, इस तरह, प्राप्तियों को लगभग 11 प्रतिशत मामले में देरी थी।

डी.ए.ई. ने जबकि हमारे द्वारा इंगित देरियों को अभिस्वीकृति किया तथा बताया कि देश में पहली बार विकसित/कस्टम बिल्ट / उच्च प्रौद्योगिकी की प्राप्तियों की बहुताय को विचार करते हुए तथा निर्यातित देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंधनों के कारण भी देरी हुई थी।

जबकि हमारा दृष्टिकोण है कि इसकी गतिविधियों की विशिष्ट प्रकृति की संज्ञेय के मद्देनजर डी.ए.ई. द्वारा इनकी समयाविधि निर्धारित की गई थी तथा बड़ी संख्या में मामलों में देरी मांगपत्र की प्रक्रिया हेतु विभिन्न स्तरों पर वांछित समय प्राप्त गतिविधियों की मित्तव्ययिता एवं दक्षता को प्रभावित करेगा।

पी.ओज. के नियोजन में
देरी के परिणामस्वरूप
अतिरिक्त व्यय

4.4 हमने आगे यह निरीक्षण किया डी.पी.एस. और उसके आर.पी.युज. ने उन खरीद मामलों में जहाँ वितरकों द्वारा दर्ज किये गये मूल्य मर्यादित वैधता समय अवधी से बंधे हुए थे, की अविलम्ब प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया था। आदेश के लिए दर्ज करने में हो रही देर के ऐसे मामले ₹.24 करोड के थे, डी. ए.ई. को ₹.4.37 करोड का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। हम ₹. 22.67 करोड के दो उच्च मूल्य खरीद के उदाहरणों के बारे में

16 सार्वजनिक निविदा का 144 दिनों में अर्थात् 5 महीनों में प्रक्रिया कि जाती है और मर्यादित निविदा पर 124 दिनों में यानी 4 महीनों में प्रक्रिया की जाती है।

17 दो भाग निविदा पर सारांशिक निविदा : 271 दिन गैर टी.पी.टी. 218 दिन, टी.पी.टी. पर सीमित निविदा : 251 दिन और गैर टी.पी.टी. : 195 दिन एकल निविदा को 178 दिनों में पक्षिया का किया जाना होता है।



निम्नानुसार चर्चा करें। शेष रु. 1.33 करोड़ मूल्य के 5 मामले **परिशिष्ट I** में चर्चित किये गये हैं।

i. डी.पी.एस. ने चर्चित निम्नानुसार खोतों से 1 नवम्बर 2006 को स्टील एकट्रॉडेंड बास की प्राप्तियाँ जिनका अनुमानित मूल्य रु. 7.50 करोड़ था 120 दिनों कि वैधता के अनुबंध के साथ संविधाए मंगवाइ। वितरक ने संविदा को 1 नवम्बर 2006 को रु. 10.80 करोड़ की कुल मूल्य के साथ प्रस्तुत किया, जो 60 दिनों तक वैध थी। डी.पी.एस. ने 60 दिन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, परंतु वैध अवधि की समाप्ति से पहले वह ऑर्डर देने में विफल रहा और वितरक ने अपने मुल्य को रु. 2.36 करोड़ तक बढ़ा दिया। डीपीएस ने फर्म को केवल जुलाई 2007 में रुपये 12.90 करोड़ की बढ़ी हुई लागत से आर्डर दिया था। आर्डर देने में हुई देर के कारण डी.पी.एस. को रु. 2.10 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का वहन करना पड़ा।

डी.पी.एस. ने फरवरी 2009 में उत्तर दिया कि आर्डर देने में केवल व्यवहारिक देरी हुई थी डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह कहा कि एकल प्रक्रिया की मद होने के कारण संस्था ने वैधता को बढ़ाने वाले प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था।

डी.ए.ई. के उत्तर से हमारे दावे को पुष्टि मिलती है कि डी.पी.एस. को अनुबंध को समय पर अंतिम रूपण न देने के कारण रु 2.10 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझा उठाना पड़ा। आगे, डी.पी.एस. ने 6 महीनों की निर्धारित अवधि के विरुद्ध ऑर्डर को अंतिम रूप देने में लगभग एक वर्ष का समय लिया था जो यह दर्शाता है कि प्राप्ती गतिविधियों के लगभग सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण देर हुई थी।

ii. बी.ए.आर.सी. ने जून 2006 में निष्कासित ट्युब्स के लिये रु. 6 करोड़ का अनुमानित लागत हेतु एकल निविदा आधारित मांगपत्र दिया। परंतु फर्म द्वारा खरीद जाँच (पर्चेस एन्क्वाइरी) डी.ए.ई. द्वारा प्राप्ति कि मंजूरी में हुई देर के कारण नवंबर 2006 में ही उठाई गई। संस्था ने 16 नवंबर 2006 को रु. 7.83 करोड़ की लागत और 60 दिनों अर्थात् 15 जनवरी 2007 तक की वैध अवधि का समय प्रस्तुत किया जबकि डी.पी.एस. इस अवधि के दौरान आदेश प्रस्तुत नहीं कर सका था। कागज खरीद समिति ने जनवरी 2007 में कीमतों के भावतोल की सलाह दी थी। जबकि कीमतों को कम करने के निवेदन पर वितरक ने कम कीमत लगाने के स्थान पर रु. 7.83 करोड़ से कीमत बढ़ाकर रु. 9.77 करोड़ कर दी थी। वास्तविक प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के कारण, डी.पी.एस. को सितंबर 2007 में रुपये 9.77 करोड़ की संशोधित लागत का आदेश दिया, जिससे डी.पी.एस. पर रु 1.94 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में उत्तर दिया कि, एकल पुछताछ के आधार पर प्राप्ती को ध्यान में लेते हुए, प्राप्ती ऐंजंसी को विभाग से विशिष्ट मंजूरी लेने कि आवश्यकता थी और प्रक्रियात्मक और मंजूर किए गये मुद्राओं के मुताबिक चलाना जरुरी था, जिसकी वजह से अतिरिक्त खर्च हुआ। डीएई का जवाब इस तथ्य की स्वीकार्यता है कि होने वाली क्रियाविधिक देरी में इसकी असफलता और प्रस्ताव के वैधता की अवधि के भीतर आदेश को नहीं रखे जाने के कारण रुपये 1.94 करोड़ का अपरिहार्य खर्च हुआ।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में आगे लेखापरीक्षा द्वारा कहा कि उद्दित मामलों के अनुसार, प्रणाली में दक्षता, मितव्यता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। आगे यह कहा कि इसे हासिल करने के लिये प्राप्ति के हर स्तर के लिए उचित निर्धारित समयावधि बनाने और उनका कड़ाई से पालन करने का प्रयास भी किया जाएगा।

**निष्कर्ष**

हमने यह पाया कि रु. 50 लाख से कम की एकल निविदा प्राप्तियों के लिये किसी भी प्रकार कि समयावधि नहीं थी। हमने आगे यह भी देखा की प्राप्ती के लगभग 11 प्रतिशत मामलों में समयावधि से ज्यादा देरी हुई है और खरीद आदेशों के कार्यान्वयन में 54 महीनों तक देरी हुई थी। इस देर के कारण डी.एई. पर अतिरिक्त वित्तीय देय का बोझ था।

हमारी अनुशंसाएं

6. डी.एई. को 50 लाख से कम होने वाली एकल रु. निविदा प्राप्तियों के लिये समयावधि निर्धारित करनी चाहिए। डी.एई. को आदेशों के नियोजन में देरी को भी टालना चाहिए।

7. डी.एई. को उचित निरीक्षण तंत्र लागू करना जरूरी है जिससे निविदाओं के कार्यान्वयन और अंतिम स्वरूप के लिये निर्धारित अवधि का डी.एई. की विभिन्न प्राप्ती एजंसीयों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

डी.एई. के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

प्राप्ती के विविध स्तरों, भंडारों और वस्तुसूची गतिविधियों के लिये समय सीमाएं तय की जानी चाहिए और सभी संबंधितों को आदेश जारी किये जाने चाहिए।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 3 महीने

डी.एई. की विभिन्न इकाईयों में इस प्राप्ती प्रक्रिया में परियोजना प्राधिकारियों की पर्याप्त उपस्थित होनी चाहिए।

इसीलिए समय सीमा के कड़ाई से पालन हेतु एक कृती संघ नियुक्त किया गया जिसमें अनेक सहभागी इकाईयों के सदस्य शामिल हैं, जो मामले का बारीकी से मुआयना करेंगे और लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों पर कार्य करने के लिये नीति का सुझाव देंगे। डी.पी.एस. द्वारा डी.एई. को प्रस्तावित कृती संघ/समिति का सम्मिश्रण सुझाया गया। समिति की सिफारिशों पर आधारित अवश्यक आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे जैसा कि खरीद मैन्युअल के खंड 36.1.5 से अपवृद्धि है।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा

1) डी.एई. द्वारा समिति/कृत्यक बल की अधिसूचना – 2 महीने

2) इसके गठन के 6 महीनों के भीतर डी.एई. द्वारा समिति बनाई जाएगी।





अध्याय 5 प्राप्ति के लिये नियोजन

उद्देश्य 3: क्या उत्तरी गई मांगे वास्तविक थीं और प्राप्तियों हेतु नियोजन दक्ष था?

5.1 प्राप्ति हेतु नियोजन में वास्तविक और समय पर की गई मांगों की जाँच, उचित मूल्य का अंदाजा लगाना, बाजार समीक्षा करना जिससे वितरण के संभव स्रोतों की पहचान हो सके, अनुर्वर्ती निविदा को टालने के लिये एक जैसी मांगों को एकत्रित करना और मात्रा छूट पाना, तथा प्राप्ति के उचित मार्ग का अवलंब करना जैसे घटक एवं माल और सेवा की समय पर उपलब्धता पाने हेतु सुयोग्य नीति का अवलंब करना जैसे घटक अंतर्गत होते हैं।

हमने यह देखा कि डी.ई.ए. में हो रहा प्राप्ति नियोजन अपर्याप्त था क्योंकि मांगकर्ताओं द्वारा जरूरतों का यथार्थता से आंकलन नहीं हुआ था। मांगकर्ता की आवश्यकतानुसार प्राप्तियों की प्राप्ति चक्र में आवश्यकता की प्राथमिकता की त्रुटियाँ योजना नहीं की गई थीं, और विभिन्न उपभोगकर्ता की जरूरतों को एकत्रित नहीं किया गया प्राप्ति चक्र में आवश्यकता की प्राथमिकता व मांगपत्र में त्रुटियाँ थीं जोकि अदक्ष खरीद को दर्शाता है।

प्रापण चक्र की आवश्यकताओं के प्राथमिकता में कमियां

जरूरत के समय के पश्चात खरीद आदेशों का जारी करना

5.2 डी.ए.ई.¹⁸ और जी.एफ.आर.¹⁹ के खरीद प्रक्रिया में दर्शायी गई जरूरतों में स्पष्टता महत्व पर बल दिया गया है। प्रक्रिया अनुसार मांगकर्ताओं द्वारा दिये गये वितरण समयसारणी को खरीद कि प्राथमिकता के लिये और घटकों की प्राप्ति के लिये निविदा के प्रकार के चयन को ध्यान में लेना जरूरी है। इस विषय में हमने निम्नलिखित कमियां पाईं।

5.3 हमने यह निरीक्षण किया कि डी.पी.एस. और इसकी आर.पी.यु.ज. मांगकर्ताओं की जरूरतों को और प्राप्ति प्राथमिकता को जिससे मांगकर्ताओं द्वारा दिये गये दिनांक से पहले डिलीवरी की आश्वासकता मिलती है, समझने में नाकामयाब रहे। 400 मांगपत्रों के नमूनों का हमने निरीक्षण किया कि, जिनकी कीमत 128.36 करोड़ रुपये थी हमने देखा कि 157 मांगपत्र मामलों में (39 प्रतिशत), डी.पी.एस. और उसके आर.पी.यु.ज. ने मांगपत्र में इंगित की गई वितरण दिनांक से 25 महिनों तक की देर के बाद ऑर्डर दिये (औसत 6 महिने)। यह मांगपत्र उनके पी.ओ. जारी होने के तीन से 27 महीना समय से पहले जारी किए गए थे।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह उत्तर दिया कि डी.पी.एस. के कड़े प्रयत्नों के पश्चात भी निम्नलिखित कारण थे जैसे:

- परियोजनादल द्वारा आपूर्तिकर्ता की तकनीकी मूल्यांकन की जरूरतों को पूरा करने वाले खरीद निर्णय लेने में देरी।
- विविध समितियों द्वारा अनुमोदन कानून के अनुसार अनुबंध को लागू करने हेतु वितरकों के साथ व्यावसायिक समझौते।

जबकि, हमारा यह मानना है कि, प्राप्ति चक्र और प्रक्रिया को पटरी पर लाना आवश्यक है जिससे पी.ओ. को समय पर दर्ज किया जाए और निर्धारित मांगकर्ता, वितरण सारणी के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

18 डी.ए.ई. कि खरीद प्रक्रिया का नियम 2.1.1.3

19 जी.एफ.आर. के अध्याय 6 में दिये गये नियम 137(प) और (व) में अनुबन्धित है कि गुणवत्ता से समबिन्धत विनिर्देश इत्यादि जैसे प्रापण की जाने वाली साधन की गुणवत्ता भी संगठन की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट विभाजन करना चाहिए।



**मांगकर्ताओं द्वारा
आवश्यकताओं की
अभिव्यक्ति में स्पष्टता
की कमी**

5.4 हमारे द्वारा की गई 400 मांगपत्रों को नमूना जांच में, हमने आगे देखा कि डी.पी.एस., एच.आर.पी.यु. और आई.आर.पी.यु. से सम्बंधित रु 367.28 करोड़ मूल्य के 150 मांगपत्रों में 38 प्रतिशत में मांग कर्ताओं ने वितरण सारणी के विरुद्ध तुरन्त, तत्काल, अतिशीघ्र इत्यादि जैसी अस्पष्ट शब्दावली का प्रयोग किया था। डी.पी.एस. की खरीद प्रक्रिया इस तरह की शब्दावली को मान्यता नहीं देती और इसलिए, पत्राचार समयाविधि भी नहीं थी। इस तरह की शब्दावली प्राप्ति में योजना की कमी को दर्शाता है क्योंकि इन्हें वास्तविक समय जिसमें आपूर्ति चाहिए थी, इंगित नहीं था। आगे इस लक्ष्य को जोर देकर बताया गया है कि रुपये 38.22 करोड़ के मूल्य के इन 35 मामलों में खरीद आदेश तिथि 8 से 29 महीने पहले मांग प्राप्ति हो गई थी, और इन्हें आवश्यक तुरंत, प्राथमिकता के आधार पर दर्शायी/अंकित किया गया था। अतः डी.पी.एस. द्वारा इन मामलों की प्रक्रिया को दस्तूरी ढग से किया गया था। हमने यह भी देखा है कि 19 मामलों में जिसका मूल्य रुपये 106.81 करोड़ था, मांगें 26–64 महीने पहले की गई थी, परन्तु आपूर्ति अक्टूबर 2009 तक भी पूरी नहीं हुई थी।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में इसका जवाब देते हुए कहा कि जो आवश्यकताएँ तुरंत एवं तत्काल आदि से अंकित थीं वो सिर्फ नोशनल थीं क्योंकि उपभोक्ता उम्मीद करते हैं कि डी.पी.एस. ऐसे मामलों को प्राथमिकता देगा।

डी.ए.ई. का उत्तर उसके अपने ही व्यान से मेल नहीं खाता था कि अनुमानित सामाग्री की आवश्यकता, उसका मूल्य और माल देने की तारीख जो मांग पत्रों पर दिखाई गई थीं वे मांग अधिकारियों ने ठीक से बनाई हैं और डी.पी.एस. ने ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए खरीद की प्रकार को तय किया ताकि आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके।

हमने यह भी देखा कि, अक्टूबर डी.ए.ई. द्वारा 2009 में क्रय निमावली में इस तरह के अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध निर्धारित नहीं किया गया था।

डी.ए.ई. ने बताया है कि अच्छे अनुवीक्षण एवं अनुवर्तन तंत्र की अपेक्षा की जा रही है जो कि लीड के टाइम को कम करेगा।

**लागत का सही अनुमान
न लगाना**

**पी.ओ. मूल्य और
अनुमानित कीमतों के
बीच अंतर**

5.5 अनुमानित लागत की सत्यापन को जिसे कि सामान्य वित्तीय नियमों²⁰ के साथ-साथ डी.ए.ई. की खरीद प्रक्रिया²¹ में महता है कि मात्रा की सवीकृति और निविदा के तरीके का निर्णय, अनुमानित लागत पर निर्भर करती है। सी.वी.सी. ने अपनी मार्गदर्शिका²² में निर्दिष्ट किया है कि मूल्यों के औचित्य को प्रमाणित करने में अनुमानित लागत एक अनिवार्य तत्व है तथा वास्तविक आंकलन की गणना करते समय प्रचलित बाजार मूल्य, पिछला खरीद मूल्य, इनपुट लागत, कच्चा माल/मजदूरी के लिए आर्थिक समूह इत्यादि को ध्यान में रखकर पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

5.6 हमने पाया कि डी.पी.एस. में मांग अधिकारी द्वारा दिए अनुमानित लागत की विशुद्धता के प्रतिपरीक्षण हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। अनुमानित लागत और खरीद मूल्य की समीक्षा पर, हमने पाया कि रुपये 602.35 करोड़ के मूल्य के 736 मामलों में से 64 प्रतिशत मामलों में पी.ओ. मूल्य अनुमानित मूल्य से 11 से 876 प्रतिशत अधिक थी और 279.12 करोड़ रुपये के मूल्य के 36 प्रतिशत मामलों में, अनुमानित मूल्य पी.ओ. मूल्य से 10 से 371 प्रतिशत अधिक थे, जैसा कि सारणी 5 में दिखाया गया है।

20 जी.एफ.आर. का नियम 150 : रुपये 25 लाख और अधिक के अनुमानित मूल्य के सामान की खरीद के लिए निविदा को विज्ञापन के जरिए मंगवाना चाहिए। जी.एफ.आर. का नियम 151: जब रुपये 25 लाख तक के अनुमानित मूल्य के सामान की खरीद हो तो समिति निविदा के तरीके को अपनाना चाहिए।

21 खरीद प्रक्रिया के नियम 1.1 में अनुबंधित है कि संबंधित अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे मांगी गई मद के अनुमानित मूल्य तक मदों को अनुमोदित करने का अधिकार है।

22 सी.वी.सी. मार्ग दर्शिका का अनुबंध 5



सारणी—5

अनुमानित लागतों में विविधता

इकाई	पी.ओ. की संख्या जिस पर टिप्पणी की गई	पी.ओ. का मूल्य (रूपये करोड़ में)	न्यूनानुमानित कीमत				अधिमूल्यांकित कीमत		
			मामलों की संख्या	मूल्य (रूपये करोड़ में)	विविधता (प्रतिशत में)	मामलों की संख्या	मूल्य (रूपये करोड़ में)	विविधता (प्रतिशत में)	
डी.पी.एस.	484	413.70	317	326.61	11-266	167	87.09	10-108	
एचआरपीयू	128	356.01	74	195.74	11-780	54	160.27	12-81	
एमआरपीयू	78	55.55	42	29.46	11-876	36	26.09	14-371	
आईआर पीयू	46	56.21	39	50.54	11-322	7	5.67	12-40	
कुल	736	881.47	472	602.35	11-876	264	279.12	10-371	

अक्टूबर 2009 में, इसके जवाब में डी.ए.ई. ने कहा कि अनुमानित लागत प्रायः प्रारंभिक खरीद विवरण, प्रयोक्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बजट प्रस्ताव पर, ऐसे सामग्रियों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध मूल्य डेटा और इंडेन्टिंग अधिकारी के द्वारा विचार किए गए उनके आवश्यकता में शामिल कई जॉब के अनुमानों पर आधारित प्रयोक्ता के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अनुबंध को पूरा करते समय अनुमानित कीमत और वास्तविक कीमत के बीच ज्यादा के अंतर की स्थिति में, इस प्रकार विविधताओं का उल्लेख इंडेन्टिंग अधिकारी के द्वारा उपयुक्त रूप से किया जाता है, जिसे डी.पी.एस. के द्वारा अनुबंध बनाने और जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा अंतिम रूप से देखा और अनुमोदित किया जाता था।

डी.ए.ई. के जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि अनुमानित कीमतों को सामान्यतः पिछले खरीद की कीमत के द्वारा या कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार के खरीद कीमतों के प्रति सलाना मिश्रित वृद्धि के आपूर्ति के द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसी बढ़ी हुई अनुमादित लागत, फर्म को उच्च मूल्य की अदायगी और स्वीकार्यता का परिणाम हो सकता है जैसे कि सी.वी.सी. द्वारा भी संदेह किया गया था। हमारा मानना है कि डी.ए.ई. के द्वारा 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान दिए गए रूपये 1778.84 करोड़ के मूल्य के खरीद आदेश का 93.52 प्रतिशत को या तो सीमित निविदा पर याएकल निविदा के आधार पर प्रक्रियाबद्ध किया गया था। इन्हें अधिक वास्तविकता और बाजार भाव की मौजूदा प्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए इसे संभव बनाया जाना चाहिए।

हमने यह भी देखा कि न तो खरीद प्रक्रिया और न ही अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई. के द्वारा लाए नए खरीद नियमावली अनुमानित लागत और स्वीकृत निविदा लागत के बीच अंतर की स्वीकार्य प्रतिशतता को निर्धारित करती हैं। स्वीकार्य विविधता के लिए ऐसी श्रेणी को निर्धारित करने से पारदर्शी और उद्देश्य से बोली गई कीमतों के उचित निर्धारण के लिए बैचमार्क प्रदान किहो सकेगा। इस संबंध में व्यापक मार्ग दर्शन अनुमानित लागत के इंडेन्टिंग अवस्था निर्माण में अधिक विशुद्ध मांगपत्र को तैयार करने में मदद कर सकता है।

वार्षिक खरीद योजना की अनुपस्थिति

5.7 डी.ए.ई. के पास खरीद इकाईयों की वार्षिक खरीद योजना के बनाने और संचरण के लिए प्रणाली नहीं है, जिसे संभावित स्थिति में कुशल योजना और मजबूत आवश्यकता हेतु सहायोग किया जा सके। व्यक्तिगत मांगपत्रों पर आधारित खरीदों को टुकड़ों से बनाया गया। इस प्रकार, डी.ए.ई. के द्वारा अपनाई गई खरीद प्रणाली प्रभावी कीमत को बढ़ावा नहीं देती है और प्रसंस्करण लागत और समय को अनुकूलित भी नहीं करती है।

मांगपत्रों को सम्मिलित

5.8 कुशल खरीद प्रणाली के अनुसार खरीद अधिकारियों को अंतिम खरीद की मात्रा जाने के लिए को विभिन्न मांगपत्रों से प्राप्त समेकित मांग को इकट्ठा करना जरूरी है। डी.ए.ई. की

**नहीं किया गया**

खरीद प्रक्रिया²³ में अनुबंधित है कि मांगपत्र स्वीकृत करने के लिए सशक्त अधिकारियों को मांगपत्र उठाते समय प्रत्येक मद के विरुद्ध उसकी आवश्यकताओं के अधिकतम संभावित समेकन को सुनिश्चित करना चाहिए। खरीद आवश्यकताओं को सम्मिलित करना भी अधिक प्रतियोगी और सर्वश्रेष्ठ कीमतों के प्राप्ति को भी सुनिश्चित करता है। इस कमी को स्पष्ट करने के लिए मामले के अध्ययन का वर्णन नीचे किया गया है।

डी.पी.एस. और एच.आर.पी.यू. ने अपनी सामान्य विशिष्टताओं वाली आवश्यकताओं जिनका मूल्य रूपये 3.53 करोड़ था के नौ मामलों को सम्मिलित नहीं किया था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- दो से पांच महीनों के अंतराल पर 35.98 लाख रूपये के मूल्य के कार्सिक सोडा के लिए डी.पी.एस. के द्वारा तीन पी.ओ. दिए थे।
- 9875 रूपये प्रति एमटी के दर से रूपये 39.50 लाख और 9150 रूपये प्रति एमटी के दर से रूपये 19.21 लाख के मूल्य के एनहाइड्रस अमोनिया के 400 एमटी और 210 एमटी के दिए गए थे। क्रमशः अक्टूबर 2002 और दिसंबर 2002 में दो पी.ओ. दिए गए थे। भारी जल संयंत्र मनुगुरु और बरोडा द्वारा 39 दिनों की अवधि में इन आवश्यकताओं के लिए मांगपत्र दिया था।
- दो पी.ओ. रूपये 2.39 करोड़ के मूल्य पर भट्टी तेल के लिए डी.पी.एस. के द्वारा एक महीने के भीतर दिए गए थे।
- इम्यूनोलॉजी किट हेतु अक्टूबर 2002 और मार्च 2003 में क्रमशः 6.72 लाख रूपये और 12.20 लाख रूपये की कीमत के दो पी.ओ. दिए थे। हमने पाया कि दो माह की अवधि के भीतर अर्थात् जून 2002 और अगस्त 2002 में इन दो आदेशों के लिए मांगपत्रों दिया गया था।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में, जवाब दिया कि डी.ए.ई. प्लांट की आपूर्तिकर्ताओं के निकटता के कारण, आपूर्तिकर्ताओं ने केवल विशिष्ट प्लांटों की बोली को चुना; जैसे—भारी जल प्लांट (मानुगुरु) के लिए एसिड की आवश्यकता के लिए, बोली लगाने के लिए केवल आंध्र प्रदेश और उसके आस—पास के आपूर्तिकर्ताओं में तरजीह दी। जटिल रसायनों और गैसों की आवश्यकता की योजना प्लांटों में उत्पादन की गतिविधियों के अनुसार बनाई गई थी। आगे कहा गया कि यद्यपि सामरिक सामग्रियों के लिए प्लांटों के बीच समन्वय प्राप्त करना कठिन था, इसलिए विभिन्न आदेशों को रखना स्वभाविक बन गया।

हालांकि, हमने पाया कि अधिकांश उद्धृत मामलों में, आपूर्तिकर्ता के वितरण स्थानों की भौगोलिक स्थिति एक सी नहीं थी। उदाहरण के लिए, ऊपर के पैराग्राफ 5.8 (1) में, सभी आपूर्तिकर्ता मुंबई के थे लेकिन उनका वितरण स्थल मुंबई, तमिलनाडू और राजस्थान था। हमारा मानना है कि इन मामलों में खरीद यूनिटों को थोक की पहचान करने की नीति और नियमित रूप से उपयोग होने वाले साधारण सामग्रियों जैसे रसायन और तेल पर विचार किया जाना चाहिए था जिसमें उसे सम्मिलित करने की संभावना का पता लगाने के लिए अग्रिम रूप से उसकी आवश्यकताओं को संचरित करने और प्लांटों की योजना को सुनिश्चित किया जा सके।

हमने आगे देखा कि मांगपत्रों के द्वारा प्रत्येक मद के विरुद्ध समेकित आवश्यकताओं के लिए खरीद मैनुअल को इस प्रावधान था। परन्तु अक्टूबर 2009 में बनाए गए क्रय नियमावली में इस प्रावधान को छोड़ दिया गया। समेकित आवश्यकता के लिए तो व्यक्तिगत खरीद इकाई स्तर पर या अंतर – आर.पी.यू. स्तर पर आगे कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

5.9 इस अध्याय के अवलोकनों पर इसकी टिप्पणियों के सारांश पर, डी.ए.ई. ने कहा कि प्रत्येक अनुसंधान और विकास कार्य विशिष्ट प्रकृति के हैं तथा कई विशेष उच्च सामग्रियों की

23 डी.ई के खरीद प्रक्रिया का खंड।



आवश्यकता है और अधिकांश मामलों में सभी परियोजनाओं के लिए खरीद की सामान्य आवश्यकता के होने की संभावना नहीं थी। आगे कहा गया कि विभिन्न परियोजनाओं में आवश्यक विशेष उच्च सामग्री के लिए आवश्यकताओं का मिलाना मिलाना संभव नहीं था। डी.ए.ई. के द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान और विकास गतिविधियों के प्रकृति का वर्णन करते समय, हमारा मानना है कि कीमत व समय की भागदौड़ और निर्णक खरीद से बचने हेतु परियोजना के लिए खरीद की योजना के प्रभावी बहुत और लघु स्तर पर उचित समय, स्थान और कीमत पर उपस्कर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

खरीद की योजना को और अधिक व्यवस्थित और दक्ष बनाने के लिए वार्षिक खरीद योजना की तैयारी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। 39 प्रतिशत नमूनों की जांच के मामलों में हमने पाया कि मांगपत्र की आवश्यकताओं की अत्यावश्यकता का सज्ञान लिए बिना एक नियमित तरीके से कई खरीद मामलों को संशोधित किया गया। हमने यह भी पाया कि मांगपत्रों के परियोजित मूल्य और खरीद आदेशों के मूल्यों के बीच बहुत ज्यादा का अंतर था। और आवश्यकतों का इकट्ठा नहीं किया गया था, इस सभी से है; योजना प्रक्रिया में कमीयां उजागर होती हैं।

हमारी अनुशंसाएं

8. देरी और आवर्ती खरीद से बचने के लिए वार्षिक खरीद योजना खरीद इकाईयों को समेकित आवश्यकताओं को इकट्ठा करके और अग्रिम रूप में तैयार करके संचारित किया जा सकता है जिससे कि धन की उपयोगिता को अधिकतम बनाया जा सके।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

डी.पी.एस. एस. की एस वार्षिक खरीद आवश्यकताओं/योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए डीपीएस से परामर्श कर डी.ए.ई. के कई संघटक इकाईयों में डी.ए.ई. के साथ परामर्श सभी परियोजना अधिकारियों को अपरोक्ष करेगा। यह रूपये के सर्वोत्तम मूल्य के प्राप्ति के साथ-साथ परिहार्य विलंब के खरीद को सेकने के लिए समेकित आवश्यकताओं के साथ-साथ अग्रिम कार्य को शुरू करने में यह डी.पी.एस. को सक्षम बनाएगा।

प्रस्तावित कार्य के लिए समयसीमा -2 महीने

9. डी.ए.ई. प्रबंध के तंत्र को सरल और कारगर बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी गतिविधि/परियोजना के लिए समय सारणी के अनुरूप आपूर्ति पहुँच जाए और पी.ओ. समय पर जारी किए जाएँ।

गतिविधियों/परियोजनाओं की समय-सारणी के सामंजस्य में प्रबंधों की योजना बनाने के लिए डी.ए.ई. की विभिन्न इकाईयों के परियोजना अधिकारियों पर विशेष दबाव बनाया जाएगा।

प्रस्तावित कार्य के लिए समयसीमा -2 महीने

10. डी.पी.एस. की प्राप्तियों की अनुमानित लागत और वास्तविक क्य मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए, डी.ए.ई. को एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से स्वीकार योग्य अंतर का क्षेत्र निर्धारित करने की उपयुक्तता का परीक्षण करना चाहिए, ताकि कोट किए गए मूल्यों के औचित्य के निर्धारण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए जा सकें। दस्तावेज तैयार करने के चरण के दौरान दस्तावेज अधिकारियों को ज्यादा ठीक मूल्यों वाले अनुमान तैयार करने के लिए व्यापक निर्देशों का समूह विकसित किया जाना चाहिए।

दस्तावेज अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा कि वे परियोजना की समय-सारणी आदेश जारी करने के प्रक्रियाकाल और आपूर्ति समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए ही सामग्रियों के प्रबंध की योजना तैयार करें।

उपरोक्त समय सीमा को ध्यान में रख कर उन्हें दस्तावेजों पर वास्तविक आपूर्ति समय सारणी लिखने के लिए भी कहा जाएगा।

प्रस्तावित कार्य के लिए समयसीमा -1 महीना

एक परिपत्र जारी किया जाएगा जिसमें सभी दस्तावेज अधिकारियों को सलाह दी जाएगी कि वे दस्तावेज जारी करते समय विस्तृत हिसाब और अनुमानित मूल्य तक पहुँचने का आधार प्रस्तुत करें। अनुमानित मूल्य का हिसाब लगाते समय



हमारी अनुशंसाएं

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

एक समान पद्धति अपनाने के लिए भी सही निर्देश जारी किए जाएंगे।

प्रस्तावित कार्य के लिए समयसीमा – 1 महीना

11. पी. ओ. समय पर जारी किए जाने चाहिए ताकि दस्तावेजों में निर्धारित समय सारणी के अंदर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आवश्यकता को अभिव्यक्ति बेहतर खरीद योजना के लिए विशिष्ट समयावधि तय करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण, प्राथमिकता, के आधार पर की जानी चाहिए।

आपूर्ति आवश्यकताओं के संबंध में 'अत्यंत महत्वपूर्ण', 'प्राथमिकता में', 'तत्काल' आदि अभिव्यक्तियों के साथ जारी किए गए दस्तावेजों को बड़े पैमाने पर हतोत्साहित किया जाएगा और दस्तावेज अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट समय-सीमा/ तारीख आवश्यक रूप से निर्दिष्ट किए जाएँ। इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया है कि आवश्यक क्षेत्रों के साथ एक मानक दस्तावेज प्रारूप विकसित किया जाए, जिसके बिना दस्तावेजों को डी. पी. एस. पर पंजीकृत करना संभव नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि क्षेत्रों को आवश्यक कर दिए जाने से दस्तावेज अधिकारी आपूर्ति आवश्यकताओं को आवश्यक रूप से निर्दिष्ट करने के लिए स्वीकृति देंगे। जिस परिपत्र को सीरियल संख्या 10. के परामर्शों का पालन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है, वह इस आवश्यकता को भी पूरा करेगा।

प्रस्तावित कार्य के लिए समयसीमा –1 महीना।

12. विभिन्न सामान्य सामग्रियों, उनकी विशिष्टताओं, चालू मूल्य, आपूर्ति के स्रोत आदि का एक केंद्रीकृत डाटाबेस कायम करना चाहिए और यह आवश्यकताओं के ठीक अनुमान एवं मूल्यों के सही निर्धारण के लिए सभी उपभोगकर्ताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।

निष्पादन लेखा-परीक्षा में अनुशंसित विभिन्न समान उपभोक्ता सामग्रियों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस बनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए डी. पी. एस. द्वारा एक वृहद् संकेत-निर्धारण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें केवल बी. ए. आर. सी. के अंतर्गत आने वाले 75000 से 100000 संख्याओं तक की सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक बाह्य पेशेवर संस्था की सहायता लेने पर विचार किया जा रहा है। संकेत-निर्धारण प्रक्रिया के एक बार पूर्ण हो जाने पर बी. ए. आर. सी. के अलावा दूसरी इकाइयों द्वारा प्रबंधित की जा रही एक ही/एक जैसी सामग्रियों को समान सामग्री संकेत संख्या प्रदान करने के लिए समन्वय की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –1 से 2 वर्ष।





अध्याय 6

निविदा प्रक्रिया और संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं वस्तुनिष्ठता

उद्देश्य 4 : क्या प्रक्रियाएँ एक प्रतियोगी और निष्पक्ष तरीके से लागत का सही मूल्य प्राप्त करने के लिए की गईं, और क्या निविदाओं के मूल्यांकन की प्रणाली वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी थीं।

6.1 धन की सही उपयोगिता प्राप्त करने के लिए सरकारी क्य एक प्रतियोगी, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाने चाहिए। एक अच्छी प्रबंध प्रक्रिया न सिर्फ निष्पक्ष होनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी देनी चाहिए।

हालांकि हमने पाया है कि अपनी ही क्य प्रक्रिया से हटते हुए डी.ए.ई. ने निविदाओं की सामान्य प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है, आदेशों का खंडन किया है, आदेश फिर से जारी किए हैं, निम्नतम बोली लगाने वालों के अलावा अन्य लोगों को संविदा जारी की है, तकनीकी रूप से अयोग्य प्रस्तावों को स्वीकार किया है और सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों से हटकर आदेश जारी किए हैं। यह सब आगे के अनुच्छेदों में बताया जा रहा है।

6.2 हमने पाया कि डी.ए.ई. द्वारा 2004–05 से 2008–09 तक पूर्ण की गई 32887 निविदाओं में से लगभग 5 प्रतिशत सार्वजनिक निविदाएँ, 84 प्रतिशत सीमित निविदाएँ और 10 प्रतिशत एकल स्त्रोत चयन निविदाएँ थीं। शेष, लगभग एक प्रतिशत कियाएं दो-भाग निविदाओं के आधार पर तैयार किए गए थे, जो सार्वजनिक, सीमित या एकल थे। इस प्रकार, अधिकतर कियाओं में डी.ए.ई. की क्य प्रक्रिया को केवल कुछ सीमित प्रतिद्वंद्विता प्राप्त हुई।

सीमित निविदाओं का चयन करने के प्रमुख कारण हैं— अपूर्ति के सीमित स्त्रोत, कुछ प्रबंधों की संवेदनशील प्रकृति, और अधिकतर कियाओं की कीमत सार्वजनिक निविदा के लिए प्रस्तावित 10 लाख रुपयों की उच्चतम सीमा (फरवरी 2006 में संशोधन के बाद 25 लाख रुपये) से कम होना।

जैसा कि हमने अनुच्छेद 5.8 में पहले ही दर्शाया है, डी. ए. ई. ने एकीकृत वार्षिक प्रबंध योजना तैयार करने के लिए कोई प्रणाली तैयार नहीं की थी और अपनी प्रबंध संस्थाओं को यह अनुमति दे रखी थी कि वे समान सामग्रियों के लिए दस्तावेजों का संग्रह किए बिना ही थोड़े-थोड़े हिस्सों में क्य करें। इसलिए हमने पाया कि डी. ए. ई. द्वारा किए गए ज्यादातर प्रबंध 10 लाख रुपये से कम कीमत के थे और सीमित निविदा के लिए निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत आते थे। हमारा विचार है कि अगर प्रबंध योजना को उपयुक्त आवश्यकता—मूल्यांकन और दृढ़ीकरण के द्वारा सुगठित किया जाए, तो असंवेदनशील, समान उपयोग की सामग्रियों के लिए सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्द्ध का उच्चतर स्तर प्राप्त किया जा सकता है।

6.3 डी. ए. ई. की क्य प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे सभी मामलों में जहाँ एक सामग्री या एक समय पर खरीदी जाने वाली व एक ही दस्तावेज के अंतर्गत आने वाली सभी सामग्रियों का अनुमानित मूल्य 10 लाख रुपयों (फरवरी 2006 के संशोधन के बाद 25 लाख रु.) से अधिक हो, सार्वजनिक निविदाएँ मांगी जाती हैं। जहाँ एक सामग्री या एक समय पर खरीदी जाने वाली व एक ही दस्तावेज के अंतर्गत आने वाली सभी सामग्रियों को अनुमानित मूल्य ₹ 0.20 लाख से अधिक हो, पर ₹ 10 लाख से अधिक न हो जिससे यथासंभव अधिक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क साधना सुनिश्चित हो सके, ऐसे मामलों सीमित निविदाएँ अपनाई जा सकती हैं। जब सामग्री का अनुमानित मूल्य रुपये 2 लाख से अधिक होता है तब निविदा को कम से कम 10 फर्मों को जारी करना चाहिए। डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया²⁴ अत्यावश्यकता के आधार पर केवल केवल सीमित निविदा के पक्ष में निविदा के सामान्य मोड की व्यवस्था से

निविदा प्रक्रिया की सामान्य प्रणालियों से हटना जिन्हें अनुकूल अनुपर्ती कार्यवाही का सहयोग प्राप्त नहीं था,

24 डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया का नियम 2.1.2.1



अत्यावश्यकता के आधार पर एकल निविदा मोड को अपनाना

हटने को प्रदान करती है। डीएई की खरीद प्रक्रिया²⁵ आगे निर्दिष्ट करती है कि एकल निविदा केवल तब निर्धारित किया जाता है जब सामग्री केवल एक स्त्रोत से उपलब्ध हो या जब सामग्री मालिकाना प्रकृति की हो।

9.38 करोड़ रुपये के मूल्य के निम्नलिखित पांच स्थितियों में, अत्यावश्यकता के आधार पर सामान्य मोड के निविदा से हट कर सीमित /एकल निविदा मोड को अपनाया गया। इन मामलों में, या तो आपूर्ति वांछित वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावित नहीं किया जा सका या डीपीएस और इसके आरपीयू को उपकरण की स्थापना और चालू करने के लिए साइट की स्थितियों की तैयारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, इस प्रकार, अत्यावश्यकता के आधार पर सामान्य प्रणाली से हट कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में डीपीएस असफल रही।

i. नवंबर 2005 में अल्फा प्रोब और अल्फा रेडिएशन काउंटिंग सिस्टम के प्रत्येक 51 यूनिटों की खरीद के लिए आवश्यकता बताते समय बीएआरसी के रेडिएशन सेप्टी सिस्टम डिविजन ने एक ही प्रकार के सामग्रियों के लिए अन्य वेंडरों की उपलब्धता के बावजूद लोक निविदा मोड से हटकर एकल निविदा मोड को अपनाने की अनुशंसा की। उसके लिए मांगपत्रदाताओं द्वारा बताए गए कारण बिक्री सेवा के बाद बेहतर सेवा, निश्चित विशेष आवश्यकताओं पर सुट करने के लिए प्रायः मामूली रूपांतरण को बनाने या डिजाइन को अनुकूलित करने के उद्देश्य से उपकरण की आवश्यकता, एकल खिड़की खरीद और डीएई के संपूर्ण उपकरण की निगरानी के लिए इसके रेडिएशन के व्यापक उपयोग को बनाने के लिए सुसज्जित किया जाना था। इस प्रकार मई 2007 में 57.22 लाख रुपये की कीमत पर पीओ जारी कर दिया गया।

हालांकि, हमने पाया कि ईसीआईएल जिस पर पीओ रखा गया था, आदेश की तिथि से 6 महीने के भीतर करने का वादा अपनी ओफर में किया था, आपूर्ति करनी थी, जनवरी 2010 (26 महीनों) तक वितरण पूरा नहीं किया गया था। पूरे देश में फैले 17 आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों पर इन सुरक्षा उपकरणों के प्रतिस्थापन में देरी रेडियोलॉजिकल / न्यूकिलियर इमरजेंसीज के स्थिति में डीएई के तैयारी नहीं होने का कारण बनी।

जब स्टोरों की सामग्रियां केवल एक स्त्रोत से उपलब्ध हो या जब एक मालिकाना प्रकृति का हो तब डीएई खरीद प्रक्रिया एकल निविदा खरीद की अनुमति देता है। वर्तमान स्थिति में, लोक निविदा के द्वारा खरीद के सामान्य मोड को खरीद प्रक्रिया के सीमित प्रतिस्पर्धा के अग्राह्य आधार पर वितरित किया गया।

दिसंबर 2008 में डीपीएस ने कहा कि ये सामग्रियां देश के पूरे भाग में फैले 17 आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों पर स्थापित करने के लिए सुरक्षित उपकरण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और रेडियोलॉजिकल / न्यूकिलियर इमरजेंसीज में उपयोग किए गए थे। आगे कहा गया कि ईसीआईएल के द्वारा खरीदे गए इस प्रकार के सामग्रियों को खरीदना हमेशा लाभदायक होता है जो डीएई के सहयोग के साथ कार्य करता है। जबकि अक्टूबर 2009 में इस अवलोकन के विशिष्ट जवाब को प्रस्तुत नहीं किया गया।

हालांकि, जांच परीक्षण के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2002–08 की अवधि के दौरान, ईसीआईएल ने 1.78 करोड़ रुपये के मूल्य के 6 पीओ की स्थिति में आपूर्ति को पूरा नहीं किया गया और 7.17 करोड़ रुपये के मूल्य के 12 पीओ की स्थिति में आपूर्ति में 20 महीनों की देरी हुई थी। इसके संदर्भ में, हमारा यह विचार है कि डीएई को निर्धारित खरीद प्रक्रियाओं से हटाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो सीमित प्रतियोगिता को प्रभावित करता है। आगे, आकस्मिकताओं जैसे रेडियोलॉजिकल / न्यूकिलियर इमरजेंसीज की स्थिति में डीएई के तैयारी नहीं होने के कारण इस प्रकार की देरी का महत्वपूर्ण प्रभाव है।

ii. जनवरी 2006 में, एनएफसी ने 48 लाख के अनुमानित लागत पर द्वि ब्यूटिल फॉस्फेट

25 डी.ए.ई खरीद प्रक्रिया का नियम 2.1.3.1



(टीबीपी) के 20 मिट्रीक टन के खरीद का प्रस्ताव दिया। फर्म से एकल निविदा के आधार पर मांगपत्र में खरीद का प्रस्ताव दिया गया जिसमें एनएफसी को यह कहते हुए संविदा भाव भेजा गया कि इसके सामग्री का स्टॉक तैयार है। फर्म के परिचय पत्र की पुष्टि किए बिना, एनएफसी ने तत्काल आवश्यकता के कारण एकल निविदा के आधार पर सामग्री को खरीदने का निर्णय लिया। सामग्री के नमूने के जांच के आधार पर, 50.81 लाख रुपये के कीमत पर मई 2006 में फर्म पर एचआरपीओ ने एक पीओ रखा गया। इस तथ्य के बावजूद कि फर्म एक गैर रजिस्टर्ड फर्म थी, चूंकि सुरक्षा जमा खंड हटाया दिया गया था, इसलिए आपूतिकर्ता ने इस कार्य को करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सामग्री के प्रथम भाग की जांच में कहा गया कि प्रस्तावित सामग्री टीबीपी नहीं थी और बिना क्षति या जोखिम पर और आपूतिकर्ता की कीमत को अगस्त 2006 में पीओ रद्द कर दिया गया यद्यपि पीओ के नियमों और शर्तों को इस कार्य के लिए प्रदान किया गया।

जबकि अक्टूबर 2009 में, इसके जवाब के इस विशिष्ट अवलोकन पर किसी प्रकार के टिप्पणी को प्रस्तुत नहीं किया गया, दिसंबर 2008 में एचआरपीयू ने कहा कि फर्म से 10 दिनों के अंदर आदेश की आपूर्ति के आश्वासन के बाद आदेश दिया जाएगा। आगे कहा गया कि आपूतिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत सामग्री केवल परीक्षण के बाद आपूर्ति के नकली स्त्रोत को पहचाना गया।

जवाब में फर्म पर एकल निविदा के आधार पर आदेश रखने में खरीद यूनिट के जल्दबाजी को उजागर किया गया, जो न तो पंजीकृत है और न ही परिचय पत्र को प्रमाणित किया गया और इस तथ्य के बावजूद अन्य आपूतिकर्ता बाजार में उपलब्ध था।

उपरोक्त दो स्थितियों के जवाब में, अक्टूबर 2009 में, डीएई ने जवाब दिया कि एकल निविदा को सहारा दिया गया था, चूंकि डीएई पहले से ही उपकरण और कच्चे सामग्रियों के आधार पर उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में घाटबंधी का सामना कर रहा था और इसलिए, एकल निविदा पर खरीददारी ठोस निर्णय के आधार पर की जाती है। आगे कहा गया कि मांगपत्र अधिकारी के द्वारा अनुभव के त्याग के आधार पर विकास मांग, सामरिक अनुप्रयोग के लिए सामग्री और प्रक्रिया में अनुसंधान और विकास दोनों के साथ-साथ उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में स्पेयर व उपसाधन को एकल निविदा के लिए स्पष्ट किया गया है।

यह स्थिति इस बात को उजागर करती है कि तत्काल आपूर्ति या इसके यूनिटों के द्वारा अपेक्षित महत्वपूर्ण सामग्री के लिए आदेश रखने से पूर्व इसके आपूर्तिकर्ता के परिचय पत्र की पुष्टि के प्रभावी सिस्टम को नहीं अपनाया गया है।

III. डीपीएस नियमित रूप से एकल निविदा के आधार पर मेसर्स गोदरेज को कार्यालय के फर्नीचर की खरीदने हेतु आदेश दे रहा था, जिसके द्वारा खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध लगा। 2002–08 की अवधि के दौरान, डी.पी.एस. और इसके आर.पी.यू. ने एकल निविदा के आधार पर मेसर्स गोदरेज से 249 पीओ द्वारा में 7.19 करोड़ रुपये की कीमत पर फर्नीचर की खरीददारी की।

हमने पाया कि डी.ए.ई.²⁶ की खरीद प्रक्रिया के शर्त, कि क्रय यूनिट को लोक निविदा के आधार पर अधिक आपूर्ति/दर अनुबंध पर संपन्न करना चाहिए, के उल्लंघन में साधारण उपयोग और गैर स्वामित्व सामग्रियों जैसे फर्नीचर को स्वामित्व के आधार पर, डीपीएस ने मेसर्स गोदरेज के साथ एक दर अनुबंध संपन्न किया।

अक्टूबर 2009 में, डीएई ने जवाब दिया कि डीएई में गुणवत्ता और टिकाऊपन के अनुभवों और कई प्रयोक्ताओं के द्वारा आग्रह किए जाने के कारण, एकल निविदा के आधार पर फर्नीचर की सामग्रियों के लिए मेसर्स गोदरेज के साथ दर अनुबंध हेतु जाना उपयुक्त समझा

26 डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया का नियम 2.1.6.1



गया। कोई प्रतियोगिता नहीं होने के कारण लोक निविदा को उपयुक्त नहीं समझा गया।

डीएई ने आडिट के द्वारा व्यक्त विचार के आधार पर आगे कहा कि 2009 के बाद से एकल निविदा के आधार पर फर्नीचर सामग्रियों हेतु किसी आपूर्तिकर्ता के साथ अगले किसी भी अनुबंध को संपन्न नहीं किया जाएगा।

सामान्य निविदा पद्धति को त्यागकर सीमित निविदा पद्धति को अपनाना

iv. बीएआरसी के नाभिकीय ईंधन समूह ने अगस्त 2001 में, 70 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर वैक्यूम इंडक्शन हीटिंग सिस्टम की खरीददारी, प्रतिस्थापन और उसे चालू करने के लिए एक मांगपत्र उठाया। सामग्रियों के तत्काल आवश्यकता के आधार पर, लोक निविदा मोड का त्याग कर दिया गया और सीमित निविदाओं को लाया गया। अप्रैल 2002 में, 86.23 लाख रुपये के लागत पर एक पीओ रखा गया। वितरण की निर्धारित तिथि दिसंबर 2002 थी। हमने पाया कि डीपीएस आपूर्तिकर्ता के द्वारा समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में असफल रहा और यह कहते हुए कि आपूर्ति की देरी से परियोजना के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वितरण की अवधि को बढ़ाकर मार्च 2005 कर दी गई। आगे, हमने पाया कि जब अप्रैल 2005 में सामग्री की आपूर्ति की गई तब इसे स्थापित और चालू नहीं किया जा सका क्योंकि मांगपत्र में उपकरण को स्थापित और चालू करने के लिए साइट की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस देरी के परिणामस्वरूप, 64 महीनों की देरी के बाद मई 2007 में वितरण की अवधि को कार्य के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया।

इस प्रकार, खरीददारी के सार्वजनिक निविदा मोड को एकबार फिर छोड़ दिया गया, बीएआरसी ने सिस्टम को स्थापित करने और वितरण के समय को सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी को नहीं दिखाया।

v. अद्भुत खनिज परियोजना सेल के बीएआरसी की मांग के उठाते हुए ईलेक्ट्रिकल क्षेत्र के पैनलों में प्रबंधनों की सन् 2007 जुलाई में अनुमानित लगात 35 लाख रुपये थी। मांगपत्र की सार्वजनिक निविदा की पद्धति के दस्तावेजों के आधार पर अनुमति दी थी कि साईट कार्य जहा पर उपकरण अन्य यंत्रणाओं के साथ स्थापित किये जाने वाले थे, बहुत ही जोरशोर से शुरू थे और वास्तवित यंत्रणा की उप-यंत्रणाओं कि जॉच और उपकरणों के प्रवर्तन में लाने हेतु अल्पावधी में ही जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिये मर्यादित निविदाओं को आमंत्रित किया गया और 24.54 रुपये लाख के मूल्य पर दिसंबर 2007 में पी ओ लेस कि गई जिसका सुपूर्दगी समयसूची पत्र मार्च 2008 था। हमने यह निरीक्षण किया है कि मई 2008 में सप्लाई पूर्ण होकर भी, बी ए आर सी अक्तूबर 2009 तक स्थापना और उपकरणों को प्रवर्तन में लाने के लिए असमर्थ रही, इस वजह से प्रकल्प के स्थान को अंतिम स्वरूप नहीं मिल पाया।

लेखापरीक्षा के आपत्ति के उत्तर में, डी.पी.एस. ने जुलाई 2008 में बताया कि बी.ए.आर.सी. मुम्बई, तथा कल्पकम और बहु एजेंसियों के अनुमोदन से विभिन्न स्त्रोतों से डेटा इकट्ठा करने का निष्पादन भी सम्मिलित था। आगे दो विभिन्न स्थानों नामतः मुम्बई एवं कलपकम में अभियन्ता की समकालिक गतिविधियों ने अतिरिक्त समय लिया और परियोजना सारणी में इस देरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

डी.पी.एस. के उत्तर को इस संदर्भ में देखना जरुरी है, जहा प्राप्ती प्रक्रिया में सहभागी ऐजंसीयों के बीच समन्वय का अभाव, जिससे साईट का उपकरणों के समयसूची के मुताबिक तैयार होने कि वास्तविकता ने सार्वजनिक निविदाओं के देने के उद्देश्य को असफल बनाया।

डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा के इन मामलों के निरीक्षण पर जवाब देते हुए अक्तूबर 2009 में बताया कि उत्थापन और औपचारिकताओं के प्रवर्तन में देरी हो सकती है और इसके लिये डी.पी.एस. को उत्तरदायी नहीं रहराया जा सकता था। स्थल को तैयार और घटकों के प्राप्त होने पर स्थापना की जिम्मेदारी के लिये प्रकल्प प्रशासक (इंडेटिंग अधिकारी और संघ) उत्तरदायी थे।



नियंत्रण से बाहर अप्रत्यक्ष कठिनाई होने की वजह से बहुत कम मामलों में साईट तैयार नहीं करवाई गई थी।

हमारे दृष्टिकोण के अनुसार निविदा के सामान्य प्रकार के वितरण, ऐसे दुर्लभ मामलों में सामान्य तौर पर व्यवहारिक ना होकर एक अपवाद होना चाहिए। साईट का तैयार न होना इत्यादि जैसे मुद्दे के लिए एक प्रणाली होने चाहिए जिसमें इस सारी प्रक्रिया को व्यर्थ न होने को सुनिश्चित करे। प्राप्ति एवं संस्था के सामाग्री प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए सहभागी सभी ऐंजिनीयों के बीच अच्छी योजना एवं समन्वय द्वारा ही हासिल किया जा सकता है।

पी.ओ. का विभाजन

6.3 डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया²⁷ यह कहती है कि जरुरतों को अधिकांश रूप में समेकित किया जाना चाहिए। परंतु हमने यह पाया कि डी.पी.एस. और आर.पी.यू. ने आकस्मिकता के आधार पर दो या अधिक आपूर्तिकर्ता को दिए गए खरीदारी आदेशों का विभाजन²⁸ करते रहे।

हमने देखा है कि निम्नलिखीत दो व्याख्यात्मक मामलों में जिनका मूल्य रु. 3.27 करोड़ है, डी.पी.एम. और उसके आर.पी.यू. द्वारा मांगपत्र विभाजित करने का निर्णय सम्बन्धित कृतीयों से मेल नहीं खाता और अतिरिक्त व्यय में परिमाणित हो रहा था। इससे जुड़े हुए खरीद विभागों ने संस्थाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं।

i. आई.जी.सी.ए.आर. कल्पकम के पुनर्प्रक्रिया संघ को अप्रैल 2004 में रु. 1.80 करोड़ के अनुमानित लागत के मास्टर स्लेव मॅनीप्यूलेटर्स की 10 इकाईयों के प्राप्ति की अति अवश्यकता थी। निविदा के सर्वसामान्य प्रकार का उपयोग किया गया और इन मॅनीप्यूलेटर्स की सुपूर्दगी, एफ आर पी²⁹ के आचरण समयसूची पत्र को पूर्ण करने हेतु 2006 के अंत तक हो जाने के उद्देश्य से खरीद आदेश को विभाजित किया गया था। दिसंबर 2004 में रु. 94.54 लाख और 94.79 लाख मूल्य के 5 जोड़ी मॅनीप्यूलेटर की आपूर्ति के लिये दो संस्थाओं को खरीद आदेश दिए गये। आपूर्ति क्रमशः मई 2006 और फरवरी 2006 तक पूरी होनी था।

जबकि हमने यह निरीक्षण किया कि प्रत्येक पूर्तीकर्ता को जनवरी 2005 और दिसंबर 2005 में रु. 22.46 लाख के अग्रिम भूगतान के बावजूद जनवरी 2009 तक भी नहीं की गई थी जबकि आर.पी.यू. ने सुपूर्दगी विस्तारक समयसूची में मार्च 2010 तक विस्तार करने का संसोधन जारी कर दिया। संस्थाओं से बैंक गारंटी के जरिए अग्रिम भूगतान प्राप्त किया गया था और संस्थाओं पर देरी के लिये किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया।

एम.आर.पी.यू. द्वारा लिये गये अविवेकपूर्ण निर्णय में यह उद्धृत होता है कि उसने सितंबर 2006 में उसी संस्था के दो से अधिक खरीद आदेश विभाजित किये जिसकी आपूर्ति सितंबर एवं नवम्बर 2007 में की जानी थी। संस्थाओं को क्रमशः सितंबर 2006 और मार्च 2008 में 8.33 लाख और 12.50 लाख अग्रिम भूगतान के तौर पर दिये गये। इन मांग पत्रों के मामले में भी सुपूर्दगी समयसूची पत्र के मुताबिक, सुपूर्दगी अक्तूबर 2009 तक पूर्ण हो न सकी, जिसका परिणाम मांग पत्र का विभाजन करने के निर्णय की असफलता में हुआ।

ii. बी.ए.आर.सी. ने मार्च 2007 में रु. 75 लाख की अनुमानित लागत का दुर्लभ भूमि पदार्थों की मांग की। जबकि निविदात्मक विशिष्टताओं के अनुसार केवल 1000 इकाईयों की जरुरत ही बताइ गई थी। बोली लगाने वालों लोगों से सार्वजनिक निविदाओं को आमंत्रित किया गया और 1000 इकाईयों के लिये बोलियाँ प्राप्त हुईं। प्रकाशित विशिष्टताओं में हुई मात्रा की भूल के कारण डी.पी.एस. ने अप्रैल 2007 में संस्थाओं को 2000 इकाईयों के लिये पुर्णउद्धरण के लिए कहते – मांगपत्र के पाने के पश्चात मांगकर्ताओं ने जुलाई 2007 में मांगपत्रों को निम्न

27 डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया का नियम 1.1

28 आदेशों का विभाजन : एक से अधिक आपूर्तिकर्ता के बीच समान मद की आवश्यकता का वितरण

29 इंधन पुनर्प्रक्रिया संयत्र



और उप निम्न कमतो को देनेवाली संस्थाओं में विभाजित करने की सिफारश कि। जिसकी सह मांग किये हुए पदार्थों की जरूरत नियमित रूप से और बड़ी मात्रा में है, यह पार्श्वभूमी थी सी वी सी मार्गदर्शक³⁰ यह कहते हैं कि अगर मात्रा का विभाजन प्रस्तावित किया गया है तो, इसके लिये लगाये गये निकश को निविदा पत्र में दर्ज होना जरूरी है। परंतु इस प्रकार के निविदा पत्र में नहीं दिया गया था। मांगपत्र को एल, और एल₂ में प्रत्येक 1000 यूनिट के लिये 35.83 लाख और 41.60 लाख मूल्य से विभाजित किया गया जो कि सी.वी.सी. के उन दिशानिर्देशों की उल्लंघना थी जो यह कहते हैं कि जब खरीद आदेश एल, और एल₂ में विभाजित होते हैं तो एल₂ के रेटों को एल, के बराबर लाया जाए। यह उद्धत होता है कि डी. वी. एम. निविदा प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ता जिनकी छवि अच्छी नहीं हैं, भाग न लेने के लिए कोई अनुवीक्षण प्रणाली नहीं थी।

हमने यह भी पाया कि डीपीएस ने एल, फर्म पर भी तत्काल आदेश रखा था जो पिछली बार की आपूर्ति में त्रुटि पाई गई थी। यह फर्म तत्काल आदेश को संपादित करने में भी असफल रहा। अंततः, डीपीएस ने आवशकता के निविदा को फिर से शुरू किया और जुलाई 2008 में, रुपये 60 लाख के उच्चतम लागत पर पीओ रखा, जिसके परिणामस्वरूप 1000 यूनिटों के शेष खरीदारी में रुपये 20 लाख अधिक खर्च हुए। यह उजागर करता है कि डीपीएस के पास आपूर्तिकर्ता के प्रदर्शन की निगरानी के लिए कोई सिस्टम नहीं है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निविदा प्रक्रिया में गैर प्रदर्शित आपूर्तिकर्ताओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। डी.ए.ई. ने उपरोक्त दो मामलों के उत्तर में अक्टूबर 2009 में बताया कि अनुकूल कार्यपवाही की गई है और एक से अधिक स्ट्रोंटों से प्रस्तावित खरीद, यहद उपयोगकर्ता/उपभोक्ता विभाग द्वारा चाही गई है तो उसको व्यौरा निविदा स्तर पर ही स्पष्ट करना चाहिए। तदनुसार, आजकल एक से अधिक स्ट्रोंटों से वही मद के आदेश को सी.वी.सी. दिया सिद्धांतों के पुष्टिकरण के बाद ही जारी किया जाता है।

अनुवर्ती मांगपत्र के दर्ज करने में अनियमितता

6.4 डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया³¹ में यह निर्देशित किया गया है कि नयी निविदा और खरीद को अनुवर्ती मांगपत्र के आधार पर किया जा सकता है जब भंडार के घटक या घटकों के समरूप वर्णन के लिये भूतकाल में मांगपत्र में दिया गया है। अनुवर्ती मांगपत्र पत्र को पहले के मांग पत्र को बढ़ाकर या अनुवर्ती आधार पर एक नये मांगपत्र के स्वरूप में दिया जाता है। प्रक्रिया में आगे यह दिया गया है कि प्रबंधक, डी.पी.एस. को मूल्य सीमा, मात्रा सीमा और पहले के मांगपत्रों के दिनांक से 12 महीनों से ज्यादा ना होने वाली काल मर्यादा को प्राधिकृत करने और अपसरण को मंजूर करने का अधिकार है। हमने यह देखा कि, इसका उल्लंघन करते हुए रुपये 42.93 लाख के 18 अनुवर्ती आदेशों को समयावधि एक वर्ष की मंजूरी की गई मर्यादा के बाद दिए गए थे।

इसके जवाब में डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह आश्वस्त किया की ऐसी कमियों को दोहराया नहीं जाएगा तथा इस सम्बन्ध में डी.पी.एस. के सभी प्राप्ती अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये हैं।

मांगपत्र देने के नियमों का उल्लंघन

6.5 हमने यह पाया कि, डी.पी.एस. ने रुपये 3.74 करोड़ मूल्य के 21 मांगपत्र दिये जिन्होंने खरीद प्रक्रिया के अनेक प्रावधानों, जी.एफ.आर. और सी.वी.सी. मार्गदर्शका को उल्लंघन किया जैसे नीचे दर्शाया है।

आर्थिक शक्तियों पर खरीद आदेशों का

i. खरीद प्रक्रिया के अनुसार डी.ए.ई. के प्रयोजनाओं/ ईकाइयों के प्रमुख आयतित मदों को छोड़कर प्रत्येक अवसर पर रुपये 0.50 लाख के मूल्य तथा "कार्य प्रक्रिया" के अन्तर्गत प्रत्यक्ष भंडारण की खरीद कर सकते हैं। परंतु हमने यह देखा कि, इन नियमों का उल्लंघन कर के

30 सार्वजनिक प्राप्ती दिशानिर्देशों में निवारक साक्षातानी – अध्याय 3 – निविदा स्तर

31 डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया का नियम 3.1.3.1 एवं 3.1.3.2

**अनुमोदन**

एम.आर.पी.यु. के अनेक विभाग प्रमुखों ने उनके प्रदत्त अधिकारों से अधिक रूपये 1.71 करोड़ मूल्य के मांग पत्र दिये थे।

डी.ए.ई. ने इस मामले में अंतराल को अभिस्वीकृत करते हुए अक्टूबर 2009 में यह कहा कि, भविष्य में मांगों का प्रबंधन करते समय इस प्रकार की असंगतियों को रोकने के लिये सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

न्युनतम निविदाकर्ताओं के स्थान पर अन्य लोगों को संविदा देना

ii. बी.ए.आर.सी. के लेजर प्लाजमा प्रौद्योगिकी विभाग ने उच्च विद्युत डी.सी. शक्ति स्रोतों की प्राप्ती की मांग पर एल 1 को मांग पत्र की सिफारिश की जिसका मूल्य रूपये 26.05 लाख था सुविधाओं का और उनके सहयोगीयों की इमारतों का निरीक्षण किया जहाँ कार्य किया जाना था।

परंतु भमंडार और उपकरण समिति ने मांग अधिकारी की सिफारीशों को अस्वीकृत किया और उनकी समीक्षा करने के निर्देश दिये। मांग अधिकारी ने तदनुसार रूपये 37.60 लाख के लागत के एल 2 पर प्रस्तावित सिफारिशों को संशोधित किया। न तो भंडार एवं उपस्कर समिति और न ही उपस्कर समिति या मांग अधिकारी ने एल 1 संस्था को नकारने और एल 1 ऑफर से अधिक 44 प्रतिशत की दर से उद्धृत दर जो एल 2 फर्म पर आदेश देने की सिफारिश को और एल 2 को रद्द करने के कारण नहीं बताये थे।

दिसंबर 2006 में वर्तमान आवश्यकता की आपूर्ति में इसकी सम्पन्नता के निर्धारण के फैक्टरी आंकलन के बिना ही एल 2 संस्था को आदेश दिया था। हमने यह भी देखा कि अक्टूबर 2008 तक वितरण सारणी को दो बार बढ़ाया गया था और अक्टूबर 2009 तक फर्म वितरण नहीं कर पाई थी।

उपरोक्त मामले की प्रतिक्रिया में अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई. ने यह कहा कि डी.पी.एस. ने प्राप्ती के केवल पद्धतीय पहलू को देखा और उपरोक्त मामलों में की गई टिप्पणी पर डी.पी.एस. द्वारा की गयी कार्यवाही सही थी। प्रक्रिया पहलू से सम्बन्धित इसके औचित्य के लिए खरीद सिफारिशों कि जांच और डी.पी.एस. ने अनुचित खरीद निर्णयों पर आधारित कोई अनुबन्ध समाप्त नहीं किया था जो खरीद प्रक्रिया और सी.पी.सी. मार्ग निर्देशों के विरुद्ध है।

डी.ए.ई. ने उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखना चाहिए कि प्रक्रिया में समिलित सभी ऐजेंसियों पर खरीद प्रक्रिया का दायित्व लेना जो लागू होने वाले नियम एवं विनियम पर आधारित होना चाहिए और इसके परिणाम का सरकारी धन का अतिरिक्त व्यय नहीं होना चाहिए। कम से कम मूल्यांकित ठेकेदारों पर आदेश का गैर स्थानन और मांगपत्र अधिकारी के अनुशंसाओं पर बिना दर्ज किए गए कारणों को स्वीकृत नहीं करना, 10.55 लाख रूपये के अतिरिक्त खर्च का परिणाम हुआ।

निष्कर्ष

इसकी 94 प्रतिशत खरीद की निविदा प्रतिबंधित तरीके (एकल / सीमित निविदा) पर आधारित थी, डी.ए.ई. की खरीद प्रक्रिया केवल सीमित स्पर्धा ही हासिल कर पाई थी। आवश्यकता को महत्ता के आधार पर प्रतिबंधित तरीके के बिना तय कार्यवाही जैसे निविदा की तुरंत प्रक्रिया, साईट की उपलब्धता, उपस्करों की समय पर प्रतिस्थापना / चालू करने को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी समन्वय इत्यादि जो निविदा को प्रतिबंधित तरीके को अपनाने को निरस्त करता है।

हमारी अनुशंसाएं

13. अत्यावश्यकता के आधार पर निविदा के सामान्य प्रकार के छूटे गए प्रस्तावों को स्थान के तैयार होने के प्रमाण पत्र द्वारा या स्थल के तैयार होने की

डी.ए.ई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

सामान्यतः सामान्य टेंडरिंग मोड का त्याग सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के साथ प्रयोक्ता के द्वारा अग्रिम कारणों को केवल



हमारी अनुशंसाएं

सुपुर्दगी देने वाले प्रमाण पत्र द्वारा समर्थन मिलना जरुरी है। निर्दिष्ट तिथि और अन्य अहताओं को सुनिश्चित करते हुए ऐसी कार्यवाही को सुनिश्चित किया गया है।

14. मात्रा के विभाजन को ध्यान रखते हुए, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, को निविदाओं के स्तर पर ही स्पष्ट कर देना चाहिए और एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को अनुबंध देते समय मूल्यों की एकरूपता को भी बनाए रखना चाहिए। मात्राओं का वितरण एवं विभिन्न आपूर्तिकर्ता को दिए गए मूल्य के निर्धारण में जी.एफ.आर. के प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

15. आदेशों के देते समय खरीद प्रक्रिया एवं सी.वी.सी. मार्गदर्शिका का अनुपालन कड़ाई से होना चाहिए ताकि अधिकतम प्रतियोगिता, न्यूनतम देरी, प्राप्ति में कमी और शक्तियों के प्रव्यायोजन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

एक बार वैध रूप से हटाया जाता है। जबकि इन सभी कारणों में अत्यावश्यकता भी एक कारण है जो टेंडरिंग मोड को आगे बढ़ने से विचलित करता है, केवल अत्यावश्यकता के कारणों पर विचलन के सुझाव को छोड़ने हेतु मांगपत्र अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। दिसंबर 2009 में आयोजित डीपीएस काउंसिल की सभा में इस विषय पर चर्चा की गई और सभी क्रय प्रमाणित अधिकारियों के द्वारा लायी गई सूचना को अगले स्टोर्स और उपकरण समिति, बीएआरसी की सभा में ली जाएगी।

इस संदर्भ में एक माह के भीतर एक परिपत्र जारी किया जाएगा।

जैसा कि सुझाव दिया गया है कि आदेश को अलग करने के किसी भी आशय के प्रस्तावों को सौंपने से पहले बोली लगाने वालों के बीच स्पष्टता को बनाए रखने के लिए दस्तावेजों की जांच को भी इस निविदा में शामिल किया जाएगा। जैसे कि अलगाव का उद्देश्य एक एकल आपूर्तिकर्ता पर अधिक निर्भरता को अग्रक्रय करता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे मामलों के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि में, जिसके लिए अलगाव की जानी है, की निगरानी अधिक सतर्कता के साथ की जाएगी।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –1 महीना

परियोजना/मांगपत्र अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया में सीवीसी मार्गदर्शन में मौजूद आदेश स्थानन तक के मांगपत्रों को उठाने हेतु सही समय पर उपयुक्त सलाह दिया जाएगा।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –1 महीना





अध्याय – 7

संविदा प्रबंधन

उद्देश्य : 5 क्या संविदा प्रबंधन की प्रणाली को प्रभावी और पर्याप्त बनाया गया था?

7.1 दक्ष संविदा प्रबंधन में संविदा की नियम एवं शर्तों की पूर्णतः सुनिश्चित करके द्वारा इन शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से पालन व अनुवीक्षण द्वारा संगठन की रुचियों को सुरक्षित करना शामिल है।

लेखापरीक्षा में संविदा प्रबंधन की कमिया पाई गई जहाँ निर्धारित शर्तों एवं नियमों के त्रुटियों एवं इसके अनुपालन का अनुवीक्षण, खरीद आदेशों का कार्यान्वयन न होना, बैंक गारंटी के पालन एवं पुनर्वैदीकरण का बेकार अनुवीक्षण, अग्रिम अदायगी पर ब्याज न लेना तथा शोधन हानि न लगाना इत्यादि कारणों से संगठन की वित्तीय रुचियों की सुरक्षा में डी.ए.इ. विफल रहा।

क्रय आदेश भौतिक नहीं हुए।

7.2 डीपीएस और आरपीयू के द्वारा क्रय आदेशों के निष्पादन की स्थिति की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि 2002–03 से 2007–08 तक की अवधि के 7816 मामलों जिनकी कीमत 3266.38 करोड़ रुपये थी में से 1337 क्रय आदेश जिनकी राशि रुपये 380.79 करोड़³² थी, अक्टूबर 2008 तक भौतिक नहीं हुए थे जैसाकि सारणी 6 में ब्यौरा दिया गया है।

सारणी – 6

क्रय आदेश भौतिक नहीं हुए

इकाई	क्रय आदेशों की संख्या की नमूना जाँच	क्रय आदेशों की संख्या जो भौतिक नहीं हुए	क्रय आदेशों जो भौतिक नहीं हुए की प्रतिशत	क्रय आदेशों जो भौतिक का मूल्य (रुपये करोड़ों में)	पूर्ति में देरी (महीनों में)
डी.पी.एस.	4962	190	03.82	325.04	7 – 36
एम.आर.पी.यू.	1462	888	60.73	34.11	7 – 114
एच.आर.पी.यू.	985	157	15.93	12.55	2 – 79
आई.आर.पी.यू.	407	102	25.06	9.09	11 – 79
कुल	7816	1337	17.10	380.79	

ये क्रय आदेशों न वितरण के नियत तिथि से परे दो माह से 114 महीने की अवधि (छह वर्षों के लगभग औसत) तक भौतिक नहीं हुए थे। यह समस्या मुख्यतः एम.आर.पी.यू. में गम्भीर थी जहाँकि 61 प्रतिशत क्रय आदेश 7 से 114 महीने की अवधि के बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके थे। पूर्ति की सारणी के अनुपालन में विफलता त्रुटिपूर्ण प्राप्तण अनुवीक्षण को दर्शाती है क्योंकि सामग्री/उपस्कर के विरुद्ध सम्बन्धित इकाईयों द्वारा इन आदेशों को अभी प्राप्त होना था।

डी.ए.इ. के अक्टूबर 2009 में बताया कि (ए) विदेशी आपूर्तिकर्ता को निर्यात अनुमति नहीं मिली थी, (बी) राष्ट्रीय एवं अर्तराष्ट्रीय बाजार स्थिति के कारण अन्य इनपुट और कच्ची सामग्री को प्राप्त करने में कठिनाईयाँ (सी) उच्च तकनीक उपस्कर के विकास के दौरान अनदेखी कठिनाईयों का सामना इत्यादि ने खरीद आदेशों के पूर्ण न होने में सहयोग दिया। आगे यह बताया गया है कि खरीद इकाईयों द्वारा निपटाई गई मांगपत्रों की मात्रा को देखते हुए, जबकि डी.पी.एस. और आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्तम प्रयत्न किए जाने बावजूद, ऐसे अवसर भी थे जब आपूर्ति आदेश के अनुसार नहीं पाए गए। डी.ए.इ. ने आगे यह कहा कि यह डी.पी.एस. द्वारा मांग पत्र की मात्रा की तुलना में बहुत कम और नगण्य थे।

32 आपूर्तियों / प्रतिस्थापना / चालू होने का कार्य पूरा नहीं हुआ जिसके लिए पी ओ दिए गए थे।



डी.ए.ई. का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यान्वित नहीं हुए मांगपत्रों की संख्या न तो कम थी और न ही नगण्य थी। वास्तविक आपूर्ती दिनांक के बाद 2 से 114 महीनों तक आपूर्ति के बिना 1337 मदों में (17 प्रतिशत) अवितरित रहीं जो ऐंजसियों के कमज़ोर अनुबोधन एवं अनुर्वत को प्रतिबिंबित करती है। एम.आर.पी.यु. में 61 प्रतिशत की इतने उच्च दर पर, आई.आर.पी.यु. में 25 और एच.आर.पी.यु. में 16 प्रतिशत पी.ओ. कार्यान्वित नहीं हुए थे। एम.आर.पी.यु. ने अपने उत्तर में यह कहा की वह वैकल्पिक स्त्रोतों से जरुरत पूर्ण की जा सकती है या नहीं या प्रयोगशाला में उपलब्ध स्त्रोतों के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं या नहीं, यह देखने के लिये मांगकर्ताओं के संपर्क में था। उपरोक्त कारणों जिनका डी.ए.ई. ने उल्लेख किया है, में भी हमारा यह मानना है कि स्ट्रेटेजिक कार्यों के कददेनजर और जरुरत के समय उपकरणों के उपलब्ध होने के लिए योजना बनाने के समय इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एम.आर.पी.यु. का जवाब लेखापरीक्षा की इस बात का समर्थन करता है की आर.पी.यु.ज. में प्राप्तियों के अनुबोधन प्रणाली में सुधार लाने की जरुरत है।

असमायोजित अग्रिम भुगतान

7.3 हमने यह देखा कि सारणी 7 के अनुसार डी.पी.एस. और आर.पी.यु.ज. द्वारा दिये गये रूपये 214.43 करोड़ मूल्य के 703 अग्रिम भुगतान के मामले जो 1 से 28 सालों तक असमायोजित ही रहे।

सारणी 7
असमायोजित अग्रिम भुगतानों का विवरण

इकाई	समायोजित ना हुए मामलों की संख्या	असमायोजित अग्रिम भुगतान राशी (रु. करोड़)	असमायोजन काल अवधी
डी.पी.एस.	264	188.74	1 से 9 वर्ष
एच.आर.पी.यु.	355	10.11	1 से 28 वर्ष
एम.आर.पी.यु.	40	9.73	1 से 6 वर्ष
आई.आर.पी.यु.	44	5.85	1 से 13 वर्ष
कुल	703	214.43	

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह कहा कि संबंधित वित्त और डी.पी.एस., वित्त खंड एवं परियोजना वित्त प्रशासन द्वारा बकाया राशियों की इस गंभीर समस्या को हल करने के लिये ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। डी.पी.एस. ने आगे आशवस्त किया कि डी.पी.एस. बकाया भुगतान के मुददें पर बेहतर स्थिति को प्राप्त करने के प्रयास करेगा।

ब्याज मुक्त अदायगी करने से आपूर्तीकर्ताओं को अनुचित लाभ

7.4 सी.वी.सी. दिशा निर्देश³³ में यह कहा गया है कि अग्रिम भुगतानों पर ब्याज होना जरूरी है जिससे आपूर्तीकर्ताओं को अनुचित लाभ मिलने को रोकने में मदद मिल सकती है। परंतु हमने यह निरीक्षण किया कि, आई.आर.पी.यु.³⁴ और एच आर पी यु.³⁵ द्वारा ब्याज सहित अग्रिम भुगतान करने पर भी, डी.पी.एस. और एम आर पी यु 30–100 प्रतिशत तक किसी भी प्रकार का ब्याज प्रभारित किए बिना अग्रिम भुगतान कर रहे थे। हमने आगे इस बात का भी निरीक्षण किया कि अग्रिम भुगतानों पर एक जैसा ब्याज दर नहीं लगाया जा रहा था।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह उत्तर दिया की किसी भी क्षेत्रिय विभाग द्वारा विभिन्न ब्याज दर को अभिस्थित करने का मामला अस्तित्व में ही नहीं है, सिवाय दो मामलों के जिसमें एक एच आर पी यु और दुसरा आई आर पी यु से है, जहाँ केवल आपूर्तीकर्ता कि वजह से देर हुई

33 सी.वी.सी. दिशादर्शक की धारा 16

34 लागू किये जाने वाले बैंक दर से ब्याज दर

35 12 प्रतिशत ब्याज दर



है और इसलिये डी पी एस द्वारा अग्रिम भुगतान पर किसी भी प्रकार की ब्याज की राशि को वसूला नहीं गया है। अन्य सभी मामलों में आपूर्तीकर्ता के कारण हुई देर की बजह से डी पी एस और अर पी यु अग्रिम भुगतान पर आकारे गये ब्याज को वसुलने में असमर्थ रहे।

इस उत्तर को मान्य नहीं किया जा सकता था क्योंकि लेखा परीक्षा ने कई विवरणात्मक मामलों को **परिशिष्ट II** में उल्लेखित किया है जहाँ आपूर्तीकर्ताओं से सुपूर्दगी समय सूची पत्र की सीमा का उल्लंघन किया जाने पर भी अग्रिम भुगतानों पर ब्याज नहीं आकारा गया था।

रु. 12.46 करोड़ मूल्य के इस प्रकार के 9 विवरात्मक मामलों में हमने यह निरीक्षण किया कि रुपये 1.98 करोड़ के ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतानों को सुपूर्दगी के समय सूचीपत्र से 15 से 93 महीनों का समय तक रखा गया था, जिसका परिणाम रुपये 65.24 लाख के ब्याज के घाटे में हुआ जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन **परिशिष्ट II** में दिया गया है।

डी ए ई ने अक्टूबर 2009 में यह कहा कि, आपूर्तीकर्ताओं को इस शर्त पर अग्रिम भुगतान किया गया था की, अग्रिम राशि के उपयोग में ना लाये गये हिस्से पर सुपूर्दगी दिनांक की सीमा का उल्लंघन करने पर 12 प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जाएगा और संविदा के कार्यान्वय में हुई देर के लिये आपूर्तीकर्ता को दोषी ठहराया जाएगा। इस विषय में डी ए ई ने अप्रैल 2005 में सी वी सी को एक टिप्पणी प्रस्तुत की थी जिसमें यह कहा गया था की जहाँ बोली लगाने वाले व्यक्ति को अग्रिम भुगतान की जरूरत है, वहाँ तुलनात्मक विवरण में उसके संबंधीत स्थान पर आने वाले मूल्य के स्वरूप में दर्ज किये गये मूल्य में अग्रिम भुगतान की गई राशि को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार किसी भी प्रकार का ब्याज प्रभारित नहीं जाएगा क्योंकि यह दूसरे दंड के समान है।

कीमतों के अग्रीम राशि पर लगाएं गये ब्याज के संबंध में अनुमानित भारण के मामलों में डी.ए.ई. के ब्याज आकारने के उत्तर को तुलनात्मक स्थिती में किया गया, जहाँ दूसरे दण्ड की राशि योग्य नहीं थी डी.ए.ई का उत्तर सही नहीं था क्योंकि तुलनात्मक उद्देश्य के लिये कीमतों का किया गया भारण आपूर्ती कर्ता के लिये किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष नगद बहिर्गम में परिणामीत नहीं हो रहा था।

हमने आगे यह निरीक्षण किया की, डी ए ई के ब्याज के भारण को कीमत की तुलना के लिये किये जाने के विषय में, लगभग 79 प्रतिशत मामलों में इस प्रकार के भारण को नहीं किया गया था।

हमने यह भी देखा कि अग्रिम भुगतान के बावजूद, इन फर्मों ने निर्धारित वितरण अनुसूची का पालन नहीं किया था और डीपीएस तथा इसके आरपीयू ने बिना ब्याज के लगातार विस्तार को मंजूरी दे दी, परिमाणतः आपूर्तीकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ।

7.5 जीएफआर³⁶ और डी.ए.ई. के खरीद प्रक्रिया³⁷ ने जुर्माना खंड/ऋणमुक्त क्षति को नीचे लाने के महत्व पर बल दिया है। पीओ में निर्धारित कार्यक्रम के विशिष्टिकरण के महत्व पर बल देते हुए, सीवीसी के मार्गनिर्देशन³⁸ में उपस्कर की आपूर्ति/स्थापना में दरी होने पर जुर्माना खंड/ऋणमुक्त क्षति प्रदान करना आवश्यक बताया गया था। अनुबंध³⁹ की सामान्य शर्त में प्रावधान है जिसमें एक महीने या महीने के किसी भाग के दौरान जिसमें वैसे स्टोरों के वितरण बकाया हो, के वितरण में यदि अनुबंधकर्ता असफल हो जाता है तो किसी भी स्टोर के मूल्य का दो प्रतिशत जुर्माना की वसूली की जाएगी।

ऋणमुक्त क्षति की वसूली नहीं की गई

36 जी.एफ.आर. का नियम 204 (जी)

37 डी.ए.ई खरीद प्रक्रिया का नियम 6.2(आर)

38 सी वी सी दिशादर्शक की धारा 18

39 अनुबंध की सामान्य शर्तों का अनुबंध 10 ;पद्ध



हमने पाया कि पीओ के साथ एक प्रभावी और कुशल तरीके से अनुपालन करने में आपूर्तिकर्ता की असफलता के बावजूद; ऋणमुक्त क्षति के भाग को नहीं दिया गया, हालांकि, इन मामलों में प्रायः खरीददारी अत्यावश्यकता के आधार पर की जाती है। ऋणमुक्त क्षति की वसूली के लिए पूर्वगामी विकल्प के द्वारा, डीएई ने एक क्रेता के रूप में अपने अधिकारियों को कमज़ोर किया। हमारे आदेशों के कार्यान्वयन में हमारी नमूना जॉच के दौरान, हमने देखा कि एचआरपीयू में रूपये 31.23 करोड़ के मूल्य के 35 मामलों और एमआरपीयू में रूपये 50.35 करोड़ के मूल्य के 55 मामलों में, यद्यपि वितरण में देरी जो वितरण अवधि में लगातार विस्तार का परिणाम था, फिर भी हमने पाया कि कोई ऋणमुक्त क्षति की वसूली नहीं की गई।

रूपये 8.52 करोड़ के मूल्य के उच्च मूल्य के पांच उदाहरण जहां कोई ऋणमुक्त क्षति की वसूली नहीं की गई, का वर्णन नीचे किया गया है।

i. मार्च 2006 में, रूपये 3.93 करोड़ के मूल्य पर एसएस ब्लैंक्स के 20 टन की खरीद के लिए एचआरपीयू ने एक खरीद आदेश दिया। आदेश के नियम और शर्त के अनुसार, संपूर्ण राशि को आदेश की तिथि अर्थात् मार्च 2007 से एक वर्ष के भीतर जहाज पर भेजा जाना था। हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने सामग्री को केवल जुलाई 2008 में भेजा। हमने पाया कि विदेशी मुद्रा स्फीति के कारण मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आपूर्ति में देरी हुई थी तथा कीमत में वृद्धि का परिणाम हुई। आपूर्तिकर्ता ने सामग्री की मूल कीमत में वृद्धि कर दी थी और परिणामस्वरूप, एनएफसी ने 4.76 करोड़ रूपये के राशि के भुगतान को जारी किया था। हमने आगे देखा कि 15 महीनों से अधिक की आपूर्ति में देरी के लिए आपूर्तिकर्ता से कोई ऋणमुक्त क्षति की वसूली नहीं की गई थी।

अक्टूबर 2009 डीएई ने जवाब दिया कि आपूर्ति सामग्री की अतिरिक्त मात्रा को स्वीकारते हुए अतिरिक्त भुगतान किया गया था और ऋणमुक्त क्षति की वसूली नहीं की गई थी क्योंकि देरी के कारण विभाग को कोई परिमाणित क्षति नहीं हुई थी। डीएई का जवाब कि क्षति नहीं हुई थी, इस संदर्भ में वितरण की वास्तविक दिनांक और अनुसूची के बीच विदेशी मुद्रा स्थिति के एवज में रु. 64.87 लाख का स्पष्ट अतिरिक्त व्यय का वहन स्वीकार्य नहीं था। आगे, अनुबंध में सामान्यतः क्षति शोधन को प्रभावित करने हेतु प्रावधान होता है क्योंकि हानि के लिए मुआवजा नहीं था। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि आपूर्तिकर्ता की देरी के कारणों के लिए जबाबदेही होना चाहिए जैसा कि सी.वी.सी. मार्गदर्शिका में महत्त दिया गया है।

ii. बीएआरसी ने दिसंबर 2006 में रूपये 2.25 करोड़ की अनुमानित कीमत पर ब्लैंकों, रिंग्स और प्लेटों के निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति, के लिए एक मांगपत्र दिया। मांगपत्र के वितरण की आवश्यकता मार्च 2007 तक थी। निविदा के सामान्य कारवाई में, दो भाग पर आधारित लोक निविदा को अपनाया जाना चाहिए। हालांकि, अत्यावश्यकता और कड़े विर्निदेशन की दृष्टि में, एकल भाग के समिति निविदा प्रक्रिया को फर्म के चयन के लिए अपनाया गया था। जून 2007 में रूपये 2.59 करोड़ के मूल्य का एक पीओ दिया गया और अगस्त 2007 की सख्त वितरण अवधि कम की गई थी। सामग्री के एक भाग की आपूर्ति जुलाई 2007 में की गई और शेष सामग्रियों की आपूर्ति अगस्त 2007 में की गई। हालांकि, दूसरा भाग दोषपूर्ण पाया गया था और फर्म ने आपूर्ति की गई और सामग्रियों को केवल अगस्त 2008 में वापसी किया गया था। विशिष्टिकरण के अनुसार, फर्म को आपूर्ति नहीं करने और निर्धारित वितरण का पालन नहीं करने के बावजूद, डीपीएस ऋणमुक्त क्षति की वसूली में असफल रहा। हमने पाया कि देरी को नियमिता हेतु डीपीएस ने वितरण की अवधि के मार्च 2008 तक बढ़ाया गया था।

डीएई ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि प्लेटों के वितरण (कुल मूल्य का 15 प्रतिशत) ने परियोजना सूची को प्रभावित नहीं किया जबकि रिंग्स को (कुल मूल्य का 85 प्रतिशत) समय पर वितरित कर दिया गया था।

जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि निविदा के सामान्य मोड की



तत्काल आवश्यकता की दृष्टि में वितरित किया गया और बहुत ही सख्त निर्धारित वितरण को तत्काल आवश्यकता में मिलने के लिए पीओ में भूमि पर छोड़ दिया। ऋणमुक्त क्षति की गैर वसूली और वितरण अवधि का विस्तार बिना किसी दंड के सीधीसी मार्गनिर्देशन को उल्लंघित किया गया जिसे दिनचर्या और आकस्मिक रूप से वितरण अवधि को नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

iii. बीएआरसी के सिविल इंजीनियरिंग अनुभाग ने रु. 88.35 लाख के अनुमानित लागत पर जून 2003 में थर्मो-मैकेनिकल ट्रीटेड (टीएमटी) बार के 465 मीट्रिक टन के खरीद के लिए एक मांगपत्र दिया। महत्वपूर्ण आरसीसी संरचना के लिए ये बार अपेक्षित थे। सीमित निविदाओं को बुलाया गया और अगस्त 2003 में रूपये 1.02 करोड़ के कुल कीमत के लिए दो फर्मों पर पीओ रखे गए थे। निर्धारित वितरण अवधि क्रमशः अक्टूबर 2003 और सितंबर 2003 थी। फर्म ने पहले दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आदेश को पूरा किया; जबकि, दूसरा फर्म आदेश को पूरा करने में असफल रहा। फर्म के अनुरोध पर अवधि को जनवरी 2004 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद, फर्म द्वारा मात्रा की आपूर्ति की अगस्त 2006 में जल्द समाप्त के आदेश कारण काम पर प्रभाव की अनेक रिपोर्टें के बावजूद फर्म पर अनुबंध के निष्पादन के एवज पर कोई शोधन क्षति नहीं लगाई गई थी।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में उत्तर दिया कि तत्परता को प्रमुख रूप से सभी आपूर्ती कर्ताओं को पहले की तारीख तक आपूर्ती करने हेतु मनाने के लिये व्यक्त की गई। आगे यह कहा गया की, टी एम टी बार्स की जरूरत होने पर खरीद नहीं हई थी, परंतु एक या दूसरा निर्माण कार्य नियमित रूप से होने की वजह से स्टॉक रखी भंडार में हमेशा मात्रा का भंडारण किया जाता था। डी.ए.ई. ने यह कहा कि, निर्माण हेतु मांग की गई आवश्यकता को उपलब्ध स्टील से पूरी की गई और इस मामले में भंडार को मांग के अनुसार निकाला गया।

डी.ए.ई. के उत्तर को इस संदर्भ में देखना जरुरी है कि, इस मामले में स्टील की कमी की वजह से कार्य पर बुरा असर हुआ, मांग अधिकारी ने अप्रैल 2004 में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि, संस्था द्वारा आपूर्ती किये गये स्टील की कमी के कारण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। संविदा की मानक शर्तों के अनुसार शोधन क्षतियों के ना लगाने जाने से सरकार को एवज में ठेकेदारों की लाभ हुआ।

iv. बी.ए.आर.सी. ने स्टेटर की 350 इकाईयों के लिये फरवरी 2007 में मांग को आवश्यकता के आधार पर सार्वजनिक निविदा पद्धति पर पूरा किया गया और वह रणनीतिक जरूरत थी। इसलिये मर्यादित निविदाओं को आमत्रित किया गया और एल2⁴⁰ पर मांगपत्र अगस्त 2007 में दर्ज किया गया था। जिसका मूल्य रु.59.25 लाख और सुपूर्दगी समयावधि दिसंबर 2007 तक थी। संस्था आयतित सामग्री को समय पर देने के लिये असमर्थ थी और जून 2008 तक समय दिया गया। डी.पी.एस. ने क्षति शोधन लगाए बिना तीसरा विस्तार देकर देरी को नियमित किया।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में उत्तर दिया कि खरीदार सुविधा के रखरखाव के बंद होने से सुपूर्दगी समय प्रभावित हुआ था।

डी.ए.ई. के उत्तर को इस संदर्भ में देखना जरुरी है कि, आपूर्तीकर्ता द्वारा कार्य के कार्यान्वयन में देर के कारण, बी.ए.आर.सी. को तत्काल परियोजना जरूरतों को पूर्ण करने के लिये अस्थाई विकल्पों की व्यवस्था करनी पड़ी। तथा यही रहा कि कार्य की स्पष्ट आत्यावश्यकता और समय पर आपूर्ती पूर्ण न होने के बावजूद आपूर्ती में छह महिनों की देर होने से सी.वी.सी के इस विधान को गलत ठहराते हैं की, सुपूर्दगी समयावधि विस्तार अनौपचारीक और नियमित रूप से दिया गया था।

40 दुसरे न्युनतम मूल्य का यांत्रिक मान्यता प्राप्त प्रस्ताव



v. बी.ए.आर.सी. के मशीन डायनॅमिक विभाग ने मई 2005 में विद्युत चलित स्टेलनेस स्टील बटरफलाय वॉल्व की 48 इकाईयों मांग की जिसका मूल्य 60 लाख था। अत्यावश्यकता के आधार पर सार्वजनिक निविदा प्रकार के समिति निविदा की गई। और मांगपत्र के लिये तीसरे निम्न मूल्य की फर्म को तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर यह वाल्वम नाभकीय डीसालीनेशन प्रदर्शन सयंत्र, कलपकम में बहुस्तरीय फ्लैश मॉउड्राल्कन के फेर्बरीकेशन कार्य के पुनः शुरू होने के लिए आवश्यक थे। अक्टूबर 2005 में रूपये 38.89 लाख मूल्य का मांगपत्र दर्ज किया गया। सुपूर्दगी का समय पत्र मार्च 2006 तक दिया गया था। परंतु संस्थाओं में अनुवर्ती अनुसमारकों के बावजूद संविदा सुपूर्दगी में विफल रहा। मांग स्तर में निर्देशित किये गये अनुसार कल्पकम में फेब्रीकेशन का कार्य फिरसे एक बार आरंभ करने की जरूरत के लिये किसी भी प्रकारके भुगतान कि गई क्षतीयों बटोरी नहीं गई, जबकी आपूर्ती में 16 महिनों की देर हुई थी।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह उत्तर दिया की, संविदा के कार्यान्वय में हुई देरी नियंत्रण और अनेक प्रकार के कुशलता को पाने की जरूरत की वजह से और विशेष सिल्स के विकास के लिये विशेषज्ञों को बुलाये जाने की वजह से हुई। डी.ए.ई. ने यह कहा कि इस प्रकार के कार्य के लिये दुसरे किसी विक्रेता को भी इस प्रकार की दिक्कते आ सकती थी जिनकी वजह से भुगतान कि गई क्षती बटोरना योग्य नहीं होता इसीलिये उसे कार्यान्वयीत नहीं किया गया।

इस उत्तर को इस संदर्भ में देखना जरुरी है कि जरूरत बहुत अत्यावश्यक स्वरूप की थी और डी.ए.ई. ने दी गई सार्वजनिक निविदा पघ्दती से मर्यादित निवीदा का सहारा लिया। डी.ए.ई. का देर के लिये कठोर दर्जा नियंत्रण कारण देना योग्य नहीं था, क्यों कि इस प्रकार की जरूरते बहुतांश वैज्ञानिक प्राप्तीयोम के लिये सर्व सामान्य स्वरूप में लागू की जाते हैं, और वे इस प्रकार की देर के लिये कारण नहीं बन सकती हैं। इस विषय में यह निर्देशित किया गया है की, परमाणिक डिसायलेशन प्रकल्प का निर्माण में हुई देर पर सी ए जी रिपोर्ट 2008 की परिच्छेद क्र. 2.1 (वैज्ञानिक विभाग) में टिप्पणी दे गई है।

कार्य के कार्यान्वयन का त्रुटिपूर्ण अनुवीक्षण

मुफ्त जारी सामग्री के जारी होने में देरी

7.6 जी.एफ.आर.⁴¹ में यह दिया गया है की, संविदा के कार्यान्वय को सख्ती से अनुवीक्षण करना जरुरी है और प्रावधान के उल्लंघन पर तत्परता से सूचना जारी करना आवश्यक है। हमारी समीक्षा के दौरान हमने देखा कि मांग पत्रों के कार्यान्वय के अनुवीक्षण में पाई गई कमियों के परिणामतः अतिरिक्त वित्तीय बोझ और सुपूर्दगी समयसारणी के अनिश्चित काल तक बढ़ाए जाने में डी.पी.एस. और उसके आर.पी.यु. के लिए हानिकारक था।

7.7 हमने यह देखा कि, डी.पी.एस. और आर.पी.यु. ने रु. 90.89 करोड़ मूल्य के मांगपत्र दर्ज किये और क्रय आदेश का कार्यान्वयन समयसीमा में सुनिश्चित करने के लिए रु.20.97 करोड़ का भारी अग्रिम राशि का भुगतान फर्मों को मुफ्त जारी सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित किए बिना ही कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत समय तक व्याज मुक्त अग्रिमों को रखा गया, और से तीन मामलों से निम्न अनुसार रूपये 19.71 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन किया।

i. डी.पी.एस. ने फेब्रिकेशन और विशेष वेसल की आपूर्ति के लिये नवंबर 1998 में रूपये 16.29 करोड़ मूल्य का आदेश दर्ज किया गया। ठेकेदार को रु. 25 करोड़ के एफ.आई.एम. वेसल निर्माण हेतु तीन किश्तों में दिए जाने थे। आदेशों के नियमों और शर्तों के अनुसार बर्तन की सुपूर्दगी की पहली किश्त के निर्गमन से 36 महीनों पहली किश्त इस आधार पर एम.आई.एम. को पहली किश्त के जारी होने के 10 महीनों के भीतर सभी आंतरिक सामग्री और तीन महीनों के भीतर फर्म को एम.आई.एम. की द्वितीय और तृतीय किश्त जारी की जाएगी मांगकर्ता, हांलाकि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति करने 4 से 16 महीनों के कारण एम.आई.एम. की द्वितीय एवं तृतीय किश्त में देरी हुई और ठेकेदार द्वारा वेसल के वितरण में देरी का कारण परिणामतः डी.

41 जी.एफ.आर का नियम 2005.



पी.एस. को चूककर्ता सप्लाईर के किसी के बिना रु.15.82 करोड़ को अतिरिक्त राशि अदा करनी पड़ी। टिप्पण मूल्य में किये गये बदलाव के स्वरूप में कंत्राटदारों को करना पड़ा। इसप्रकार डिपी एस द्वारा एफ आय एम के निर्गमन में हुई देर मांग पत्र के मूल्य में हुए 97 प्रतिशत अतिरीक्त व्यय में परीणामित हुई।

ii. डी.पी.एस. ने दो विशेष बर्तनों के लिये मई 2006 में रूपये 74.57 करोड़ मूल्य की प्राप्ती के लिये आदेश दिया था। दो बर्तनों की आपूर्ती को जून 2009 और दिसंबर 2010 तक पूर्ण होना जरूरी है। खरीद आदेश की धारा 7 के अनुसार, डी.पी.एस. द्वारा दिसंबर 2006 तक फॉर्जिन्स की आपूर्ती होना तय किया गया था और घटकों की अंतिम आपूर्ती को इस दिनांक से 30 महिनों में होना था। सितंबर 2006 में संस्था को बिना शर्त मान्यता के तौर पर रु. 6.99 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया और आरेख को मंजूरी मिलने के पश्चात रु. 6.99 करोड़ अगले दो अग्रिम भुगतान फरवरी 2007 और मार्च 2008 में किये गये। हमने यह पाया किया कि इन फॉर्जिन्स की आजतक (अक्टूबर 2009) तक आपूर्ती नहीं की गई है, जब की 24 महिने गुजर चुके हैं, इस प्रकार आदेश की आपूर्ती में देर हुई और ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतानों को आदेश की पूर्ण तक रखा गया।

डी.पी.एस. ने सितंबर 2008 में यह उत्तर दिया की, फॉर्जिन्स का निर्माण, देश में एक नये उत्पादन की निर्मिता है, जिसके लिये निर्वात जगह में विशेष अल्ट्रा विलन स्टील की ढ़लाई और उसके पश्चात उसे स्तरों में कुट्टित करना अर उष्मा प्रक्रिया देने की जरूरत है। परंतु हमारी दृष्टि से डी.पी.एस. प्राप्ती के लिये अग्रिम कार्यवाही कर सकता था। एफ.आई.एम. के आपूर्ती कार्य के स्वरूप की दृष्टि से समय सीमा का पालन करने की शाश्वते के लिये कर सकता था।

डी. ए. ई. ने उपरोक्त विषय में अक्टूबर 2009 में प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि, डी.पी.एस. विनामूल्य वितरण सामग्री से संबंधित निविदा में प्रवेश करने से निरुत्साहित कर रहा था। डी.ए. ई. ने आगे कहा कि इनमें से कुछ निविदाओं में जहाँ डी.पी.एस. द्वारा मूल्य वितरण सामग्री का वितरण होना था, यह सामग्री खास स्वरूप फेब्रिकेशन में आवश्यक परिणामों को पाने की दृष्टि से की थी जिसमें अनेक विकासशील कार्यों तथा तंत्र इंट्राकॉसीज का सहभाग था। अपूर्तिकर्ताओं के लिये एफ आय एम के कच्चे माल को उपलब्ध करवाना बहुत कठिन था, जो एफ आय एम के देरी से किये गये वितरण में परिणामित हुआ।

जटिल खरीदों में तथ्य यही रहा कि कठिन प्राप्तीयों में, डी.ए.ई. के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुफ्त जारी सामग्री के खरीद की उचित योजना, कार्य निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय से बचाती है। बिना मूल्य वितरण सामग्री की प्राप्ती का पर्याप्त रूप से नियोजन करना बहुत जरूरी था, जिससे देर का टाला जा सकता था और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के कार्यान्वय के होने वाले अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

कार्य के कार्यान्वय में सहभागी एजंसीयों का त्रुटिपूर्ण समन्वय

7.8 कल्पकम में प्राप्ती, स्थापना और वायु छननी प्रबंधन यंत्रणा के लिये रु. 1.66 करोड़ मूल्य के मांगपत्र जनवरी 2007 में दर्ज किये गये। संस्था ने 61 महिनों को कार्य को पूर्ण करने के वचन को प्रस्तुत किया और उसके अनुसार मार्च 2008 तक आपूर्ति पूर्ण हुई। आदेश की बिना शर्त मान्यता पर संस्था को जुलाई 2007 में रु.11.89 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया। हमने यह पाया किया कि कार्यान्वय में अनेक स्तरों का सहभाग होने पर भी स्तर अनुसार भुगतान के लिये किसी भी प्रकार के समय सूची पत्र मांगपत्र में नहीं दिये गये थे। कुल रु. 1.07 करोड़ का भुगतान 2008 तक किया गया था। जिसमें रूपयों 30.41 लाख के अग्रिम भुगतान का भी समावेश था। परंतु हमने यह देखा किया की बी.ए.आर.सी. आदेश की पूरा करने का आश्वासन देने के लिये सुपूर्दगी का समय सूची पत्र मार्च 2009 तक बढ़ाया गया था, जब कि अक्टूबर 2009 तक प्रणाली की स्थापना पूर्ण नहीं हो पाई थी।



डी.ए.ई.ने अक्तूबर 2009 में तह प्रतिक्रिया दी, की प्रणाली कल्पकम में स्थापिता बड़ी परियोजना का एक हिस्सा है और इस प्रणाली की स्थापना अन्य कार्यों के करीबी समन्वय के साथ की जा रही है। विविध कार्यों की स्थापना में अनेक ऐजंसीयों का सहभाग होने के कारण स्थान की अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और इस प्रकार तय की गई समय सीमा स्थापना पूर्ण नहीं हो सकी।

इस प्रकार डी.ए.ई. को प्रभावी समन्वय और कार्य के गतिमान कार्यान्वय की सफलता आदेश के समापन तक 19 महीनों की देर में परिणामीत हुई, जो अक्तूबर 2009 में संपूर्ण हुई। संस्था ने 27 महीनों से ज्यादा काल तक अग्रिम भुगतान रखने की वस्तुस्थिति में यह देर महत्वपूर्ण है।

तय किये गये वितरण समय सारणी के बाद अतिरिक्त कर भुगतान

7.9 बढ़ाए गई वितरण अवधि के लिये खरीद आदेश में किये गये बदलाव में उपलब्ध की गई प्रमाणभूत शर्तों के अनुसार, कीमत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी, वैधानिक भुगतान या नये आयात कर के लागू करने को आंतर्भूत करके विस्तारीत काल अवधि दौरान विक्रय कर या अन्य बटोरे गये करों को भंडार पर लागू किया जाएगा क्योंकि वे दिये गये दिनांक से आगे सुपूर्द किये गये हैं।

हमने यह पाया किया की, 2002–03 से 2007–08 के रु. 12.24 करोड़ के चार खरीद आदेशों के मामले में, विक्रय कर के पुनरुत्पादन में और वैट की पहचान में डी.पी.एस. और उसके आर पी युज द्वारा विमोचन कि अतिरिक्त राशि रु. 1.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ इसका कारण आपूर्ती कर्ता द्वारा बढ़ाया गया वितरण अवधि का निवेदन कारण था। इन मामलों का परिशिष्ट III – ए में विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है।

डी.ए.ई.ने खरीद आदेश में मर्यादित शर्तों के होने को अभिस्विकृत किया और अक्तूबर 2009 में यह कहा कि बहुतांश मामलों में भीतरी संरचनाओं का तैयार ना होना, कार्य के मूलभूत कार्यक्षेत्र में किये गये बदलाव, नई पद्धती का विकास और निर्यात परवाने को प्राप्त करने जैसे कारणों की वजह से देर हुई। संशोधन और विकास के प्रकार की प्राप्ति द्वारा सामना कि गई दिक्कतों को हम अभिस्विकृत करते हैं, हमारी दृष्टि से अतिरिक्त समय की मंजूरी में शामिल कार्यान्वय मूल्य को संविदा को विस्तारीत करते समय ध्यान में लेना जरुरी है। हमने आगे यह पाया कि दो मामलों में, डी.ए.ई. के पक्ष में देरी के परिमाणतः वितरण सारणी को पुनः⁴² निर्धारित किया गया था।

हमारा यह सुझाव है कि डी.ए.ई. ने मांग कर्ताओं पर नियंत्रण को लागू करने के स्थान पर प्रवृत्ती विभागिय देरीयों ने, देर की वजह से सुपूर्दगी समय सूची पत्र को फिरसे एक बार तय करने हेतु वैधानिक शुद्धता दी है। इससे वितरण समयसूची को फिरसे एक बार तय करने में प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रकल्प के कार्यान्वय पर क्रिसी भी प्रकार का असर नहीं होगा परंतु इसके गंभीर आर्थिक परिणाम भी हैं।

अनुबन्ध के निष्पादन से पहले किये किया गया भुगतान

7.10 जी.एफ.आर.⁴³ में यह कहा गया कि कार्यक्षेत्र, प्रवेश करने पश्चात कि विशिष्टताओं का आंतर्भव होनेवाली संविदा की शर्त, आर्थिक रूप से बदल सकती हैं अगर इस प्रकार के आर्थिक बदलाव को टाला ना जाने की स्थिती में इससे जुड़े आर्थिक और अन्य परिणामों का परीक्षण करना और उन्हे दर्ज करना जरुरी है। रुपये 6.81 करोड़ मूल्य के पाँच मामलों में हमने मांग पत्रों में नियमों और शर्तों के विपरीत होनेवाले बदलाव को देखा जो परिशिष्ट – III – बी में दिये गये हैं। इन मामलों में आपूर्ती कर्ताओं को संबंधीत निम्नलिखित निष्पादन को हासिल

42 सुपूर्दगी समय सूची पत्र की पुनरुत्पादन केवल तभी की जा सकती है, जब विभाग संविदा के अनुसार उसके द्वारा दिये गये वर्चनों को पूर्ण करने में असमर्थ होता है। दुसरी ओर सुपूर्दगी समय सूची पत्र का विस्तार तभी किया जा सकता है, जब आपूर्तीकर्ता सुपूर्दगी दिनांक को सुपूर्दगी करने में अपनी असमर्थता निर्देशित करता है और इस बात के लिये विभाग राजी हो जाता है।

43 नियम 204–14 ए और बी



करने से पहले ही रु. 1.26 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया था।

(i) सामग्री की अनुलग्नक को आश्वत करने के लिए स्थापना और चालू करने हेतु स्थान की उपलब्धता,, (ii) भुगतान किये जाने से पहले प्रशिक्षण में सहभाग और प्रेषणपूर्व जॉच/स्थापना/प्रवर्तन।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह कहा कि, इस प्रकार के प्रसंगों में ऐसी स्थिति में किए भुगतान जो कि इस आधार पर कि आपूर्तिकर्ता को अनावश्यक दिक्कत न हो। भुगतान तय किये जाते हैं की, आगे यह कहा गया है की, आपूर्तिकर्ता से वचन लेने के पश्चात भुगतान किया जाता है जिससे वै संविदा के अनुसार निर्माण एवं चालू करेगा जैसा कि प्रावधानों में चिह्नित है। परंतु यह तथ्य बाकी रहा कि, भुगतान के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने हुए डी.पी.एस. को रु. 1.26 करोड़ का भुगतान किया जैसाकि परिशेष्ट – III – बी में दिखाया गया है।

निष्कर्ष डी.पी.एस. में स्थित संविदा प्रबंधन को दुर्बल पाया गया क्योंकि 17 प्रतिशत खरीद आदेशों को उनके तय किये गये सुपूर्दगी दिनांकों के 6 सालों पश्चात भी मूर्त स्वरूप नहीं दिया गया था और लंबे समय से भारी मात्रा में अग्रिम भुगतान असमायोजित स्वरूप में थे। आपूर्तिकर्ताओं से देरी होने पर भी भुगतान कि गयी क्षतियों को बटोरा नहीं गया था। उच्च मूल्य के आदेशों का निरीक्षण करने हेतु किसी भी प्रकार के प्रभावी साधन मौजूद नहीं थे, जिसके परिणामतः आदेशों के कार्यान्वय में हुई अतिरिक्त देर और अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा

हमारी अनुशंसाएं

16. डी.ए.ई. को सी.वी.सी. के दिशा निदेशों के अनुसार आपूर्ती कर्ताओं को ब्याज रहित अग्रिम भुगतान देने की प्रक्रिया को रोकना होगा और इस प्रकार के अग्रिम भुगतानों पर लगाए जाने वाले ब्याज दर के विषय में उसे अनेक प्राप्ति विभागों में एकसमान नीति को अपनाना होगा। आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये और लंबे समय से बकाया अग्रिम भुगतानों की समीक्षा की किया जा सकती है और इसके निपटान हेतु कार्यवाही की योजना बनाई जानी चाहिए।

17. वितरण समय सारणी में विस्तार सामान्य तौर पर ना होकर केवल विशेष परिस्थितीयों में दिया जाना चाहिए। डी.ए.ई. भुगतान कि गई क्षतीयों के विषय में संविदा में दी जाने वाली सर्वसामान्य शर्तों का फिर से एकबार समीक्षा कर सकता है जिससे देर को टालने हेतु निवारक के रूप में भुगतान की गई क्षतीयों को आके जाने को सुनिश्चित किया जाए। एल.डी. को बटोरने को वित्तीय नुकसान से नहीं जोड़ना चाहिये, जिससे संशोधन और विकास संस्थाओं को परिमाणित होने में दिक्कत आ सकती है।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

असमायोजित अग्रिम भुगतानों का परिक्षण और वसुली करने हेतु एक चौथाई में 10 प्रतिशत मामलों का हल निकालने के लिये चरणात्मक रूप में कार्यवाही की गई। अग्रिम भुगतानों पर ब्याज आकारने हेतु एकसमान नीति को अपनाया गया। एक समय अनुसार तय कि गई कृती योजना इन मामलों को सुलझाने हुते बनाई जासकती है।

खरीद आदेश में दी गई समय सारणी के अनुसार घटकों की सुपूर्दगी को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ती कर्ताओं के लगातार संपर्क में रहने हेतु मांग अधिकारी/प्रकल्प प्राधिकरणों को सूचना जारी की जाएगी। इस विषय के संदर्भ में मांग अधिकारीयों के लिये यह आवश्यक है कि, वे किये गये निरीक्षण इ. इससे देर होने कारणों को पहचानने में सहायता मिलेगी और देरी के लिये ठेकदार के उत्तरदायी होने की स्थिति में प्रतिकात्मक एल.डी. के लिये तंत्र बनाई गई। प्रतीकात्मक एल.डी. तंत्र उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सहे गये घाटे की मात्रा को अनिवार्य नहीं बनाती है, जिससे संशोधन और विकास स्थापनाओं के विषय में दिक्कत आती है। यह दी गई पद्धति से एक महत्वपूर्ण विचलन है, जिसे डी.ए.ई. की मंजूरी की आवश्यकता है, में एक अलग प्रस्ताव 3 महीनों में प्रस्तुत किया जाएगा।



हमारी अनुशंसाएं

18. डी.ए.इ. को वितरण समय सारणी को नये मैन्युअल के रूप में फिर से तय करने हेतु प्रबंधनों का फिरसे एकबार जाएजा लेना होगा, जैसा वैधानिक शुद्धता देनी होगी। इससे न की प्रकल्प परियोजना सारणी पत्र पर परंतु परियोजना के वितीय आशय भी प्रभावित नहीं होंगे।
19. डी.पी.एस. और मांग एजेंसियों को सहभागिता में बनी अनुविक्षण समिति द्वारा उच्च मूल्य की खरीद आदेशों का औपचारीक अंतराल पर मोनिटरिंग किया जाना चाहिए। अँन लाईन परिक्षण यंत्रणा को स्थापित किया जा सकता है।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –डी.ए.इ. की मंजूरी के पश्चात 3 महीने।

माल भेजने के लिए स्थिरीकरण को इस अवधि में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें ऐंजन्सी के किसी हिस्से में देरी संविदा कार्यकारिणी में छिपाव को शामिल नहीं किया जायेगा। इस संदर्भ में सभी निर्देशों को तीन महीने की अवधि के भीतर क्रय विवरणी के हिस्से में विस्तार करके अध्याय 29.7 रखा जायेगा।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – मंजूरी के पश्चात 3 महीने।

मांग अधिकारी/परियोजना प्राधिकरणों और डि पी एस का सहभागिता बनने से वाली अनुविक्षण समिति के गठन का मामले की चर्चा, विभाग प्रमुखों के साथ की जाएगी, जिन्हे इस प्रकार की समिति का गठन करने के लिये निवेदन किया जाएगा। इस विषय के संदर्भ में प्राप्ती एजेंसियों से प्रभावी संविदा प्रबंधन के लिये संवाद होना जरुरी है।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –1 महीना





अध्याय 8

संविदा के पश्चात का प्रबंधन

उद्देश्य 6: क्या सामग्री की जांच, अस्वीकृत सामग्री का नियन्त्रण, और उसकी प्रतिस्थापन आदि के सन्दर्भ में ठेकों के प्रबंधन के बाद की एक ठोस प्रणाली उपस्थित थी और प्राप्त मशीन एवं उपकरणों को समय पर लगाना, कमीशनिंग, और उनके उपयोग के लिए एक प्रभावी प्रणाली थी ?

8.1 उपस्कर की समय पर प्राप्ति, एक दक्ष संविदा पश्चात प्रबंधन में सुनिश्चित करना, उपस्कर की स्थापना और चालू करना स्टोर का निरीक्षण तथा भंडार का सही लेखाकरण, दोषपूर्ण क्षतिग्रस्त मदों के बदले जाने हेतु पूर्व-क्रियाओं का होना शामिल है।

हमने डी.पी.एस. द्वारा संविदा पश्चात् के प्रबंधन में कमीयों नामतः उपस्करों की समय पर स्थापना एवं चालू करना, निर्णय उपस्करों के कारण सरकारी निधियों का अवरोधन, अस्वीकृत/त्रुटिपूर्ण मदों के बदले जाने मरम्मव के संबंध में बेकार अनुवीक्षण तंत्र इत्यादि देखी गई, जैसाकि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

भंडार प्राप्त वाऊचरों का
असमाशोधन / देरी

8.2 भंडार पद्धति⁴⁴ में अनुवंधित है कि जहाँ सप्लाईज खरीद आदेश के अनुसार हों और आवश्यकता होने पर कार्यात्मक जॉच की क्षमता पर, भंडार प्राप्ती वाऊचर (एस.आर.वी.) प्राप्ति विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। थे। इन एस.आर.वी.⁴⁵ को स्थापना/चालू करने / पूर्ण करने और भण्डार/मांगकर्ता/डिवीजन द्वारा मदों के अंग्रेम रूप स्वीकार के बाद मंजूर किया जाता है। हमारे द्वारा 2002–03 से 2007–08 के दौरान दिये गए कुल 1683 खरीद आदेशों का जॉच की गई और हमने यह देखा कि की रु. 277 करोड़ मूल्य के 726 मदों के सन्दर्भ में एस आर वी की मंजूरी में एक से 71 महीनों की देर हुई थी, जिसका व्यौरा विस्तारपूर्वक परिशिष्ट – IV – ४ में दिया गया है। रूपये 85.03 करोड़ के 125 मामलों में एस आर वी मांग कर्ताओं के पास सितंबर 2008 तक एक से 91 महीनों से मंजूरी मिलने स्वीकार हेतु लंबित थे जैसा कि परिशिष्ट – IV – बी में दर्शाया गया है।

उपस्कर की स्थापना/
चालू करने में देरी

8.3 726 मदों में से, हमने देखा कि स्थापना एवं चालू न होना और मशीनरी/उपस्कर की स्वीकार्यता में देरी के कारण रु. 125.60 करोड़ मूल्य की 160 एस आर वीज (22.02 प्रतिशत) की मंजूरी में देरी हुई थी जो स्थापना, प्रवर्तन और यंत्र/उपकरण की मान्यता में लगी देर के कारणवश हुई इन मामलों का आयुवार विवरण सारणी 8 में दिया गया है:

44 स्टोर प्रक्रिया का पैरा 1.7.1

45 सामग्री आपूर्ति की अंतिम स्वीकृति/उपस्कर की प्रतिस्थापना के पूरे होने एवं चालू होने, जहाँ कही शामिल हो के बाद ही एस.आर.वी. निकासी कर सकता है।



सारणी: 8

उपस्कर की स्थापना और चालू होने में देरी *

देरी की अवधी (महिनों में)	मदों की कुल संख्या	मूल्य (करोड रु. मूल्य में)
1 से 6	53	27.12
6 से 12	53	38.97
12 से 24	39	39.07
24 से 36	11	16.73
36 से ज्यादा	04	03.71
कुल	160	125.60

*31 अक्टूबर 2009 की स्थिति

उपरोक्त मामलों का विवरण (आर पी युज वाईज) परिशिष्ट - IV - सी में दिया गया है।

उपकरणों की स्थापना/चालू ना होना

8.4 125 मामलों में से, हमने यह पाया कि स्थान उपलब्ध ना होने, स्थान के गलत चयन, कार्यात्मक परीक्षण के पूरा ना होने, मांगकर्ता की ओर से देर, दोषपूर्ण और अपर्याप्त अपूर्ति के कारण मशीनरी और उपकरणों की अस्थापना/चालू ना होना के कारण रूपये 76.81 करोड़ के मूल्य के 96 एस.आर.वी. के मामले मन्जुर नहीं हुए थे जिसे सारणी 9 में दिया गया है।

सारणी: 9

उपस्कर की अस्थापना और चालू न होना*

देरी की अवधी (महिनों में)	मदों की कुल संख्या	मूल्य (करोड रुपये में)
1 से 6	15	10.50
6 से 12	27	09.69
12 से 24	22	25.71
24 से 36	18	20.70
36 से ज्यादा	14	10.21
कुल	96	76.81

* 31 अक्टूबर 2009 की स्थिति

उपरोक्त मामलों का विवरण परिशिष्ट - IV - भी में दिया गया है

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह कहा कि परिशिष्ट - IV - ए में दिये गये घटकों के संदर्भ में एस.आर.वी. की शीघ्र मंजूरी के लिये नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही/चर्चा की जा रही है। परिशिष्ट - IV - भी और 4 में दिये गये मामलों के संदर्भ में लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों के निपटाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। हमारी दृष्टि से इन मामलों के महत्व की वजह से डी.ए.ई. द्वारा इन विशेष महिमा के परिणामों को समय – समय पर बताया जाए।



**मुख्यतः साइट की तैयारी
नहीं होने के कारण
उपकरण का
अप्रतिस्थापन / चालू न
होना**

8.5 हमने 18 उदाहरणों में पाया कि साइट की तैयारी उपस्कर के अप्रतिस्थापन का सबसे बड़ा कारण था। ये मामले डी.ए.ई. की ओर से योजना में फिलाई का उल्लेख स्पष्ट रूप से करते हैं, जो निधियों की अवरुद्धता और उपकरण की निष्क्रिता का परिणाम था। इस प्रकार के उच्च मूल्य मान वाले आठ उदाहरण हैं जहां 24 से 122 महीनों के बीच की अवधि में रूपये 15.82 करोड़ के उपकरणों को स्थापित/चालू नहीं किया गया था, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। शेष 10 उदाहरणों जिसका मूल्य 5.37 करोड़ रूपये है, का वर्णन परिशिष्ट V में किया गया है।

i. आईजीसीएआर, काल्पाकम में स्थापना हेतु मार्च/अप्रैल 2007 में एम.आर.पी.यू. द्वारा रूपये 2.84 करोड़ की एक कंट्रोल प्लग एसम्बली को खरीदा गया था। साइट की स्थिति⁴⁶ की तैयारी नहीं होने के कारण, प्रतिस्थापन में देरी हुई। इस प्रकार, साइट को उपलब्ध बनाने में आईजीसीएआर द्वारा बरती गई कमी अक्टूबर 2009 तक पिछले 30 महीने से 2.84 करोड़ रूपये का उपकरण को बेकार पड़े रहने का कारण बनी।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि स्थापना और चालू करने का कार्य प्रगति पर था और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हम खरीदे गए उपकरण की लागत को ध्यान में रखते हुए हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि डी.ए.ई. को यथाशीघ्र अपने साइट को तैयार करने की आवश्यकता है।

ii. 2.60 करोड़ रूपये की खरीदी गई चार रेडियो फ्रीक्वेंसी कैविटियों को आरआरसीएटी, इंदौर के इंडस 2 ट्र्यूनेल में जुलाई 2004 में स्थापित की जानी थी। पूर्ण पैरामीटरों के साथ इन कैविटियों और परिशुद्ध चीलर प्रणाली की श्रेष्ठता की पूर्ण क्षमता परीक्षण की योजना आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जुलाई 2007 में कार्यान्वित किया गया और इसके बाद दिसंबर 2008 तक के लिए स्लैट कर दिया गया है, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस प्रकार, 78 से 99 महीने तक पूर्ण पैरामीटरों के साथ आरएफ कैविटियों के उच्च मूल्य को कारगर नहीं बनाया गया था।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि यद्यपि कैविटियों ने इंडस-2 की स्थापना के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन किया तथा इंडस-2 में स्टोर किए गए बीम करेंट की परिमितता के कारण कैविटियों में पूर्ण क्षमता को नहीं डाला जा सका था। कैविटियों को अभी आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में सभी परीक्षणों के बाद स्वीकार किया जाना है। डी.ए.ई. के जवाब को इस तथ्यों के प्रकाश में यह देखने की आवश्यकता है कि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि इस कार्य को कब तक पूरा करना है।

46 कंक्रीट सांरचना पर रुफ स्लैब मॉडल और एसआरपी मॉडल की स्थापना, जो उपकरण की स्थापना और नियुक्ति की एक पूर्व-स्थिति थी, को पूरा नहीं किया गया था।



iii. आर.आर.सी.ए.टी., इंदोर के लिए फरवरी 2006 में 2.46 करोड़ रुपये की लागत का उच्च वोल्टेज जेनरेटर और इंजेक्टर नियंत्रक खरीदा गया था। इस वोल्टेज 2.5 एम वी के निर्धारित अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले केलीबरेशन परीक्षण किया जाना था। हालांकि, प्रतिस्थापन पूर्ण नहीं किया जा सका था। आई.आर.पी.यू. ने सितम्बर 2008 में कहा कि इस एक्सीलरेटर के पूर्णतः उपयोग करने के क्रम में, आरआरसीएटी ने इसे एक नए परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमने पाया कि उक्त परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार से दिसम्बर 2008 में अर्जित की गई थी। इस परिसर का निर्माण अभी किया जाना था और केवल 2011–12 तक पूर्ण की जाने की आशा थी। उपस्कर अभी भी आर.आर.सी.ए.टी. परिसर में पड़ा हुआ है। इस प्रकार, साइट की तैयारी नहीं होने के कारण इस प्रकार के उच्च मूल्य/परिष्कृत प्रणाली का प्रतिस्थापन अक्टूबर 2009 तक, 43 महीने के बाद भी पूरा नहीं किया गया था।

अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई. ने कहा कि स्थान परिवर्तन के कारण इस प्रणाली के स्थापित और चालू करने की प्रक्रिया लंबित है। जब उस भवन को एक बार राज्य सरकार द्वारा सौंप दिया जाएगा जो निर्माणाधीन है, तब इस कार्य को शीघ्र समाप्त कर दिया जाएगा।

डी.ए.ई. के जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि साइट की तैयारी नहीं होने के कारण, इस प्रणाली को प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।

iv. अप्रैल 2006 में एन.एफ.सी., हैदराबाद और एन.एफ.सी., पजहायाक्कल, टुटिकोरिन में स्थापित करने के लिए रुपये 2.38 करोड़ के दो एटोमिक एमीशन स्पेक्ट्रोमीटर का आयात फ्रांस से किया गया था। वह उपस्कर जो एन.एफ.सी., हैदराबाद के लिए था, को इसकी प्राप्ति की तिथि के 16 महीनों के बाद स्थापित किया गया था जबकि दूसरे उपस्कर को पजहायाक्कल में 41 महीना बीत जाने के बाद भी स्थापित नहीं किया गया था, क्योंकि प्रयोगशाला का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर था।

अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई. ने कहा कि साइट का कार्य पूरा हो गया था और उपकरण को जल्द ही स्थापित और चालू कर दिया जाएगा।

v. 9 प्लान परियोजना—आरयूएमपी⁴⁷ के अंतर्गत बीएआरसी, मुंबई के अंतर्गत अनुसंधान रिएक्टरों के लिए यूरेनियम मेटल प्लूल के उत्पादन हेतु जुलाई 1999 से नवम्बर 2000 की अवधि के बीच 1.85 करोड़ रुपये की कीमत के तीन ट्यूबलर रोटरी भट्टी और एक अमोनिया क्रेकर यूनिट की खरीदारी की गई। बीएआरसी के अंदर थोरियम प्लांट साइट को गिरा कर एक नए प्लांट का निर्माण किया जाना था जहां मशीनरी को स्थापित किया जाना था। यह पाया गया कि रेडियोएक्टिव कचड़ों के निपटान की आवश्यकता हेतु साइट को गिराने और उसकी साफ—सफाई में देरी हुई। चूंकि प्लांट तैयार नहीं था इसलिए मशीनरी को शेड में स्टोर कर दिया गया था। ट्यूबलर रोटरी भट्टी को चालू करने में देरी पर भारत के महा लेखा परीक्षक की वर्ष 2003 की रिपोर्ट संख्या 5 के पैराग्राफ 7.1 में टिप्पणी की गई थी।

47 यूरेनियम मेटल प्लांट को फिर से चमकाना



हमने आगे पाया कि भवन के सिविल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अक्टूबर-दिसंबर 2005 में सभी चार मशीनों को स्थापित किया गया था। हांलाकि वायु संचालन का कार्य अभी भी प्रगति पर था, वायु संचालन प्रणाली की क्रियात्मक स्पष्टता को प्राप्त करने के बाद फरवरी 2009 में हॉट कमिशनिंग का प्रस्ताव बी.ए.आर.सी. सुरक्षा समिति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। इस प्रकार, मशीनरी को अक्टूबर 2009 अर्थात् 106-122 महीनों तक संचालन के योग्य नहीं बनाया गया था। चूंकि मशीनरी को स्वदेशी स्त्रोतों के द्वारा खरीदा गया था और इसके वितरण का प्रचालन समय केवल चार से ग्यारह महीने तक का ही था, साइट की तैयारी से बहुत पहले मदों को खरीदा जाना, डी.पी.एस. की ओर से त्रुटिपूर्ण योजना को अंकित करता है।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में कहा कि साइट की संवेदनशील प्रकृति, ठेकेदारों/श्रमिकों का पुलिस सत्यापन, श्रमिकों का आंदोलन और उनके कार्य का प्रभावी समय, कार्य दबाव उपस्करणों की स्थापना और चालू होना में देरी के लिए जिम्मेवार है। जवाब में औचित्य की कमी थी क्योंकि आठ वर्षों से अधिक की देरी हुई थी।

vi. 1.54 करोड़ रुपये के कीमत पर एक उच्च विकेंद्रीकृत टेलीऑपरेटर प्रणाली वेस्ट इमोबिलाइजेशन प्लांट, बीएआरसी, तारापुर के लिए खरीदा गया था। चूंकि मरम्मत और नवीनीकरण हेतु प्लांट बंद था, इसलिए इसे दूसरे क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया था। डी.पी.एस.ने दिसंबर 2008 में कहा कि उक्त उपकरण का अंतिम प्रतिस्थापन का कार्य पूरा नहीं हुआ था और केवल प्लांट दुबारा चालू होने के बाद ही इसे दे दिया जाएगा।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में, कहा कि प्रणालियों के इंटरफेसिंग अंतरप्रष्टीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसके प्रतिस्थापन का कार्य अगले दो महीनों के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है। हांलाकि, तथ्य यही रहा कि इसके गतिविधियों की कार्यक्रम के लिए बी.ए.आर.सी. की असफलता के कारण अक्टूबर 2009 तक से पिछले 26 महीनों तक उपस्करण को संस्थापन नहीं किया जा सका।

vii. अगस्त 2007 में 1.08 करोड़ रुपये की कीमत का एक बॉयलर फीड पंप फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, कलपाकम के लिए खरीदा गया था। हमने पाया कि स्थापना का कार्य अक्टूबर 2007 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका था। नवंबर 2008 में एमआरपीयू ने कहा कि कई प्रतिबंधों जैसे साइट का तैयार न होना, साइट पर प्रतिबंध, मूल फ्रेम में सुधार, इत्यादि के कारण उपकरण की स्थापना का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।

अक्टूबर 2009 में, डी.ए.ई. ने कहा कि बॉयलर फीड पंपों के प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक उचित माप लिए जाएंगे। तथ्य यही रहा कि पंप अक्टूबर 2009 को 25 महीने पहले से बेकार पड़ा रहा।



viii डी.पी.एस.मुंबई ने अत्यावश्यकता के आधार पर बीएआरसी के निदेशक की विशेष स्वीकृति के द्वारा एकल निविदा के आधार पर जनवरी 2007 में, 1.07 करोड़ रुपये की कीमत का एक हॉट प्रेस का पी.ओ. पारित किया। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) नियंत्रक रोड लागू करने के लिए बोरन कार्बाइड पैलेट्स की प्रचुर मात्रा युक्त के उत्पादन के लिए बीएआरसी, मुंबई को प्रणाली की आवश्यकता थी। पीओ के नियम और शर्तों के अनुसार, प्रणाली का वितरण बीएआरसी मुंबई में किया जाना था। हालांकि, सामग्री प्रक्रिया अनुभाग, बीएआरसी, मुंबई में जगह की कमी के कारण बीएआरसी के द्वारा गठित परिचालन समिति ने मार्च 2007 में एचडब्ल्यूपी, मनुगुरु में अस्थायी रूप से सिस्टम को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, प्रणाली का वितरण सितंबर 2007 में एचडब्ल्यूपी, मनुगुरु में कर दिया गया था। हमने देखा कि साइट नहीं उपलब्ध होने के कारण अक्टूबर 2009 तक एचडब्ल्यूपी, मनुगुरु की वाली वैकल्पिक साइट पर प्रणाली को स्थापित नहीं किया गया था।

अक्टूबर 2009 में डी.ए.इ. ने कहा कि हॉट प्रेस के जल्दी प्रतिस्थापन का प्रयास किया गया था। हालांकि बात यह रह गया कि रुपये 1.07 करोड़ की कीमत का हॉट प्रेस जो कि एकल निविदा पर अत्यावश्यकता के आधार पर अक्टूबर 2009 तक 24 महीने से स्थापित पड़ा था।

त्रिटीपूर्ण/कम आपूर्ति के कारण उपस्कर की स्थापना/उपयोग न होना

8.6 हमने आगे 10 उदाहरणों में पाया कि पांच करोड़ रुपये के मूल्य के मशीनरी और उपकरण को स्थापित/संचालित नहीं किया जा सका था और कई कारणों जैसे कि दोषपूर्ण/कम आपूर्ति, गैर-बदलाव/संशोधन, विवादित सामग्रियों की आपूर्ति, इत्यादि के कारण 18 से 56 महीनों की अवधि से प्रभावी उपयोग में नहीं लाय जा सकते। रुपये 3.37 करोड़ के मूल्य के चार उच्च मान वाले उदाहरणों का वर्णन नीचे किया गया है। शेष 1.63 करोड़ रुपये के मूल्य के उदाहरण का वर्णन परिशिष्ट- VI में किया गया है।

i. जनवरी 2005 में, आरआरसीएटी, इंदौर के लेजर भौतिकी अनुभाग में प्रतिस्थापन के लिए आई.आर.पी.यू के द्वारा 95 लाख रुपये की कीमत पर एक वेपर डिपॉजिशन सिस्टम को खरीदा गया था। हमने यह पाया कि साइट के तैयार नहीं होने के कारण इस मशीन को पैक की स्थिति में एक वर्ष तक रखा गया था। इसके बाद, जनवरी 2006 में, जब बक्सों को खोला गया तब यह पाया गया कि कुछ सामग्रियों की आपूर्ति कम थी। आई.आर.पी.यू ने जनवरी 2006 में कहा कि कम आपूर्ति के सामानों की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस उपकरण को स्थापित और चालू नहीं किया गया था और आपूर्तिकर्ता इसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं आया था।

अक्टूबर 2009 में, डी.ए.इ. ने कहा कि इस सिस्टम का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया था, यूएस के वाणिज्य विभाग की मदद मांगी गई है और उनके जवाब का इंतजार किया गया जा रहा है। आगे कहा गया कि कम आपूर्ति के सामानों की जल्दी आपूर्ति के लिए लगातार फोलो अप बनाया गया था। हालांकि, बात यह रह गई कि इस उपकरण को अक्टूबर 2009 तक पिछले 56 महीनों से स्थापित और चालू नहीं गया था।



ii. अगस्त 2006 में, खोज और अनुसंधान के लिए एटोमिक मिनरल्स निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद ने 90.93 लाख रुपये की कीमत पर एक मल्टीफंक्शनिंग रीसीवर खरीदा। इस प्रणाली को दिसंबर 2007 में एएमडी स्टोर्स अनुभाग में प्राप्त किया गया था, लेकिन यह संतोषजनक कार्य नहीं कर पा रहा था। जेरनेटर, जो इस सिस्टम का आवश्यक अवयव है, वह ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और आपूर्तिकर्ता के इंजीनीयर भी इस प्रणाली को चालू नहीं कर सकें। आपूर्तिकर्ता को इस खराब जेरनेटर को बदलने के लिए कहा गया था।

अक्टूबर 2009 में, डी.ए.ई ने कहा कि सिस्टम को स्थापित और चालू करने के साथ-साथ इसकी वापसी के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ फौलों अप बनाया गया था। बात यह रह गई कि 90.93 लाख रुपये की कीमत वाले सिस्टम को अक्टूबर 2009 तक पिछले 21 महीनों से उपयोग नहीं किया जा सका है। आगे, सिस्टम की अनुपलब्धता के कारण 200 मीटर से अधिक की गहराई के नाप के भौगोलिक सर्वेक्षण के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका है।

iii. अक्टूबर 2006 में, बीएआरसी, वाषी, मुंबई के पाउडर मेटालरजी अनुभाग में स्थापित करने के लिए एक इंडक्शन भट्ठी को रूपये 90.44 लाख की कीमत पर खरीदा गया था। आपूर्तिकर्ता के तरफ से और एसेसरीज की गैर आपूर्ति जैसे फाइनल जल-शीतक लीड्स की ओर से देरी होने के कारण, हमने पाया कि इस उच्च मूल्य के सिस्टम को स्थापित और चालू नहीं किया गया था।

डी.ए.ई ने अक्टूबर 2009 में, कहा कि खराब सामग्री की वापसी और उचित सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को मनाने में कुछ समय लग गया। एसेसरीज आपूर्ति की जानी थी और भट्ठी को स्थापित और चालू करने के साथ-साथ वापसी के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ फौलों अप बनाया गया था। बात यह रह जाता है कि भट्ठी को अक्टूबर 2009 तक 35 महीने पहले तक स्थापित और चालू नहीं किया जा सका।

iv. जून 2006 में, डी.पी.एस.ने रुपये 60.60 लाख की कीमत पर बीएआरसी के उच्च दाब भौतिक अनूभाग (एचपीपीडी) के द्वारा आवश्यक फ्लैट पैनल एक्स-रे डिटेक्टर की खरीद का आदेश दिया था। आदेश के नियोजन के बाद, जुलाई 2006 में डिटेक्टर के एक अपग्रेड मॉडल की आपूर्ति के लिए फर्म ने यह कहते हुए आदेश दिया कि मॉडल पीक्सीयम 4700 फ्लैट पैनल डिटेक्टर को एक अतिरिक्त विशेषता के साथ अपग्रेड किया गया था। फर्म के निवेदन को स्वीकार किया गया और मार्च 2007 में उपस्कर को भेजने से पूर्व उसकी जांच के बाद डिलिवर किया गया था। हालांकि, उपस्कर की प्राप्ति के बाद, सितंबर 2007 में, यह पाया गया कि यह उपकरण संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है।

डी.ए.ई ने अक्टूबर 2009 में कहा कि जब भेजने से पूर्व जांच की गई थी तब फर्म के पास उपकरण के परीक्षण के लिए सेटअप की न्यूनतम आवश्यकता थी। हालांकि, साइट पर सभी अन्य उपस्कर के संघटन और परीक्षण के लिए उपलब्ध था। आपूर्तिकर्ता के साथ उचित फौलों अप के द्वारा खराबी को ठीक करने के प्रयास किया गया था। बात यह रह गई कि मामले की फौलोंअप और भेजने के पूर्व जांच के समय में एनोमेलीज डिटेक्ट करने में डी.पी.एस.की असफलता के कारण, अक्टूबर 2009 तक 30 महीने की अवधि से उपस्कर को ठीक नहीं किया गया था।



उपरोक्त सभी मामलों के जवाब में, डी.ए.ई. ने एसेसरीज की गैर आपूर्ति, खराब कार्य, खराब हार्डवेयर की आपूर्ति और खराबी की बदलने में देरी के लिए आपूर्तिकर्ताओं की असफलता को दोषी ठहराया। डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में यह भी कहा कि कुछ देशों के द्वारा प्रौद्योगिकी की अस्वीकृति और व्यापार प्रतिशेष के कारण मरम्मत/संशोधन भी कठिन है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि 10 उदाहरणों में से कोई भी निर्यात प्रतिबन्दन के अंतर्गत आता था और इस प्रकार प्रतिबन्धन का प्रयोग संशोधन/रूपांतरण में देरी के स्पष्टीकरण के कारण के रूप में नहीं किया जा सकता है। सभी रिपोर्ट किए गए उदाहरणों में, उपस्कर की अप्रतिस्थापना/चालू नहीं होने का स्पष्ट कारण डी.ए.ई की ओर से ढिलाई है।

निष्कर्ष

संविदा के पश्चात के प्रबंधन में तत्परता शिथिल थी और आडिट में रूपये 125.60 करोड़ की राशि के 22 प्रतिशत मामले की जांच में प्रभावी कार्यवाही की कमी पाई गई। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पाया गया कि स्थापना, चालू करने और मशीनरी/उपस्कर के जांच की स्वीकृति में देरी का कारण था। आगे, साईट की अनुपलब्धता, अनुचित साईट चयन, कुछ कार्यात्मक जांच का पूरा होना इत्यादि कारणों से रूपये 76.81 करोड़ के मूल्य के उपस्कर/मशीनरी की स्थापना न हुई / चालू नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी निधियों के अवरोधन के अलावा उपस्कर का प्रयोग निहित उददेश्य के लिए नहीं हुआ।

हमारी अनुशंसाएं

20. सामग्री का निरीक्षण, त्रुटिपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों को बदलने, त्रुटि में सुधार इत्यादि हेतु भंडारण प्रक्रिया में समय सारणी निर्धारित की जानी चाहिए
एसआरवी के देरी/न निपटाने संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।

21. दिए गए तथ्य कि साईट की तैयारी नहीं होने, इत्यादि जैसे कारणों से बड़ी संख्या में मशीनरी/उपस्कर की स्थापना/चालू करने में देरी हुई, डी.ए.ई. को अपने मांगपत्र अधिकारियों को मशीनरी/उपस्कर की स्थापना/चालू करने हेतु विशिष्ट समय सीमा तय करने का निर्देश देना चाहिए।

22. अनुवीक्षण हेतु उचित तंत्र की रचना/निर्माण किया जाना चाहिए तथा विभिन्न कार्यकारणी एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय सारणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

डी.ए.ई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

- एसआरवी के देरी/न निपटाने से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।
अनुशंसा के अनुसार गतिविधियों के लिए समय सारणी को निर्धारित किया जाएगा—1 महीना।

ऐसा कहा जा सकता है कि मशीनरी/उपस्कर की स्थापना/चालू करना मुख्य साईट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। साईट की उपलब्धता से संबंधित गतिविधियां परियोजना सारणी का एक भाग है। अतः, मांगपत्र अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा मशीनरी/उपकरण को स्थापित/चालू करने से संबंधित समय सीमा को व्यक्तिगत मामलों के आधार पर परिभाषित करने की आवश्यकता है। मांगपत्र के स्तर से उचित मशीनरी/उपस्कर को स्थापित करने / चालू करने के लिए समय सारणी को परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, इस संदर्भ में एक परिपत्र जारी किया जाएगा।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 1 महीना

मांगपत्र अधिकारी/परियोजना है और डी.पी.एस. की समिति का गठन किए जाने का प्रस्ताव है जिसका अधिदेश विभिन्न भंडारण गतिविधियों की समय सारणी के पालन के अनुवीक्षण के अतिरिक्त जिम्मेदारी सहित पी.ओ. के कार्यव्यवन का अनुवीक्षण करना भी होगा।



हमारी अनुशंसाएं

23. सरकार के वित्तीय इन्टरेस्ट को सुरक्षित रखने के क्रम में खराब/कम आपूर्ति इत्यादि के लिए खरीद आदेशों/अनुबंधों में आवश्यक प्रावधानों को समाविष्ट करके आपूर्तिकर्ता को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 1 महीना

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद डी.ए.ई. के वित्तीय इन्टरेस्ट को सुरक्षित रखने के क्रम, त्रुटिपूर्ण/कम आपूर्ति इत्यादि के लिए आपूर्तिकर्ता को जिम्मेदार बनाने में निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई अनुशंसाओं के अनुसार उपयुक्त प्रावधानों को समाविष्ट किया जाएगा।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 6 महीना





अध्याय 9

वस्तुसूची प्रबंधन

उद्देश्य 7: क्या वस्तुसूची प्रबंधन दक्ष और प्रभावी था?

9.1 जी.एफ.आर.⁴⁸ के अनुबंधानुसार प्रापण संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्देनजर खरीदें जाने वाली सामग्री की मात्रा को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। वस्तुसूची में दर्ज कीमत और वास्तविक आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीद से बचने के लिए सावधानी बर्तनी चाहिए। जी.एफ.आर.⁴⁹ में आगे अनुबन्धित है कि आवश्यकता की आवृत्ति की निर्भरता एवं मात्रा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा बफर स्टॉक इण्टर्टम निर्धारित करना चाहिए।

हमने वस्तुसूची प्रबंधन में गंभीर बड़ी कमियों को देखा। डी.पी.एस.ने वास्तविक आवश्यकता से अधिक के स्टोरों की खरीददारी की जिससे 2 से 40 वर्षों की विस्तारित अवधि का 42.10 करोड़ रुपये के मूल्य की जरूरत से ज्यादा सामग्रियों जैसे स्टेनलेस स्टील प्लेट/पाइप, कार्बन स्टील प्लेट्स, केबल्स, मरम्मत का सामान, प्रतिरोधक, आवश्यकता के अनुचित मूल्यांकन के कारण खराब/अनुपयोगी स्टॉकों, की खरीददारी का परिणाम हुआ जिसका वर्णन नीचे पाराग्राफिज में किया गया है।

**2 से 20 वर्ष तक मर्दों
की अनुप्रयुक्त स्टॉक**

9.2 हमने पाया कि 32.22 करोड़ रुपये के मूल्य का स्टॉक कार्ड से संबन्धित था, 2 से 20 वर्ष तक की अवधि तक अनुप्रयुक्त पड़ा रहा था। इन मामलों का आयुवार ब्यौरा सारणी 10 में दर्शाया गया है।

सारणी—10

मर्दों की निष्क्रिय स्टॉकिंग

अवधि (वर्षों में)	मर्दों की संख्या	मूल्य (रुपये करोड़ में)
> 2 < 5 वर्षों के बीच	82	8.89
> 5 < 10 वर्षों के बीच	131	11.08
> 10 < 15 वर्षों के बीच	55	11.35
> 15 < 20 वर्षों के बीच	5	0.50
> 20 वर्षों से अधिक	5	0.40
कुल	278	32.22

278 मामलों में से 29.46 करोड़ रुपये के 230 मामलों में, हमने देखा कि स्टॉक से जारी सामग्रियां कुल खरीदे गए स्टॉक प्रापण के 50 प्रतिशत से भी कम थीं। 6.03 करोड़ रुपये के 65 स्टॉक कार्डों के स्टोरों के सापेक्ष पिछले 11 वर्षों में किसी भी प्रकार की सामग्री जारी नहीं की गई।

हमने आगे देखा कि 130 मामलों से संबंधित ₹ 20.83 करोड़ की मर्दों के संबंध में स्टॉक में सामग्री की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता और बहुत कम सामान जारी होने के बावजूद डी.ए.ई. उसी सामग्री की अतिरिक्त मात्रा में खरीददारी के लिए आगे बढ़ा था। इन मामलों का ब्यौरा परिशिष्ट VII में दर्शाया गया है।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि स्टॉक को चालू परियोजना कार्य के लिए निकाला गया है, कुछ स्टॉक परियोजना प्राधिकारियों द्वारा समीक्षाधीन था, और कुछ को फैब्रिकेशन, इत्यादि के लिए मुफ्त मुद्दों के रूप में जारी किया गया था।

48 जी.एफ.आर. का नियम 137 (i)

49 जी.एफ.आर. का नियम 193



उत्तर को इस तथ्य के इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि अधिकतर इन मामलों में जारी किए गए स्टॉक 50 प्रतिशत से भी कम था जो स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि डी.पी.एस.के द्वारा खरीदा गया स्टॉक बहुत अधिक था और आवश्यकता के अनुसार नहीं था। वस्तुसूची प्रबंधन भी प्रभावी नहीं था क्योंकि डी.पी.एस. लगातार कम प्रयोग वाली मदों की अतिरिक्त खरीद कर रहा था और 2 से 11 वर्ष तक जारी नहीं हुए स्टॉक के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी।

1.18 करोड़ रूपये के मूल्य का अप्रयुक्त स्टील

9.3 हमने देखा कि कई प्रकार की स्टील मदों जैसे एंगल्स, एम.एम.एंगल्स, राउंड बार्स, टोर स्टील, एमएस चैनल, प्लेट्स, एमएस शीट्स इत्यादि जिसकी लागत 1.18 करोड़ और इसका वजन 885.399 एमटी था, वह एमआरपीयू (आईजीसीएआर) स्टोर में 3 वर्ष से 36 वर्षों की अवधि तक बेकार पड़ा रहा, जिसका वर्णन सरणी 11 में किया गया है।

सरणी-11 अप्रयुक्त स्टील		
दरी की श्रेणी (वर्षों में)	स्टॉक कार्डों की संख्या	मदों का मूल्य (रूपये लाख में)
1 – 10	30	69.26
10 – 20	27	25.99
20 – 30	12	3.03
30 से अधिक	63	19.49
	132	117.77

इसके अलावा, स्टील की कई अन्य सामग्री जिसका वजन 124.042 एमटी. था, स्टॉक में अप्रयुक्त पड़ी रही। एमआरपीयू द्वारा इन मदों को लागत नहीं बनाई गई थी। हमने पाया कि प्रचुर मात्रा में 1009.441 एमटी. के वजन वाली इन सामग्रियों को एमआरपीयू ने मुख्यतः 2002–03 से पहले खरीदा था। सितंबर 2008 में, 1000.441 एमटी. (शेष स्टॉक) की प्रचलित कीमत 55283 रूपये प्रति एमटी. के दर से 5.58 करोड़ रूपये बनती थी। आगे, स्टील यार्ड के निरीक्षण दौरान, हमने पाया कि अधिकांश मदों में जंग लगा हुआ था वह और प्रयोग की स्थिति में नहीं था। संक्षरण से इन सामग्रियों को बचाने के लिए स्टोर डिविजन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके परिमाण स्वरूप भारी क्षति हुई।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में, बताया कि कबाड़ स्टील सामग्री के उचित निपटान के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और निपटान के कार्य के कार्यवाही के परिणाम को लेखापरीक्षा को जल्द ही सूचित किया जाएगा।

बी.ए.आर.सी. में 1 से 9 वर्ष तक रूपये 2.20 करोड़ की राशि के निष्क्रिय प्रतिरोधक

9.4 बी.ए.आर.सी. को इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक उपस्कर के निर्माण और देखरेख के लिए प्रतिरोधक की आवश्यकता थी। हमने पाया कि सितंबर 2008 तक बी.ए.आर.सी. मुंबई के मोडुलर लैब जोनल स्टोर्स में 1598 विभिन्न प्रकार के 998782 प्रतिरोधक बेकार पड़े हुए थे। हमने यह भी देखा कि इन प्रतिरोधकों की यूनिट दरों का मूल्य केवल कुछ न उपयोग किए स्टॉक कार्डों पर ही रिकॉर्ड किया गया था। हमने स्टॉक कार्ड में रिकॉर्ड किए गए 22 रूपये प्रति यूनिट के दर पर प्रतिरोधकों के न्यूनतम मूल्य को लेकर के प्रतिरोधकों के स्टॉक मूल्य की लगभग 2.20 करोड़ रूपये ही आँकड़न की थी।

हमने 393812 प्रतिरोधकों के एक स्टॉक को नियंत्रक करने वाले 100 स्टॉक कार्ड की जांच परीक्षण में पाया कि इन प्रतिरोधों को वर्ष 2000 से पहले खरीदा गया था। 52 स्टॉक कार्डों के मामले में, जिसमें 47.25 लाख रूपये मूल्य के 214785 प्रतिरोधक शेष थे, शून्य या न के बराबर सामान जारी किया गया था। 179027 प्रतिरोधकों के एक स्टॉक नियंत्रक के 48 स्टॉक कार्ड के सापेक्ष जारी की गई सामग्री की मात्रा केवल 11 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक थी। इस प्रकार, 39.39 लाख रूपये के मूल्य के ये प्रतिरोधक 9 वर्षों से अधिक की अवधि तक अप्रयुक्त



पड़े थे।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में, बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में स्टॉक की समीक्षा कर ली जाएगी। अपेक्षित प्रतिरोधकों को रख लिया जाएगा और बाकी बचे हुए प्रतिरोधकों का उचित समय पर निपटान कर लिया जाएगा।

बी.ए.आर.सी. में रूपये 1.20 करोड़ का अनुप्रयुक्त स्टील

9.5 रिएक्टर इंजिनीयरिंग डिविजन (आरईडी), बीएआरसी के द्वारा उठाए गए मांग पत्र के आधार पर, मई और जुलाई 1989 में, डी.पी.एस. ने 48.33 लाख रूपये के मूल्य के विभिन्न आकार के विशेष ॲस्ट्रेनेटिक⁵⁰ स्टेनलेस स्टील प्लेट और ट्यूब को मार्च/जून 1992 में पुराने चार-लूपों वाले डिजाइन के सिद्धांत पर आधारित पी.एफ.बी.आर.⁵¹ के इंकलाइंड फ्यूल ट्रांसफर मशीन (आई.एफ.टी.एम.) के विकास के लिए खरीदा था। हालांकि डिजाइन के दो लूपों के सिद्धांत में परिवर्तन किया गया था और खरीदे गई सामग्रियों के आयाम आई.एफ.टी.एम. के नए डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं थे और इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जा सका। चूंकि सामग्रियों की आवश्यकता लंबे समय तक नहीं थी, बीएआरसी का रीफ्यूलिंग टेक्नॉलॉजी डिविजन (आरटीडी) ने सितंबर 2003 में आई.जी.सी.ए.आर., कलपक्कम को (जिसके ओर से मशीन को विकसित किया गया था) एक महीने में सामग्री का संग्रह करने के लिए कहा गया था। हालांकि, आई.जी.सी.ए.आर. से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी और इसलिए सामग्री को अधिशेष घोषित किया गया था सामग्रियों का पुनर्मूल्यांकन रूपये 1.20 करोड़ करके जनवरी 2005 में निपटान हेतु केन्द्रीय स्टोर इकाई को स्थानांतरित किया गया था।

मई 2008 में, आई.जी.सी.ए.आर., कलपक्कम के नाभिकीय इंजिनीयरिंग समूह (एन.ई.जी.) ने सेंट्रल स्टोर्स, बीएआरसी से इन सामग्रियों को एन.ई.जी. कलपक्कम को उसके उपयोग हेतु स्थानांतरण करने का अनुरोध किया गया था। डी.पी.एस. ने अगस्त 2008 और दिसंबर 2008 में बताया कि आरटीडी., बीएआरसी कलपक्कम इन मदों को कालपक्कम को निर्वासन करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

इस प्रकार, सामग्रियों की खरीद में योजना की कमी के परिणामस्वरूप रूपये 1.20 करोड़ की स्टेनलेस स्टील 17 वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़ा था।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि सामग्री को फरवरी 2009 में एन.ई.जी., आई.जी.सी.ए.आर., कालपाक्कम में उसके आगे के उपयोग हेतु स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि, यह तथ्य रहा कि सामग्री खरीद के 17 वर्षों के बाद भी प्रयोग नहीं की जा सकी थी।

आई.आर.पी.यू. में रूपये 31.75 लाख का अनुप्रयुक्त स्टील

9.6 इंडस 2 के द्विधुरीय मैग्नेट कोर की संरचना के लिए वर्ष 1991–92 में टाटा ए ग्रेड सामग्री के 209.50 एमटी वाले कार्बन स्टील प्लेटों को आईआरपीयू ने खरीदा था। बढ़ाए गए ऊर्जा के स्तर के लिए अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को प्राप्त करने में यह सामग्री सक्षम नहीं थी। इसलिए, आईआरपीयू ने बेल्जियम से चुंबकीय द्विधुव के लिए, अपेक्षित सामग्री का आयात किया। हालांकि, हमने पाया कि 1991–92 में खरीदे गए इस्पात के 209.50 एमटी में से केवल 114 एमटी स्टील का ही उपयोग हो सका था। फरवरी 2009 तक स्टील की बाकी 63.50 एमटी. की मात्रा बिना प्रयोग किए पड़ी थी। आगे इस सामग्री का स्टोर के स्टॉक रजिस्टर में लेखा नहीं किया गया था और सुरक्षा के बिना 15 वर्षों से एक सुनसान एकान्त जगह पर रखा गया था।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग (जो कि इनडस – 2 की शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया गया था।) की सलाह पर परियोजना प्राधिकारियों ने इस स्टील का प्रयोग चुम्बक बनाने के रूप में करने का ख्याल छोड़ दिया। उपयोग समिति में

50 ॲस्ट्रेनेटिक स्टेनलेस स्टील में कार्बन स्टील के तुलना में उच्च प्रतन्यता, कम तनाव उत्पन्न करने और अपेक्षाकृत उच्च तन्य शक्ति है।

51 प्राटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर



अब पक्की तौर पर बताया है कि स्टील प्लेट की शेष 63.50 एम.टी. की मात्रा प्रोटोन सिनकरोटोन रिंग के लिए टरेल मॉडल चुम्बक के लिए प्रयोग की जाएगी। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि इस स्टील को सुरक्षित सरविलैंस जगह पर रखा गया था। यहाँ यह तथ्य सामने आता है कि डी.ए.ई. ने 63.50 एम.टी. स्टील प्लेटें जिनकी तत्कालीन कीमत 31.75 लाख रुपये थी को पिछले 17 सालों से इस्तेमाल नहीं किया था।

एम.आर.पी.यू. में व्यर्थ में रखी तारें जिनकी कीमत 30.89 लाख रुपये है

9.7 हमने अवलोकन किया कि एम.आर.पी.यू. भंडारों में 26872.44 मीटर की विभिन्न प्रकार की तारें जैसे कि पी.वी.सी. इन्सुलेटिड, एल्मुनियम कन्डक्टर टाइप / तांबे वाली तारें जिसकी कीमत 28.06 लाख⁵² रुपये थी 6 वर्ष से लेकर 35 वर्षों के समय से बेकार पड़ी रही थीं। इसके अतिरिक्त 38 स्टेनलैंस स्टील की खोलियाँ जो स्टील को गर्म करने में उपयोग होती हैं जिसकी कीमत 2.83 लाख रुपये थी स्टॉक में 13 वर्षों से 31 वर्ष तक के समय से बेकार पड़ी रही थी। इस प्रकार से, तारों का आकलन का गलत निर्धारण कर 30.89 लाख रुपये की तारों को बेवजह इकट्ठा किया गया था।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि लेखा-परीक्षा की अभियुक्तियों को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनायी गयी है जो कि इन अतिरिक्त तारों के इस्तेमाल/निवारण के लिए उपाय बतायेगी। जनवरी 2010 तक इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

14 सालों में 26.92 लाख रुपये के मूल्य के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया

9.8 गैस शुद्धिकरण और वितरण प्लांट की दो इकाईयों जिनकी कीमत 26.92 लाख रुपये थी, जिसको उन्नत ईंधन निर्माण संकाय (ए3एफ) में तारापुर में अक्टूबर 1994 में स्थापित किया गया था। हमने स्टॉक कार्डों से अवलोकन किया कि स्टोर से तब से कोई उपकरण जारी नहीं किया गया और यह पिछले 14 वर्षों से बिना इस्तेमाल किये पड़े थे। डी.पी.एस. ने दिसम्बर 2008 में बताया कि इन उपकरणों को मूल रूप से रेडियो मैटालरजी विभाग, बी.ए.आर.सी. मुम्बई के लिए खरीदा गया था और वहाँ इनका खूब इस्तेमाल किया गया और 1994 में इन्हें ए3एफ स्टोर तारापुर में सुरक्षित संभाल के लिए हस्तांतरित कर दिया गया था। पर यह तथ्य है कि डी.पी.एस. ने 1994 से इनपर कोई कार्यवाही नहीं की जिसके फलस्वरूप ये उपकरण बेकार पड़े हुए थे।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों से मामला उठाया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा मदों के प्रयोग/निष्कासन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में जल्दी ही बताया जाएगा।

वार्षिक अवलोकन करने में विफलता

9.9 डी.ए.ई. की भंडार प्रक्रिया⁵³ के अनुसार स्टोर इकाईयाँ स्टॉक मदों का समूह वाईज फालतू स्टॉक का पता लगाने के लिए वार्षिक अवलोकन करेंगी बी.ए.आर.सी. और आर.पी.यू.ज. के 16 स्टोरों में से 9 जोनल स्टोरज⁵⁴ के टैस्ट चैक में हमने पाया कि बी.ए.आर.सी. एवं एम.आर.पी.यू. में 2002–03 से 2007–08 के दौरान 8 स्टोरस के पूरे स्टॉक का वार्षिक अवलोकन नहीं किया गया जैसा कि सारणी 12 में प्रदर्शित है।

52 देसी केबल खरीद = 21991.43 मीटर मूल्य रु. 19.84 लाख

आयातित केबल खरीद = 4881.01 मीटर मूल्य रु. 8.22 लाख
26872.44 मीटर मूल्य रु.28.06 लाख

53 डी.ए.ई. क्रय प्रणाली का नियम 7.3.1.1

54 एडवांसड फयूल फेब्रीकेशन फेसिलिटी (ए3एफ), पावर रिएक्टर फयूल रिप्रोसेसिंग प्लांट (पी आर ई एफ आर ई), वेस्ट मैनेजमेंट डिविजन (डबलू एम डी), वेस्ट मैनेजमेंट डिविजन, तारापुर (डबलू एम डी टी), रिएक्टर इंजीनियरिंग डिविजन (आर ई डी), पयूल रिप्रोसेसिंग डिविजन (एफ आर डी), मॉड्यूलर लैब जोनल स्टोरज (एम एल जैड), रिएक्टर कन्ट्रोल, डिविजन (आर सी एन डी) साउथ साईट जोनल (एस एस जैड)



सारणी – 12

बी.ए.आर.सी. और एम.आर.पी.यू के भंडारों के स्टॉक का वार्षिक अवलोकन न करना

वर्ष	जोनल मंडारों द्वारा ग्रुप का रिव्यू नहीं किया गया (ग्रुप की कुल संख्यां कोष्ठ में दी गई हैं)								
	ए.3 एफ (27)	पीआर ईएफ आरई (26)	डब्ल्यू एम डी (25)	डब्ल्यू एम डी(टी) (23)	आर ई डी (22)	एफ आर डी (24)	एम एल जैंड (12)	आर सी एन डी (16)	एम आर पी (22)
	02-03	25	24	25	19	22	24	4	16
03-04	27	17	25	22	22	24	5	10	22
04-05	20	17	21	23	16	24	6	16	22
05-06	26	21	25	23	19	23	10	16	4
06-07	25	24	25	1	22	23	9	16	22
07-08	27	26	25	23	22	15	12	15	4

ऊपर दी गई सारणी को देखकर पता चलता है कि सन् 2002–03 से 2007 – 08 के दौरान के सारे समय में ज्यादातर समूहों का वार्षिक अवलोकन नहीं किया गया जिसमें यह तथ्य सामने आते हैं कि भंडारों की जरूरत एवं उपयोगिता का अनुमान लगाने के लिए स्टोरस के वार्षिक अवलोकन करने की मूल क्रिया को नहीं किया गया।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि डी.पी.एस. की भंडारों की जाँच टीम समयावधि के अनुसार स्टॉक की जाँच करती है और साथ ही साथ कम प्रयोग होने वाले स्टॉक / न प्रयोग होने वाले स्टॉक की विवरणीयों एवं विसंगतियों पर सुझाव भी देती है। इन विवरणीयों को विचार कर परियोजना प्राधिकारियों को उनकी कार्यवाही/आवश्यक निर्णय लेने के लिए भेज दिया जाता है। फिर भी यह तथ्य है कि सभी समूहों में वार्षिक अतिरेक स्टॉक की पहचान करने के लिए वार्षिक अवलोकन नहीं किया गया।

फालतू मदों को सूचित
करने के लिए भंडार
प्रक्रिया की पालन करने
में विफलता।

9.10 भंडारों की प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि यदि किसी आईटम की दो वर्षों के दौरान कोई मांग नहीं की गई थी या दो वर्षों के दौरान स्टॉक बैलेंस को ध्यान में रखते हुए बहुत स्टॉक जारी किया गया था तो ऐसे आइटम को फालतू समझना चाहिए। ऐसी आईटम वाइस मदों की सूची को निर्धारित फार्म⁵⁵ में बनाया जाना चाहिए इसे विभाग/ खंड को सुझाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। सिफारिशों के प्राप्त होने पर उन्हें निपटान विभाग को निपटारा करने के लिए भेजनी चाहिए थी।

9.11 हमारे द्वारा जाँच किए गए ग्रुप में से आईटम्स की सूची के निरीक्षण से हमने पाया कि 10500 मदों में से (जिन्हें कि 2002–03 से 2007–08 तक के समय में फालतू अधिशेष समझा गया था।) केवल 4119 (39 प्रतिशत) ही अधिशेष घोषित की गई थी। यद्यपि स्टोरस इकाइयों द्वारा मदों की लिस्ट डिवीजन के मुख्यालयों को वितरित की गई थी परन्तु 107 में से 67 मामलों में उन्हें अधिशेष घोषित करने के सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विवरण सारणी 13 में दिया गया है।



सारणी – 13

मदों को फालतू न घोषित करने का विवरण

क्रम संख्या	भंडारों नाम	भंडारों का आतिरेक मदों की घोषणा के लिए घोषणा	मदों की दस्तावेजी अधिकारियों के उत्तर का इंतजार सुझाव
1	ए3एफ (टी)	1184	04 14 केसों में से 12
2	पी आर ई एफ आर ई	2063	472 33 केसों में से 13
3	डबलू एम डी	147	Nil 4 केसों में से 4
4	डबलू एम डी (टी)	2381	429 27 केसों में से 16
5	आर ई डी	566	Nil 9 केसों में से 2
6	एफ आर डी	1131	357 11 केसों में से 10
7	एम एल जैड	2087	2076 कोई नहीं
8	आर सी एन डी	941	781 9 केसों में से 7
कुल योग		10500	4119 107 केसों में से 64

एच.आर.पी.यू. के सम्बन्ध में, 1266 मदों जिनकी कीमत रुपये 2.80 करोड़ थी उन्हें न चलने वाला / कम चलने वाला स्टॉक समझा गया था। इसी प्रकार सन् 2002–03 से 2007–08 तक की अवधि के दौरान एम.आर.पी.यू. में जहाँ पर 3428 मदों स्टॉक में थी को न चलने वाला / कम चलने वाला स्टॉक समझा था।

अक्टूबर 2009 को डी.ए.ई. के कथन के अनुसार स्टॉक कार्ड अब डिजिटल रखें जाते हैं ताकि उन्हें प्रयोग करने एवं निपटान करने के बारे में निर्णय लेने आसान हो जाएँ। ज्यादा एवं न प्रयोग होने वाले / बेकार स्टोरेज के मामलों की समयानुसार समीक्षा की जाएंगी और उनपर उचित कार्यवाही की जाएगी। डी.ए.ई. ने यह भी लिखा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों का भी स्टॉक जांच टीम द्वारा कार्यवाहीयों की स्कीम के तहत विश्लेषण किया जाएगा।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाए कि डिजिटल स्टॉक कार्ड 1990 से प्रचलित थे पर स्टॉक को फालतू घोषित करने की कार्यवाही बहुत ही सुस्त थी जैसा कि ऊपर सारणी में दिखाया गया है।

स्टॉक सत्यापन रिपोर्टों में मेलमिलाप की विसंगतियों का अभाव

9.12 डी.ए.ई. स्टॉक प्रक्रिया के नियम 8.2.1 के अनुसार स्टॉक की पूँजी एवं फर्नीचर फिक्सचरस वस्तुओं की जांच का कार्य तीन वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए। स्टॉक की असंगतियों का खंडों को / सैक्षणों को मेलमिलाप करना चाहिए। बी.ए.आर.सी. के नौ जोनल स्टोर्स एवं आर.पी.यु.ज. से जुड़े स्टोर्स में निष्क्रिय स्टोर्स की स्टॉक वैरीफीकेशन रिपोर्ट की जांच से पता चला कि यद्यपि स्टॉक वैरीफिकेशन भण्डार प्रक्रिया के अनुसार समय – समय पर होता रहा परन्तु बताइ गई विसंगतियों में से केवल कुछ ही का निपटारा दिसम्बर 2008 तक किया जा सका। उन स्टोर्स इकाईयों का जहाँ विसंगतियों का निपटारा नहीं हुआ था उन्हें सारणी 14 में दर्शाया गया है।



सारणी – 14
विसंगतियों का विवरण जिनका निपटना अभी तक नहीं हुआ हैं

भंडारों के नाम	मौतिक जाँच का महीना / साल	कुल विसंगतियाँ		जिनका निपटना नहीं हुआ हैं।	
		पूँजी साधन	फर्नीचर और घरेलू साजोसामान	पूँजी साधन	फर्नीचर और घरेलू साजोसामान
एउएफ	10 / 2006	423	398	336	370
डबलू एम डी	10 / 2006	1554	1723	1327	1167
एस एस जैड	4 / 2007	1018	1227	719	946
आर ई डी	12 / 2006	2056	2905	1933	2856
आर सी एन डी	2 / 2008	591	646	591	646
डबलू एम डी (टी)	10 / 2006	246	358	121	274
पी आर ई एफ आर ई (टी)	10 / 2006	154	332	101	103
आईआर पी यू	5 / 2006	770	985	364	611
एम आर पी यू	1-2 / 2007	218	कुछ नहीं	218	कुछ नहीं

अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई. ने बताया कि भंडारों की जाँच रिपोर्टों में लगातार विसंगतियों को भंडार अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जाँचा जा रहा है परन्तु विधियों में अङ्गों को और डी.पी.एस. द्वारा समन्वयता के अभाव को काबू करने के बारे में डी.ए.ई. ने उठाये कदमों के बारे में अवगत नहीं कराया ।

9.13 डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में आगे बताया कि डी.पी.एस. कर्मचारी जो भंडार प्रबंधन को देखते हैं उन्हें सरकारी भंडारों का रखवाला कहा जा सकता है । आगे यह बताया गया कि डी.पी.एस. में कम चलने वाले स्टॉक की तथा स्टॉक की जाँच करने का ठीक प्रबन्ध है । इन जांचों एवं सत्यापन के बावजूद डी.ए.ई. ने स्वीकारा की लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई अभियुक्तियाँ वास्तविक सच्चाई हैं ।

निष्कर्ष सूची प्रबंधन न तो प्रभावी था और न ही वर्णित विधि के अनुसार था । कई ऐसे मामले थे जहाँ पर ज्यादा खरीद की गई थी जो जरूरत के अनुसार नहीं थी । आगे, स्टॉक की वार्षिक समीक्षा समयानुसार नहीं की गई थी, फालतु स्टॉक के मदों की पहचान समय – समय पर नहीं की जा सकी और स्टॉक सत्यापन सूचियों में बतायी गई विसंगतियों का तुरंत समाधान नहीं किया जाता था ।

हमारी अनुशंसाएं

24. एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जिससे वस्तुओं की खरीद वास्तविक जांची जरूरत के आधार पर ही होनी चाहिए ।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

प्राप्तियों के लिए प्रार्थना दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारियों/परियोजना प्राधिकारियों के द्वारा परियोजना / प्रोजेक्ट समय सारणी को ध्यान में रखकर दी जाती है । दस्तावेज अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों को सलाह दी जाएगी कि वे अपनी वार्षिक अहताओं को वास्तविक आधार पर जाचने के बारे में व्यवस्था का सिस्टम बनाएँ ।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 2 महीने



हमारी अनुशंसाएं

25. भंडार की सभी इकाईयों का वार्षिक अवलोकन होना चाहिए जिससे फालतू मदों का पता लग सके।

26. स्टॉक की आईटम्स को फालतू – घोषित करने के लिए विशेष समय सारणी तैयार की जानी चाहिए।

27. सक्षम भंडार प्रबंधन प्रणाली के लिए भंडारों और उसकी इकाईयों के बीच उचित तालमेल कर सुनिश्चित करना चाहिए।

28. फालतू मदों की सूचना को तरीके से तैयार करके अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि इंडेन्टर जरूरतों को बताने से पहले उन्हें देखले।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

भंडारों की इकाईयों का वार्षिक अवलोकन करने को हमारे भंडार प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक भंडार मदों तथा न प्रयोग करने योग्य/त्वागी हुई वस्तुओं का पता लगाने में मदद मिलेगी। मदों को फालतू सुझाने/घोषित करने के लिए समय सीमा भी वार्षिक रिव्यु का हिस्सा होगा।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 6 महीने

इस तालमेल के मुद्रे को परियोजना प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और सक्षम भंडार प्रबंधन के लिए समुचित कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 6 महीने

फालतू मदों की सूचनाओं की प्रविष्टि और उन्हें नियमित रूप से अपडेटिंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित प्रयास किये जायें।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा – 6 महीने





अध्याय – 10

क्रय और भंडार प्रक्रिया

उद्देश्य 8: क्या क्रय और भंडारों की प्रक्रिया बहुत ही अधिक व्यापक थी और समय–समय पर इसको अपडेट किया गया था?

10.1 अच्छा अधिप्राप्ति और भंडारों की गतिविधियों की प्रक्रिया का होना पारदर्शिता, जवाबदेही और पैसों के महत्व को प्रोत्साहित करता है। यह अधि प्राप्ति की गतिविधियों के लिए उचित मूल्य, उचित स्रोत और उचित समय सुनिश्चित करने के लिए मदद करता है। उन संस्थानों में जहाँ पर अधिप्राप्ति का स्तर बहुत अधिक होता है। अधिप्राप्तीयों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए समुचित नीतियाँ बनाना और माल के स्टॉक पर नियंत्रण करना हसबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सी.वी.सी. के दिशा निर्देशों⁵⁶ के अनुसार भी हर संस्था को एक कोडी फाईड क्रय मैन्युल जिसमें विस्तृत क्रय प्रक्रियायें दिशा निर्देश और शक्तियों के समुचित वितरण (जहाँ पर जरूरी हो) बनाना चाहिए ताकि निर्णय लेने में एक योजना बद्धता एवं समरूपता लाई जा सके। सी.वी.सी. दिशा निर्देश आगे इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी जोड़ने वाली प्रक्रिया से ब्रष्टाचार पर रोक लगाने और निर्विघ्न एवं शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के सहायक होने के आसार हैं।

क्रय और भंडारों की प्रक्रिया को अद्यतन करने में देरी करना

क्रय प्रक्रिया में निर्दिष्ट समय को वर्णित नहीं किया गया।

अग्रिम भुगतानों और इसके लिए कोई शर्त स्पष्ट नहीं की गई है।

क्रय और भंडारों की प्रक्रिया को अद्यतन करना

10.2 डी.ए.ई. क्रय प्रक्रिया और भंडारों की प्रक्रिया क्रमशः सन् 1975 एवं 1976 में अस्तित्व में आई। जबकि सन् 2001 में क्रय प्रक्रिया अद्यतन की गई थी और अक्टूबर 2009 में क्रय नियमावली को लाया गया था, परन्तु भंडारों की प्रक्रिया को कभी भी अद्यतन नहीं किया गया था। आगे, कोई भी भंडारों की नियमावली को अभी तक नहीं लाया गया है।

डी.ए.ई. ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अक्टूबर 2009 में बताया कि संशोधित भंडार प्रक्रिया की तैयार करके चुनी हुए कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया है। कमेटी द्वारा संशोधन सम्बन्धी सुझावों को संशोधित भंडार प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जांच की जा रही है जिसे डी.ए.ई. को स्वीकार करने के लिए जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा।

क्रय और भंडार प्रक्रिया का विस्तृतकरण

10.3 डी.ए.ई. ने सभी प्रकार की प्रक्रियों के लिए कोई निर्दिष्ट समय हीं रखा है। इस मुद्दे के बारे में विस्तृत चर्चा अध्याय 4 के विषयों 4.2 और 4.3 में की गई है।

10.4 डी.पी.एस की क्रय प्रक्रिया 2001 में संभरकों को कोई भी अग्रिम भुगतान करने के लिए शर्त नहीं रखी गई थी। हमने देखा, कि डी.पी.एस. एवं इसकी आर.पी.यु.ज. द्वारा जारी निविदाओं में हमेशा यह शर्त होती थी कि केतल अपवादात्मक मामलों में अधिक कीमत वाली चीजों के केसों में, प्रदायकी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए अग्रिम राशी का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार डी.ए.ई. की अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रदायकों को अग्रिम भुगतान के स्पष्ट प्रावाधनों के अभाव में विस्तृत नहीं थी और इसके दुरुपयोग की पूरी संभावनाएं थी।

हमने पाया कि डी.पी.एस. और उसके आर.पी.यु. द्वारा सभी प्रकार के संविदाओं को बहुत बड़ी मात्रा में अग्रिम भुगतान रुटीन के तौर पर दिए जाते रहे हैं। 7816 रिव्यू किए गए मामलों में से 172 मामलों में पाया गया कि प्रदायकों को 10 से 100 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान की राशी जारी की गई। इस प्रकार हमने निष्कर्ष निकाला कि डी.ए.ई. के अधिप्राप्ति



प्रक्रिया में प्रदायकों को अग्रिम भुगतान को देने के सम्बन्ध में विशेष प्रावधानों के अभाव में, खरीदने वाली संस्थाएं खुले तौर पर प्रदायकों की अग्रिम भुगतान देने की उन विनतीयों को मन्जूर कर रहीं थीं जिन्हें अपवादित नहीं समझा जा सकता।

डीएई द्वारा अक्टूबर 2009 में बनाए गए नए क्रम नियमावली अग्रिम भुगतानों के सम्बन्ध में प्रावधान हैं। नई क्रय नियमावली के अनुसार अग्रिम भुगतान उन केसों में दिया जा सकता हैं जहां आर्डरों की संख्या का मूल्य बहुत अधिक हो और ठेके लंबे समय तक चलने वाले हों और जहाँ पर संभरकों की निवेश राशि बहुत अधिक हो। अग्रिम भुगतानों को कुछ निश्चित उपलब्धियों के बाद ही दिया जा सकता है, और यह प्राइवेट फर्मों में संविदा के मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इकाईयों और सरकारी ऐजेन्सियों में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने पाया कि नई क्रय नियमावली यद्यपि विस्तृत तौर परी जी.एफ.आर. के प्रावधानों से मेल खाली थी परन्तु इसमें प्रदायकों द्वारा ठेके की अवधि के बाद में माल सप्लाई करने की सूरत में ब्याज चार्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस सर्दभ में हम यह कहना चाहेंगे कि सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार से अग्रिम भुगतान ब्याज सहित प्रदान करने चाहिए, ताकि संभरकों द्वारा अदेय लाभों को प्राप्त न किया जाए। ऐसे उपबंधों को यदि विभागों की नियमावली में सम्मिलित किया जाता है, तो वे काफी हद तक सुनिचित करेंगे कि पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान को देने के प्रावधान का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा।

भुगतानों की प्रक्रिया के स्तरों को तय करने का अभाव

10.5 डी.पी.एस क्रय प्रणाली 2001 में स्टैन्डर्ड भुगतान शर्तों का कोई जिक्र नहीं था जो ये परिभाषित करती हैं कि किन स्टेजों पर प्रदायकों को भुगतान किया जा सकता है। वैसे संविदा की आम शर्तों के अनुसार जो (निविदा का हिस्सा होती है)। निविदा में सम्मिलित अनुबंध की सामान्य शर्तों⁵⁷ के अनुसार 80 प्रतिशत आर्डर के मूल्य को आईटम की प्राप्ति पर प्रदान किया जाएगा और 20 प्रतिशत राशि का भुगतान अंतिम निरीक्षण एवं टेस्ट होने पर किया जायेगा। हमने पाया कि इसका पालन बारिकी से नहीं किया गया और डी.पी.एस. ने पूर्ति के आर्डर के मूल्य के 90 प्रतिशत का भुगतान को माल के भेजने पर और 10 प्रतिशत इसके अंतिम स्वीकार करने की मंजूरी दे दी। जाँच के दौरान पाया गया कि 1219 मामलों में डी.पी.एस. तथा इसकी आर.पी.यू. में 1219 केसों (जिनका मूल्य रूपये 785.95 करोड़ था) की जाँच में पाया गया कि 83.43 प्रतिशत (1017 केस जिनका मूल्य 683.94 करोड़ रूपये था) केसों में स्टैन्डर्ड शर्तों का पालन नहीं किया गया जैसा कि सारणी 15 में दर्शाया गया है।

57 अनुबंध की सामान्य शर्तों में निहित संयंत्रा एवं मशीनरी की आपूर्ति शासी अनुबंध की विशेष शर्त का खंड – 7



सारणी-15

जहाँ पर भुगतान की स्टैन्डरड नियम व शर्तों की पालना नहीं कि गई।

इकाई का नाम	मामलों की संख्या		मामले जहाँ पर 80:20 की पालना नहीं कि गई		न पालना की प्रतिशतता व	
	मामलों की संख्या	मूल्य(रु. करोड़ों में)	मामलों की संख्या	मूल्य (रु. करोड़ों में)	मामलों का प्रतिशत	मूल्यों का प्रतिशत
डीपीएस	747	378.69	592	316.39	79.25	83.55
आईआरपीयू	188	95.1	179	92.31	95.21	97.07
एमआरपीयू	174	129.93	141	97.06	81.03	74.70
एवआरपीयू	110	182.13	105	178.18	95.45	97.83
कुल योग	1219	785.85	1017	683.94	83.43	87.03

क्रय आदेशों की शर्तों की अन्तिम पालना से भी पहले इतने बड़े भुगतानों को रिलिज करने से डी.पी.एस. एवं आर.पी.यू. में खराब पुर्जों को न बदलना, पूर्ति की समाप्ति न होना, पुर्जों का न लगाना / चालू करना जैसी समस्याएं हो गई जिसका वर्णन इस रिपोर्ट के अध्याय 8 में किया गया है।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 को इसके लिए उत्तर दिया था कि:-

- इन मामलों में संविदाओं में माल भेजने से पहले की जांच का प्रावाधान था जिससे 10 प्रतिशत भुगतान करने पर यह सुनिश्चित हो सके कि जो माल दिया गया है वह आर्डर के माल से मेल खाता था।
- इन केसों में शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान और संस्थापित करने के लिए कमीशन का भुगतान विक्रेता को पूर्ति होने के बाद कोई कमी के सामने आने पर उसको ठीक करके सफलतापूर्वक लगाने/संस्थापित करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रर्याप्त प्रोत्साहन है
- इन शर्तों की पालना चैक करने पर हमने पाया कि चैक किए गए मामलों में से 24.56 प्रतिशत मामलों में 90 प्रतिशत राशि की भुगतान क्रय अनुबन्धों में पूर्व स्पलाई जांच की शर्त को बिना लिखे किया गया।

आगे हमने पाया कि डी.ए.ई. द्वारा संस्थापित व कमीशन को सुनिश्चित करने के लिए 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रर्याप्त समझना दोषपूर्ण है और हमने पाया कि बहुत अधिक संख्या में संस्थापित और कमीशन के बहुत अधिक मामले लंबित हैं और उनकी अवधि एक महीने से लेकर 71 महीनों तक हैं और इन विलम्बों के कारण आपूर्तीकर्ता थे। इस रिपोर्ट के अध्याय 8 में इसकी चर्चा की गई है। नई क्रय नियमावली 80 से 95 प्रतिशत राशि का भुगतान माल भेजने से पूर्व माल की आपूर्तिकर्ताओं के अहाते में जाँच के बाद खरीदारों के अहाते में पहुँच पर और शेष राशि अंतिम जाँच और स्वीकृति के आधार पर करने की इजाजत देती है।

नई क्रम नियमावली में उपक्रमों का सफलतापूर्ण लगाना। संस्थापित करने को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में प्रावाधान सम्पूर्ण नहीं थे। इसमें डी.ए.ई. को खराब मदों के बदलाव करने, उपक्रमों की सप्लाई पूर्ण न होने और उनको लगाने/संस्थापित करने के लिए विवश होने पर मजबूर किया।

10.6 आगे हमने पाया कि डी.पी.एस. की क्रय प्रक्रिया में विदेशी पूर्तियों के मामले में भुगतान की शर्तों को निर्धारित नहीं किया गया था। असल में, डी.पी.एस. एवं आर.पी.यू. द्वारा जारी विदेशी क्रय आदेशों के नियम एवं शर्तों माल की पूर्ति के सबूत प्रस्तुत करने पर

विदेशी वितरकों को



भुगतान करना

90 से 100 प्रतिशत तक अदायगी देने की इजाजत देते थे। हमने निरीक्षण किया था कि सन् 2002–2008 के दौरान में डीपीएस ने 3560 मामलों में से 1496 मामलों में भुगतान विदेशी संभरकों की राशि का 90 से 100 प्रतिशत तक राशि का भुगतान लैटर आफ क्रेडिट के आधार पर किया गया था। विदेशी संभरकों के असंतोषजनक कार्यकलाप के लिए डी.ए.ई. की दोषपूर्ण प्रणाली जिम्मेदार हैं, जिसमें भंडारों की प्राप्ति और स्वीकृति से पूर्व ही संभरकों को पूरा या लगभग पूरा भुगतान कर दिया जाता था। सन् 2002–03 से 2007–08 में हमने पाया कि इन्हें अक्टूबर 2009 तक भी निपटाया नहीं गया था। भुगतान तक के समय में ऐसे 49 मामलों में जिसका मूल्य 9.92 करोड़ रुपये था जिससे पूर्ति न करने के मामलों में अपर्याप्त सावधानियों के संकेत मिलते हैं।

अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई. ने उत्तर दिया कि इन डी.ए.ई. की अनुकूल इकाईयों पर लगातार इम्बारगों लगाने की वजह से, डी.पी.एस. के लिए बोली को प्राप्त करना एक बहुत भारी काम था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत डी.ए.ई. के पास विक्रेताओं की 80, 90 और 100 प्रतिशत की लैटर आफ क्रेडिट पर भुगतान की शर्तों को स्वीकार करने के सिवाय बहुत कम विकल्प थे।

जहाँ पर उपक्रण को लगाना/संस्थापित करना क्रय आदेशों की शर्तों का मुख्य हिस्सा थे, इस हालात में भुगतान की 100 प्रतिशत शर्त (लैटर आफ क्रेडिट द्वारा) को आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता था परन्तु भुगतान का कुछ हिस्सा रख लिया जाता था जिसे उपक्रण के सफलतापूर्ण लगाने/संस्थापित करने/प्रशिक्षण आदि देने के साथ जोड़ कर जारी कर दिया जाता था। डी.ए.ई. के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाए कि हमारे द्वारा टैस्ट चैक किए गए केसों में से 33 प्रतिशत केसों में जिनका मूल्य 4.56 करोड़ रुपए था, संभरकों को 100 प्रतिशत भुगतान (लैटर आफ क्रेडिट द्वारा) जारी कर दिया गया जबकि क्रय आदेशों में विदेशी संभरकों द्वारा उपक्रण को लगाने एवं संस्थापित करना भी था।

भंडारों की प्रक्रिया में समय अवधि को नहीं वर्णित किया गया।

10.7 डी.पी.एस. की भंडार प्रणाली में सूची प्रबंधन की विभिन्न कार्यवाईयों को करने के लिए लगने वाले समय को नहीं दर्शाया गया। डी.पी.एस. ने जून 2002 में विभिन्न भंडारों की गतिविधियों में लगने वाले समय के कार्य में निर्देश जारी किए गए थे। परन्तु इसे भंडारों की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, भंडारों की स्वीकृति और रद्दीकरण में देरी और उनके संस्थापनों/कमीशनों और उचित लेखे –जोखों के लिए जिम्मेदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका सामग्रियों की जाँच, में देरी संसस्थापनों व कमीशनों में अत्याधिक देरी होना, मदों के रद्दीकरण/नष्ट होने/त्रुटिपूर्ण व कमी पूर्तियाँ होना इत्यादि की चर्चा इस रिपोर्ट के अध्याय 8 में की गई है।

डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि कोई भी आदेश/परिपत्र जो डारक्टरेट द्वारा जारी किया जाता है उसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से ही जारी किया जाता है और आशा की जाती है कि इसे सभी पढ़ेंगे और प्रचलित भंडार प्रक्रिया के सम्बन्ध से पालना करेंगे। इस प्रकार हर बार ऐसे बदलाव को भंडार प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाए कि क्योंकि इन आदेशों को भंडार प्रणाली में शामिल नहीं किया गया, इस वजह से भंडार प्राप्ति वाऊचरों की वापसी के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन नहीं किया जा सका, जिस से टैस्ट चैक किए गए केसों में से 51 प्रतिशत केसों में भंडार प्राप्ति वाऊचरों की देरी से/निपटारा न होने के मामले देखने में आए।

हमने आगे पाया कि इस परिपत्र में मशीनों/ऑजारों के संसस्थापन और उनके कमीशन के लिए समय सारणी का वर्णन नहीं किया गया। भंडार प्रणाली की इस कमी को पुर्णविचार कर/बदलने की आवश्यकता है और एक संशोधित भंडार प्रणाली जिसमें सूची प्रबंधन के सभी आवश्यक पहलू हो, को शामिल करके जारी करने की आवश्यकता है।



सामान्य प्रयोग में लाये जाने वाली वस्तुओं की पहचान

10.8 डी.पी.एस. की केन्द्रीय भंडार इकाईयाँ एक लाख स्टॉक मदों से अधिक (जिसमें मदों की 2100 श्रेणियाँ) हैं को हैन्डल करती हैं इनमें केवल 2036 मदें (लगभग 2 प्रतिशत) की पहचान सामान्य प्रयोग में आने वाली मदों के रूप में की गई थी। इन्वैन्टरी के लैवलस और इन मदों के जारी करने की प्रक्रिया को केन्द्रीय तौर पर मोनीटर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्य प्रयोग में आने वाली मदें, डी.ए.ई. की विभिन्न आवेदन करने वाली इकाईयों को जारी की जाती हैं और स्टॉक को लम्बे समय तक बेकार नहीं होने दिया जाता, सामान्य मदों को समय – समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए रिव्यु किया जाना चाहिए कि वह मदें जिन्हें बार – बार इकाईयों द्वारा मांगा जाता है को सामान्य प्रयोग की मदें कैटगरीज किया जाना चाहिए ताकि इन सामान्य प्रयोग को मदों के दक्ष सामग्री प्रबंधन में सहायता मिल सके।

एक जाँच के दौरान हमने पाया कि विभिन्न भंडार की मदें, जैसे कि स्टेनलैस स्टील/टीओआर स्टील की प्लेटें, शीटें, जार, पाईपें, ताबे/एलमूनिम की तारों को सामान्य प्रयोग की वस्तुओं में नहीं रखा गया था। हमने निरीक्षण किया कि 42.10 करोड़ रुपये के मूल्य की ऐसी वस्तुएँ 40 वर्षों तक के समय से बेकार ही पड़ी हुई थी। आगे, इन बेकार पड़ी वस्तुओं के बावजूद डी.पी.एस. ने 130 मदों को जिसकी कीमत रुपये 20.83 करोड़ थी और खरीदा डी.ए.ई. को इन मदों का नियमित रूप से अवलोकन कर सामान सूची में प्रयोग होने वाली मदों में शामिल करना चाहिए ताकि इन्वैन्टरी के स्तर को उच्चे से उच्चा लाया जा सके ओर बेकार सामान के कम से कम केस हों।

भंडारों की कीमत वाले बही लेखों के आभाव में, कुल सामान सूची और बेकार पड़ी सामान सूची का पता नहीं लगाया जा सका है जिसका इस रिपोर्ट के अध्याय 9 में वर्णन किया गया है।

निष्कर्ष

क्रय और भंडारों की प्रणालीयों को लगातार अद्यतन नहीं किया गया था / समय – समय पर टुकड़ों में आदेश जारी किए गए जिन्हें क्रय प्रणाली में इकठा करके शामिल नहीं किया गया। इससे निर्धारित तरीकों से काफी हद तक मनमानी तौर से खरीदारियाँ हुईं खरीद में दरी हुईं और सूची प्रबंधन में गिरावट आई।

हमारी अनुशंसाएं

29. डी.ए.ई. की अधिप्राप्ति प्रणाली को रिव्यु करने और उसे इन कमियों के मध्य नजर आवश्यक परिवर्तन कर नए सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार संशाधित करने की आवश्यकता है।

30. प्राप्ति, स्टोर और सूची की गतिविधियों के भिन्न स्तरों के लिए समय अवधि, जिसे खरीद और स्टोर की प्रक्रियाओं में शामिल किए जाएं।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

क्रय प्रणाली को पूरी तरह से विसंगतीयों को पहचानने के लिए रिव्यु किया जाएगा और उसके बाद सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार नियमों / तरीकों के ढालने का कार्य किया जाएगा। कुछ प्रावधानों को सामान्य वित्तीय नियमों से हटकर बनाने की शक्ति डायरेक्टर को प्रदान की गई है।

इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, आवश्यक अनुमोदन किये जायेंगे और जी एफ आर के प्रावधान से किसी अन्य विचलन के लिए प्रतिस्पद्या अर्थारिटी आयोग से प्राप्त किये जायेंगे।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –6 माह

प्राप्ति, स्टोर और सूची की गतिविधियों के भिन्न स्तरों के लिए समय अवधि को परिभाषित किया जायेगा और सभी मुददों के लिए उपयुक्त आदेश जारी किये जायेंगे। साथ ही एक निगरानी/अनुवीक्षण प्रणाली भी स्थापित की जायेगी ताकि अधिसूचित समय अवधि के लिए अनुपालन को सुनिश्चित किया



हमारी अनुशंसाएं

31. आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन की कमी के खिलाफ उपयुक्त सेफगार्ड प्राप्ति प्रक्रिया में उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
32. डी ए ई सामान्य स्टॉक के पदों की सूची और उनके अनुकूल सूची स्तरों को दैनिक रूप से अपडेट करने के लिए अपनी सामग्री की जरूरत की समीक्षा को जाता है।

डीएई के द्वारा अनुशंसाओं पर प्रस्तावित कार्य

जा सके। उपरोक्त आदेशों को खरीद मेन्युल के अध्याय 36 के एक परिणाम के रूप में जारी किया जायेगा। जो समय सारणी बनाने और अनुवीक्षण प्रणाली को निर्धारित करने का काम करती है। और यही खरीद मेन्युल का एक भाग होगा।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –3 माह

प्रक्रिया में भुगतान की शर्तों का विस्तृत अध्ययन किया जायेगा और उपयुक्त सेफगार्ड्स के लिए उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे जहाँ संस्था प्रदर्शन की उम्मीद करती हैं।

प्रस्तावित को हासिल करने के लिये समयसीमा –3 माह

सामान्य स्टॉक के मदों की सूची की नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी। इसके लिए उपयोगकर्ता के लिए एक फीडबैक की प्रणाली लागू की जायेगी और उपभोग के प्रतिरूप पर आधारित खपत के अनुसार सूची में संशोधन किये जायेंगे।





अध्याय 11

निष्कर्ष

11.1 परमाणु उर्जा विभाग के कार्यक्रमों का उद्देश्य है उर्जा उत्पादन, रेडियेशन प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु उर्जा का उपयोग करना और कृषि, औषधि, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्रों में परमाणु उर्जा का उपयोग करना। परमाणु उर्जा विभाग आवश्यक उपकरणों और सामग्री की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से प्राप्ति की गतिविधियों और सूची प्रबन्धन एक प्रभावी नियन्त्रण जल्दी है। इस सन्दर्भ में, हमने "परमाणु उर्जा विभाग में स्टोर की प्राप्ति और सूची प्रबन्धन" पर एक निष्पादन लेखा परीक्षण का संचालन किया। हमारे लेखापरीक्षण ने निम्नलिखित जटिल मुद्दों पर प्रकाश डाला।

खरीद और स्टोर के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

खरीद, स्टोर और लेखा के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए निर्णय लिये जाने के 10 साल बाद भी, डी.ए.ई., ई-प्राप्ति के कार्यान्वयन को लागू नहीं कर सका है। यह प्रणाली इसकी खरीद और स्टोर की इकाईयों के सामग्री प्रबन्धन प्रणाली में लागू नहीं की गयी है। कम्प्यूटरीकरण के लिए किये गये प्रयास नियोजित नहीं हैं क्योंकि ये प्रणाली के विकास की सामान्य स्तर का अनुसरण नहीं करते हैं जैसे डिजाइन प्रावस्था, विकास/परीक्षण प्रावस्था, और डिलीवर/संकरण प्रावस्था। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वयन की कई कमियों का सामना करना पड़ा। अलग अलग खरीद और स्टोर ईकाईयों में लागू की गयी प्रणाली को एकीकृत नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दक्षता में कमी और प्रयासों की आवृत्ति हुई। प्रौद्योगिकी में समकक्ष होते हुए डी.ए.ई. को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना होगा ताकि इसकी प्राप्ति की दक्षता और सूची प्रबन्धन के कार्यों को बढ़ाया जा सके।

प्राप्तियों की समयावधि

हमने यह पाया कि रु. 50 लाख से कम की एकल निविदा प्राप्तियों के लिये किसी भी प्रकार कि समयावधि नहीं थी। हमने आगे यह भी देखा की प्राप्ति के लगभग 11 प्रतिशत मामलों में समयावधि से ज्यादा देरी हुई है और खरीद आदेशों के कार्यान्वयन में 54 महीनों तक देरी हुई थी। इस देर के कारण डी.ए.ई. पर अतिरिक्त वित्तीय देय का बोझ था।

प्राप्ति के लिये नियोजन

खरीद की योजना को और अधिक व्यवस्थित और दक्ष बनाने के लिए वार्षिक खरीद योजना की तैयारी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। 39 प्रतिशत नमूनों की जांच के मामलों में, हमने पाया कि मांगपत्र की आवश्यकताओं की अत्यावश्यकता का सज्जान लिए बिना एक नियमित तरीके से कई खरीद मामलों को संशोधित किया गया। हमने यह भी पाया कि मांगपत्रों के परियोजित मूल्य और खरीद आदेशों के मूल्यों के बीच बहुत ज्यादा का अंतर था। और आवश्यकताओं का इकट्ठा नहीं किया गया था, इस सभी से है; योजना प्रक्रिया में कमियां उजागर होती हैं।

निविदा प्रक्रिया और संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं वस्तुनिष्ठता

इसकी 94 प्रतिशत खरीद की निविदा प्रतिबंधित तरीके (एकल / सीमित निविदा) पर आधारित थी, डी.ए.ई. की खरीद प्रक्रिया केवल सीमित स्पर्धा ही हासिल कर पाई थी। आवश्यकता को महत्ता के आधार पर प्रतिबंधित तरीके के बिना तय कार्यवाही जैसे निविदा की तुरंत प्रक्रिया, साईट की उपलब्धता, उपस्करणों की समय पर प्रतिस्थापना / चालू करने को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी समन्वय इत्यादि जो निविदा को प्रतिबंधित तरीके को अपनाने को निरस्त करता है।

संविदा प्रबन्धन

डी.पी.एस. में स्थित संविदा प्रबन्धन को दुर्बल पाया गया क्योंकि 17 प्रतिशत खरीद आदेशों को उनके तय किये गये सुपूर्दगी दिनांकों के 6 सालों पश्चात भी मूर्त स्वरूप नहीं दिया गया था और लंबे समय से भारी मात्रा में अग्रिम भुगतान असमायोजित स्वरूप में थे। आपूर्तीकर्ताओं से देरी होने पर भी भुगतान की गयी क्षतियों को बटोरा नहीं गया था। उच्च मूल्य के आदेशों का निरीक्षण करने हेतु किसी भी प्रकार के प्रभावी साधन मौजूद नहीं थे, जिसके परिणामतः आदेशों के कार्यान्वयन में हुई अतिरिक्त देर और अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा।



संविदा के पश्चात का प्रबंधन

वस्तु-सूची प्रबंधन

क्रय और भंडार प्रक्रिया

संविदा के पश्चात के प्रबंधन में तत्परता सिथिल थी और आडिट में रूपये 125.60 करोड़ की राशि के 22 प्रतिशत मामले की जांच में प्रभावी कार्यवाही की कमी पाई गई। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पाया गया कि स्थापना, चालू करने और मशीनरी/उपस्कर के जांच की स्वीकृति में दरी का कारण था। आगे, साइट की अनुपलब्धता, अनुचित साइट चयन, कुछ कार्यात्मक जांच का पूरा होना इत्यादि कारणों से रूपये 76.81 करोड़ के मूल्य के उपस्कर/मशीनरी की स्थापना न हुई / चालू नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी निधियों के अवरोधन के अलावा उपस्कर का प्रयोग निहित उद्देश्य के लिए नहीं हुआ।

सूची प्रबंधन न तो प्रभावी था और न ही वर्णित विधि के अनुसार था। कई ऐसे मामले थे जहाँ पर ज्यादा खरीद की गई थी जो जरूरत के अनुसार नहीं थी। आगे, स्टॉक की वार्षिक समीक्षा समयानुसार नहीं की गई थी, फालतु स्टॉक के मदों की पहचान समय - समय पर नहीं की जा सकी और स्टॉक सत्यापन सूचियों में बतायी गई विसंगतियों का तुरंत समाधान नहीं किया जाता था।

क्रय और भंडारों की प्रणालीयों को लगातार अद्ययतन नहीं किया गया था। समय - समय पर टुकड़ों में आदेश जारी किए गए जिन्हें क्रय प्रणाली में इकठा करके शामिल नहीं किया गया। इससे निर्धारित तरीकों से काफी हद तक मनमानी तौर से खरीदारीयाँ हुई, खरीद में दरी हुई और सूची प्रबंधन में गिरावट आई।

11.2 परमाणु उर्जा विभाग ने हमारे द्वारा दिये गये अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया। निष्पादन लेखापरीक्षा में दिये गये मुददों की जटिलता को पहचानते हुए, परमाणु उर्जा विभाग ने, हमारी सिफारिशों को लागू करने के लिए, निर्धारित समय अवधि के साथ विस्तृत कार्यवाही योजना प्रस्तुत की। हम रिपोर्ट में बताये गये महत्वपूर्ण मुददों पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की प्रशंसा करते हैं। हमें आशा है कि परमाणु उर्जा विभाग इन महत्वपूर्ण कमियों पर निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्यवाही करेगा।


नई दिल्ली
तिथि: 30 जुलाई 2010

राज जी विश्वनाथन
(राज जी. विश्वनाथन)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
तिथि: 30 जुलाई 2010

विनोद राय
(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट – I

अध्याय 4: पैरा 4.4

पी.ओ में देरी के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ

क्रम संख्या	पी.ओ. नम्बर और तारीख	कीमत (रुपये लाख में)	मद	अतिरिक्त व्यय (रुपये लाख में)	टिप्पणी
1.	डी.पी.एस./04/ सी.ए.पी./14028 बी./पी.ओ./ 173215 एफ.ई. दिनांक 19.8.2005	42.43	सीलिंग मशीन और स्पेयर	12.43	<p>बी.ए.आर.सी. ने जुलाई 2003 में 30 लाख रु की लागत की सीलिंग मशीन और स्पेयर प्राप्ति के लिए मांगपत्र दिया। सार्वजनिक निविदा नोटिस की प्रतिक्रिया अच्छी ना होने के कारण अधिकारी ने विनिर्देशनों में संशोधन किया और नवम्बर 2003 में पुनःनिविदा का आवेदन दिया। डी.पी.एस. ने संशोधित विनिर्देशनों को शामिल किये बिना फिर से निविदा जारी की। फिर से जिसको अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक बार फिर से संशोधित विनिर्देशनों के साथ निविदा जारी की गयी। अगस्त 2005 में इसके लिए एक सही पेशकश आयी जो 42.43 लाख रु की लागत की थी। इस प्रकार से डीपीएस के द्वारा संशोधित विनिर्देशनों के साथ पुनः निविदा जारी करने में हुई देरी के कारण 12.43 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।</p> <p>डी.पी.एस. ने अगस्त 2008 में जवाब दिया कि बुरी प्रतिक्रिया तकनीकी स्पष्टता में कमी के कारण नहीं थी। बल्कि इसलिए थी कि मशीन का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। इस जवाब को इस वजह से स्वीकार नहीं किया गया कि संशोधित विनिर्देशनों के साथ डी.पी.एस. ने सही समय पर पुनः निविदा जारी नहीं की। डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में कहा कि 30 लाख रु की अनुमानित लागत 2003 के बजट की कीमतों पर आधारित थी। अन्य प्रकार जैसे कस्टम ड्यूटी, पैकिंग, फारवर्डिंग आदि को मांगपत्र स्तर पर शामिल नहीं किया गया था।</p> <p>जवाब में यह सुनिश्चित किया गया कि मांगपत्र प्रक्रिया में देरी के परिणाम स्वरूप उपस्करों की कीमत बढ़ गई। क्योंकि मूल लागत में अन्य प्रभार शामिल नहीं थीं। जो अनुमानित लागत की तुलना में 41 प्रतिशत का अन्तर रखती थी।</p>
2.	एच.आर.पी. यू/एन.एफ. सी/(70)/ टी/कैम /007983/xxxv	33.18	एस एस 480 शीट	3.98	<p>एन.एफ.सी., हैदराबाद ने नवम्बर 2004 में एस एस 480 शीट के 36.675 एम.टी. की प्राप्ति का आवेदन किया। सीमित निविदायें आमत्रित की गयीं। 29.20 लाख रु की न्यूनतम पेशकश को मार्च 2005 तक मान्य रखा गया। हालांकि एच आर पी यू तुरन्त आदेश नहीं दे पाया था। इसलिए पुनः निविदा जारी करनी पड़ी। दूसरी बार न्यूनतम 33.18 लाख रुपये की बोली लगायी गयी। इस प्रकार से एच आर.पी.यू. को 3.98 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि मूल निविदा</p>



क्रम संख्या	पी. ओ. नम्बर और तारीख	कीमत (रूपये लाख में)	मद	अतिरिक्त व्यय (रूपये लाख में)	टिप्पणी
	iii/xxxviii/12 90/कैम दिनांक 10/11/07				प्रक्रिया में देरी के कारण यह अतिरिक्त व्यय हुआ। खरीद इकाई को मामले की वैध अवधि के भीतर प्रक्रिया को सुनिश्चित करना चाहिए। आदेशों के अंतिमकरण में देरी के परिणामस्वरूप अप्रतिक्रिया वाले मामलों में फर्म को व्याना जब्त करना चाहिए।
3.	डी.पी.एस/04/एम. टी. एल। 123178 पी. ओ/178889/एफ. ई दिनांक 19/07/06	27.88	एक्सट्रॉड एलूमिनियम ट्यूब्स	8.04	<p>बी.ए.आर.सी. के परमाणु ईंधन डिविजन ने फरवरी 2005 में एक्सट्रॉड एलूमिनियम ट्यूब्स की प्राप्ति के लिए आवेदन जारी किया। तुरन्त आवश्यकता के कारण सीमित निविदायें आमन्त्रित की गयीं। 19.84 लाख रूपये के न्यूनतम मूल्य दिसम्बर 2005 तक वैध था। डी.पी.एस. इस अवधि में आदेश देने में विफल रहा और मामले में पुनः निविदा जारी करनी पड़ी। इसी के लिए 27.88 लाख रूपये की न्यूनतम बोली लगायी गयी जिसके लिए जुलाई 2006 में आदेश दिया गया। इस प्रकार से 8.04 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।</p> <p>डी.ए.इ. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि आवेदक से स्पष्टीकरण लेने में देरी हुई और समय अवधि खत्म हो जाने के बाद आपूर्तिकर्ता ने ऑर्डर पूरा करने के लिए मना कर दिया। यह तथ्य बाकी रहा कि फर्म की पेशकश को सितम्बर 2005 में प्राप्त किया गया था और यह दिसम्बर 2005 तक मान्य था, डीपीएस निर्धारित अवधि तक ऑर्डर पूरे करने में विफल रहा और इस प्रकार से अतिरिक्त व्यय हुआ।</p>
4.	डी.पी.एस/04/एम. टी.एल। 12217 – पीओ/173449/ दिनांक 24/08/05	15.97	सीमलैस ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पाईप	1.37	<p>बी.ए.आर. सी के परमाणु ईंधन डिविजन ने नवम्बर 2004 में रूपये 19 लाख की लागत पर सीमलेस ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के पाईप की प्राप्ति के लिए आवेदन दिया सार्वजनिक निविदायें आमन्त्रित की गयी। फरवरी 2005 में मूल्यांकन पूरा किया गया। हालांकि फर्म की 14.60 लाख रूपये की डी.पी.एस. ने इसे अप्रैल 2005 तक बढ़ाने के लिए कहा। पेशकश मार्च 2005 तक बढ़ाया था। इसे फर्म के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। पुनः निविदा जारी की गयी। और उसी फर्म ने न्यूनतम बोली लगायी। पी ओ को 15.97 लाख रु की उंची कीमत के साथ रूपये 1.37 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। डी.पी.एस. ने इसके लिए कारण बताया कि आदेश को फाइनल करने में देरी के कारण ऐसा हुआ। डी.पी.एस. सही समय पर आदेश नहीं दिया जिसके कारण अतिरिक्त वित्तीय व्यय हुआ। डी.ए.इ. अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि मामले की फाईल पर डिविजन के परामर्श को एक्सपायरी की तारीख से सिर्फ 3 दिन पहले डी.पी.एस. के द्वारा प्राप्त किया गया। इसलिए इतने कम समय में आदेश को फाइनल करना असम्भव था। अतः पुनः निविदा पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।</p> <p>यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डी.पी.एस. को इसके एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना चाहिए था। डी.पी.एस. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता डी.पी.एस. के द्वारा निविदा सूचना में दी गयी दिनांक तक अपनी पेशकश को पूरा करें। अगर आपूर्तिकर्ता सही समय पर अपनी पेशकश को पूरा ना कर पाये तो इसे निरस्त किया जा सकता है, डी.पी.एस. के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।</p>



क्रम संख्या	पी.ओ. नम्बर और तारीख	कीमत (रुपये लाख में)	मद	अतिरिक्त व्यय (रुपये लाख में)	टिप्पणी
5.	डी.पी.एस /10/एमटी.एल/ 11384-ए/पी.ओ. / 38968 दिनांक 31/8/04	13.50	स्पेयर पैकिंग्स, बोनेट गास्केट, प्लगेट	7.32	हेवी वाटर प्लान्ट, बड़ौदा ने स्पेयर ग्लेण्ड पैकिंग्स, बोनेट गास्केट, प्लगेट के एक सेट की प्राप्ति के लिए एक निविदा के आधार पर जून 2003 में आवेदन जारी किया। जिसकी अनुमानित लागत रुपये 5 लाख लगायी गयी। फर्म ने इसके लिए रुपये 6.18 लाख की पेशकश रखी। जो सितम्बर 2003 तक मान्य थी। हालांकि डी.पी.एस ने इस मामले की कार्रवाई में देरी की, जिससे वैध अवधि एक्सपायर हो गयी थी आपूर्तिकर्ता ने इसके आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। रुपये 13.50 लाख की नयी कोटेशन दी। अगस्त 2004 में नयी कीमत का पी.ओ. दिया गया और इससे रुपये 7.32 लाख रु का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। डी.ए.ई.ने इसका जवाब देते हुए अक्टूबर 2009 में कहा, कि निविदा के मूल्यांकन में बहुत ज्यादा समय लगा। चूंकि आपूर्तिकर्ता ने वैध तिथि को बढ़ाने से इनकार कर दिया था इसलिए पुनः निविदा जारी करनी पड़ी।
कुल		132.96		33.14	



परिशिष्ट II

अध्याय 7: पैरा 7.4

लम्बे समय तक व्याज रहित आग्रिम रखने के कारण व्याज की हानि

क्रम संख्या	इकाई का नाम	पी ओ की कीमत (रुपये करोड़ में)	व्याज रहित दिए गए अग्रिम की राशि (रुपये लाख में)	व्याज रहित अग्रिम बनाये रखने के अवधि (माह में)	व्याज की हानि की मात्रा (रुपये लाख में)	टिप्पणी
1	डी पी एस	3.90	36.77	31	11.40	<p>फरवरी 2007 में रुपये 3.90 करोड़ की लागत के भिन्न श्रेणी की स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति के लिए पी.ओ का ऑर्डर दिया गया जो आवेदन बी.ए.आर.सी.के.आर.सी.एम. अनुभाग से प्राप्त हुआ था। रुपये 36.77 लाख का भुगतान इंडेमिटी वोड के विरुद्ध किया गया जो मार्च 2007 में 10 प्रतिशत व्याज रहित अग्रिम के रूप दिया गया। इसकी डिलिवरी अगस्त 2008 तक पूरी की जानी थी। हालांकि फर्म निर्धारित समय के भीतर डिलीवरी पूरी नहीं कर पायी।</p> <p>डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि निविदा जारी करते समय ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी थी कि टेके का काम पूरा करने में देरी होने पर अग्रिम पर कोई व्याज लगाया जायेगा। इसलिए यह अनुबंध का भाग नहीं था। उपयोगकर्ता विभाग ने इसके बाद यह सुनिश्चित किया कि मदों आदेशित को प्राप्त करने में हुई देरी के कारण परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, अग्रिम भुगतान पर कोई व्याज नहीं लगाया जा सकता है।</p> <p>डी.पी.एस. में उचित खंड लगाने में विफल रही।</p> <p>आदेश में नियम एक शर्तों जिसके परिणामस्वरूप 31 महीने के लिए रुपये 36.77 लाख के व्याजरहित अग्रिम को रखने के कारण आपूर्तिकर्ता को फायदा हुआ। यह भुगतान के रिलीज़ होने की तारीख से अक्टूबर 2009 तक था।</p>
2	डी पी एस	1.54	25.80	20–23	5.55	<p>डी पी एस ने जुलाई 2007 में रुपये 1.54 करोड़ रु की न्यूनतम लागत पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित फर्म पर कम्पोनेन्ट्स और सब असेम्बलीज़ (20–एच–00 असेम्बलीज) की प्राप्ति के लिए एक पी ओ प्लेस किया। भुगतान की शर्तों के अनुसार, डी पी एस ने रुपये 12.90 लाख रु के व्याज रहित अग्रिम भुगतान की दो किश्तों में रिलीज़ किया। नवम्बर 2007 और फरवरी 2008 के दौरान इसका ऑर्डर लिया गया</p>



क्रम संख्या	इकाई का नाम	पी ओ की कीमत (रुपये करोड़ में)	ब्याज रहित दिए गए अग्रिम की राशि (रुपये लाख में)	ब्याज रहित अग्रिम बनाये रखने के अवधि (माह में)	ब्याज की हानि की मात्रा (रुपये लाख में)	टिप्पणी
						<p>था। डिलीवरी को मार्च 2008 तक पूरा किया जाना था। हालांकि फर्म इस ऑर्डर को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं कर पायी तथा इसे दिसम्बर 2008 तक बढ़ा दिया गया था। इसलिए भुगतान की तिथी से 20–23 माह की अवधि तक ब्याज रहित अग्रिम को बनाये रखने के कारण आपूर्तिकर्ता को रुपये 25.80 लाख रु का वित्तीय लाभ हुआ।</p> <p>डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि निविदा जारी करते समय ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी थी कि ठेके का काम पूरा करने में देरी होने पर अग्रिम पर कोई ब्याज लगाया जायेगा। इसलिए यह ठेके का एक भाग नहीं था। उपयोगकर्ता विभाग ने इसके बाद यह सुनिश्चित किया कि ऑर्डर की गई मदों को प्राप्त करने में हुई देरी के कारण परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगाया जा सकता है।</p> <p>डी.पी.एस. आदेश में उचित खंड लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 20–23 महीने के लिए रुपये 25.80 लाख के ब्याजरहित अग्रिम को रखने के कारण आपूर्तिकर्ता को फायदा हुआ। यह भुगतान के रिलीज़ होने की तारीख से अक्टूबर 2009 तक था।</p>
3	एम आर पी यू	1.42 12.44 18.66	12.44 35 33 22	35 33 22	12.56	<p>एम आर पी यू ने सितम्बर 2006 में आई जी सी ए आर के द्वारा दिये गये एक आवेदन में 1.42 करोड़ रुपये की लागत पर टाईप 1 (10 संख्या) और टाईप 2 (11 संख्या) की विशेष खिड़कियों की आपूर्ति, टेरिटिंग और निर्माण के लिए एक पी ओ प्लेस किया। भुगतान की शर्तों के अनुसार आदेश की स्वीकृति के लिए रुपये 43.54 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया। नवम्बर 2006, जनवरी 2007 और दिसम्बर 2007 के दौरान बैंक की गारण्टी के साथ अनुमोदन दिया गया। इस सामग्री की आपूर्ति मई 2007 तक की जानी थी। हालांकि डिलीवरी की अवधि को सितम्बर 2008 तक बढ़ाया गया था।</p> <p>डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि टाईप 1 की 10 और टाईप 2 की 11 खिड़कियों की आपूर्ति जुलाई 2009 के अन्त तक पूरी की जानी थी। इसने आगे कहा कि ऑर्डर किये गये आईटमों को प्राप्त करने में हुई देरी ने परियोजना को प्रभावित नहीं किया है। अतः अग्रिम भुगतान पर ब्याज के खंड को शामिल नहीं किया। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता को भुगतान के जारी होने की तिथि से लेकर 22–35 माह की अवधि के लिए टाईप 2 की 11 खिड़कियों के लिए अग्रिम भुगतान पर रुपये 43.54 लाख रुपये का मुनाफा हुआ।</p>
4.	डी.पी.एस	0.82	7.75	31	2.40	डी.पी.एस.ने अगस्त 2002 में 81.85 लाख रुपये की लागत पर बी.ए.आर.सी. ईंधन उपचार डिविजन के लिए एक जटिल अलार्म सिस्टम की प्राप्ति के लिए पी ओ प्लेस किया। भुगतान की शर्तों के अनुसार



क्रम संख्या	इकाई का नाम	पी ओ की कीमत (रुपये करोड़ में)	ब्याज रहित दिए गए अग्रिम की राशि (रुपये लाख में)	ब्याज रहित अग्रिम बनाये रखने के अवधि (माह में)	ब्याज की हानि की मात्रा (रुपये लाख में)	टिप्पणी
						<p>अक्टूबर 2002 में फर्म को 7.75 लाख रु का अग्रिम भुगतान किया गया था। अक्टूबर 2003 तक डिलीवरी को पूरा किया जाना था। हालांकि हमने पाया कि सामग्री को साईट पर जून 2005 में डिलीवर किया गया था। आपूर्तिकर्ता के द्वारा डिलीवरी में देरी के बावजूद अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप उसे भुगतान के जारी होने की तिथि से 31 माह की अवधि के लिए 7.75 लाख रु का वित्तीय लाभ हुआ।</p> <p>डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि निविदा जारी करते समय ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी थी कि ठेके का काम पूरा करने में देरी होने पर अग्रिम पर कोई ब्याज लगाया जायेगा। इसलिए यह ठेके का एक भाग नहीं था। उपयोगकर्ता विभाग ने इसके बाद यह सुनिश्चित किया कि आदेशित मर्दों को प्राप्त करने में हुई देरी के कारण परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जा सका था।</p> <p>खरीद इकाई आदेश में नियम एवं शर्तों में उचित खंड को न रखने में विफल रही। परिणामतः 31 महीने के लिए 7.75 लाख रुपये के ब्याजरहित अग्रिम को बनाये रखने के कारण आपूर्तिकर्ता को भुगतान के जारी किये जाने की तिथि से मुनाफा हुआ।</p>
5.	एम.आर. पी.यू.	0.75 10.87	7.25 43	45	7.94	<p>विशेष प्रकार के बर्टन 1 व 2 की खरीद के लिए 75 लाख रुपये की कीमत पर जून 2005 में पीओ प्लेस किया गया था। वितरण की निर्धारित तिथि दिसंबर 2005 थी। हालांकि, एमआरपीयू ने फर्म को केवल जनवरी 2006 में 7.25 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान दिया था। फर्म निर्धारित वितरण करने में असफल रहा और फर्म के निवेदन पर, वितरण की तिथि में संशोधन करके फरवरी 2006 कर दिया। फर्म को सुरक्षा जमा राशि में भी छुट दे दी गई थी। मार्च 2006 में, 10.87 लाख रुपये की राशि का दूसरा अग्रिम भुगतान जारी किया गया था। हालांकि, फर्म एक बार फिर आपूर्ति को प्रभावी करने में असफल रहा और मार्च 2007 में, फिर वितरण अवधि को बढ़ाकर अगस्त 2008 कर दिया गया। अक्टूबर 2009 तक आपूर्ति के कार्य को पूरा नहीं किया गया था। यद्यपि एमआरपीयू इस बात से अवगत था कि देरी का आरोप आपूर्तिकर्ता पर लगाया गया, न तो फर्म के विरुद्ध कोई कारवाई की गई और न तो इसके लिए जारी की गई अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज लगाया गया।</p> <p>अक्टूबर 2009 में, डीएई ने जवाब दिया कि मुक्त रूप से जारी की गई सामग्री (एचएम) को बनाने में प्रयोग किया था जो एक विशिष्ट ग्रेड था और आपूर्तिकर्ता को सामग्री के खरीद में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। आगे कहा गया कि वेल्डर की योग्यता को भी प्रभावित किया गया था, नियंत्रित उष्ण इनपुट के साथ पीओ विशिष्टिकरण के अनुसार वेल्डर के द्वारा टाइटेनियम वेल्डिंग प्राप्त करना</p>



क्रम संख्या	इकाई का नाम	पी.ओ. की कीमत (रुपये करोड़ में)	ब्याज रहित दिए गए अग्रिम की राशि (रुपये लाख में)	ब्याज रहित अग्रिम बनाये रखने के अवधि (माह में)	ब्याज की हानि की मात्रा (रुपये लाख में)	टिप्पणी
						<p>बहुत कठिन था।</p> <p>हालाकि संविदा दर प्रस्तुत करने से पहले, अनुबंध के कार्यान्वयन से संबंधित ऐसे अत्यावश्यक कारक को आपूर्तिकर्ता को सावधानी से देखरेख करना चाहिए था जिससे कि आपूर्तिकर्ता को कठिनाई का सामना करने के कारण एमआरपीयू परिहार्य देरी का विषय नहीं होता।</p>
6.	डीपीएस	0.69	6.80 5.95	93 54	9.54	<p>बी.ए. आर. सी. के आर.एम.डी. अनुभाग ने पंप मोटर खरीदने के लिए अक्टूबर 2001 में पी.ओ. दिया गया था। जनवरी 2002 और अप्रैल 2005 में क्रमशः नियम और शर्त के अनुसार 6.80 लाख रुपये और 5.95 लाख रुपये के ब्याज मुक्त भुगतान को जारी किया गया था। यद्यपि हमने पाया कि अक्टूबर 2003 में आपूर्ति का कार्य पूरा होने ही वाला था, फिर भी, वितरण की अवधि को बढ़ाकर दिसंबर 2007 कर दिया गया। उसके बावजुद, आपूर्ति का कार्य पूरा नहीं किया गया।</p> <p>अक्टूबर 2009 में, डीएई ने जवाब दिया कि निविदा जारी करते समय, अनुबंध के संपादन में हुई देरी हेतु अग्रिम पर ब्याज की वसूली के लिए कोई शर्त नहीं थी, इस प्रकार यह अनुबंध का भाग नहीं था। प्रयोक्ता विभाग ने आगे स्पष्ट किया कि आदेशित सामग्री को प्राप्त करने में देरी परियोजना को प्रभावित करने का कारण नहीं था। परिस्थिति के तहत, अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया।</p> <p>आदेश के नियम और शर्त के उपयुक्त खंड के न रखने से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की जारी तिथि से 54 से 93 महीने की अवधि के लिए 12.75 लाख रुपये के ब्याज मुक्त भुगतान पर छूट, खरीद यूनिट की असफलता का परिणाम, अनुचित वित्तीय लाभ के रूप में हुआ।</p>
7.	डीपीएस	0.78	7.48	67	5.01	<p>खरीद, गठन, परीक्षण और विशेष फिल्टर के सुरक्षित वितरण के लिए अगस्त 2003 में डीपीएस ने एक पीओ रखा। पीओ के नियम और शर्त के अनुसार, सितंबर 2003 में फर्म को 7.48 लाख रुपये का 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया गया। मार्च 2005 तक वितरण को पूरा किया जाना था। हालाकि, कच्चे सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि के कारण फर्म ने इस प्रस्ताव को मनमाने ढंग से अगस्त 2004 में संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित आदेश को अप्रैल 2005 में रद्द कर दिया गया था। हमने पाया कि न तो अग्रिम भुगतान की राशि पर ब्याज वसूला गया था और न ही अनुबंध के उस प्रदर्शन के लिए फर्म पर किसी प्रकार की क्षति के निवारण की वसूली की गई।</p> <p>अक्टूबर 2009 में, डीएई ने जवाब दिया कि यद्यपि अप्रैल 2005 में खरीद आदेश को रद्द करने का प्रस्ताव था, फिर भी खरीद आदेश को रद्द करने से पहले, यह सुनिश्चित किया गया है कि फर्म के</p>



क्रम संख्या	इकाई का नाम	पी ओ की कीमत (रुपये करोड़ में)	ब्याज रहित दिए गए अग्रिम की राशि (रुपये लाख में)	ब्याज रहित अग्रिम बनाये रखने के अवधि (माह में)	ब्याज की हानि की मात्रा (रुपये लाख में)	टिप्पणी
						<p>अग्रिम भुगतान को वापस ले लिया जाए। आदेश के औपचारिक निराकरण को केवल मई 2009 में जारी किया गया था। चूंकि हमारे निविदा पुछाताछ में अनुबंध के संपादन के भाग में देरी हेतु अग्रिम भुगतान पर ब्याज वसूली की कोई शर्त नहीं थी, इस प्रकार यह अनुबंध का भाग नहीं था। हालात के तहत, अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगाया जा सका था।</p> <p>जवाब स्वीकार्य नहीं है। डी.पी.एस. फर्म से अग्रिम भुगतान की वसूली हेतु किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर सका था, तथ्य यही रहा कि 67 महीनों के लिए आपूर्तिकर्ता के द्वारा रखे गए ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतान से उसे अनुचित वित्तीय लाभ का हुआ।</p>
8.	डीपीएस	0.43	8.19	36.41 और 47	3.85	<p>जनवरी 2001 में 43.47 लाख रुपये की कीमत पर बीआरआईटी आरआईटी अनुभाग के स्थान पर 10 ब्लड इरेडिएटर की खरीद के लिए डीपीएस ने एक पीओ दिया था। निर्धारित वितरण कार्यक्रम के अनुसार, समस्त कार्य को जनवरी 2002 तक पूरा करना था। हालाकि, मार्च 2002 में फर्म को 8.19 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान जारी किया गया। वितरण अवधि में संशोधन करके इसे अगस्त 2002 तक बढ़ा दिया गया था। सभी में वितरण कार्यक्रम को मई 2006 तक दस गुन बढ़ा दिया गया। फर्म ने तीन यूनिटों की आपूर्ति अप्रैल 2005 में, दो यूनिटों की आपूर्ति सितंबर 2005 में और पांच यूनिटों की आपूर्ति मार्च 2006 में की गई थी। हालाकि, एरिडेटर यूनिटों की एसेम्बली और परीक्षण, जो आदेश का भाग नहीं था, को पूरा नहीं किया गया और आदेश को मार्च 2007 में कम समय के लिए बंद कर दिया गया।</p> <p>डीएई ने जवाब दिया कि आपूर्तिकर्ता ने आदेशित इरेडिएटर की आपूर्ति की गई थी लेकिन एसेम्बली और परीक्षण का कार्य पूरा नहीं किया गया। अपूर्ण जॉब करने के क्रम में, वैकल्पिक एजेंसी के द्वारा विचाराधीन कार्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित होने और आपूर्ति के कारण दो लाख रुपये की राशि को जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, आपूर्तिकर्ता ने कोई अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं किया।</p> <p>जवाब स्वीकार्य नहीं है। चूंकि मूल वितरण अवधि जनवरी 2002 थी, जबकि इरेडिएटर इकाईयों को केवल मार्च 2006 में ही पूरा कर पाया गया। इसलिए, भुगतान के जारी करने की तिथि से 47 महीनों की अवधि के लिए रुपये 8.19 लाख के अग्रिम भुगतान के छुट के कारण यह अनुचित वित्तीय लाभ का परिणाम हुआ।</p>
9.	डीपीएस	2.13	18.90	22	6.99	<p>जनवरी 2006 में बीएआरसी के भारी जल अनुभाग के स्थान पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मोड्यूल के खरीददारी के लिए डीपीएस ने एक क्रय आदेश दिया। आदेश के नियम और शर्त के अनुसार, ड्राइंग की</p>



क्रम संख्या	इकाई का नाम	पी ओ की कीमत (रुपये करोड़ में)	ब्याज रहित दिए गए अग्रिम की राशि (रुपये लाख में)	ब्याज रहित अग्रिम बनाये रखने के अवधि (माह में)	ब्याज की हानि की मात्रा (रुपये लाख में)	टिप्पणी
						<p>स्वीकृति और आदेश को बिना शर्त के स्वीकार्यता पर फर्म को 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जारी किया जाना था। फर्म अप्रैल 2007 में इसके लिए प्रस्तुत हुआ। हालांकि, केवल नवम्बर 2007 में अग्रिम भुगतान के दावे के लिए आदेश की शर्त के अनुसार आज्ञापत्र के रूप में वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया गया था। रुपये 18.90 लाख के ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतान को दिसंबर 2007 और जुलाई 2008 के प्रत्येक फर्म को जारी किया गया था।</p> <p>अक्टूबर 2009 में, डीएई ने जवाब दिया कि अनुबंध को जल्द पूरा किया जाना था। आगे कहा गया कि अनुबंध के संपादन के भाग में देरी के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज की वसूली की कोई शर्त नहीं था, इस प्रकार यह अनुबंध का भाग नहीं था। हालात के तहत, अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगाया जा सका था।</p> <p>चूंकि सभी जल्द कारकों के एकाउंट में लेने के बाद खींचने के लिए वितरण कार्यक्रम अपेक्षित थे, इसलिए जवाब स्वीकार्य नहीं है। तथ्य यह रह जाता है कि 2006 में रखे गए आदेशों और रुपये 37.80 लाख की राशि को वर्ष 2007–08 में भुगतान के रूप में जारी किया गया जिसे अक्टूबर 2009 तक पूरा नहीं किया गया है।</p>
कुल	12.46	198.20		65.24		



परिशिष्ट-III-ए
(अध्याय 7: पैरा 7.9)

डीपीएस और इसके आरपीयू के द्वारा अतिरिक्त कर भुगतान के लेखों पर अतिरिक्त व्यय

क्रम संख्या	इकाई का नाम और पद का नाम	पीओ मूल्य (रुपये लाख में)	अतिरिक्त खर्च (रुपये लाख में)	मामले का विवरण और टिप्पणी
1.	एमआरपीयू विकास सिमुलेटर घटक	884.62	71.40	<p>दिसम्बर 2005 में पीओ दिया गया था। निर्धारित वितरण की अवधि अक्टूबर 2006 तक थी, जिसे फर्म के निवेदन पर अप्रैल 2008 तक बढ़ाया गया था। इस बीच, 1 अप्रैल 2007 से 12.5 प्रतिशत वैट प्रस्तुत किया गया। फर्म ने वैधानिक वसूली दरों की सिफारिश का निवेदन किया जिसे आरपीयू के द्वारा स्वीकार कर लिया गया थां। इस प्रकार, एमआरपीयू ने 71.40 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया।</p> <p>अक्टूबर 2009 में ने डीपीएस ने जवाब दिया कि सिमुलेटर का विकास एक जटिल परियोजना थी जिसमें डिजाइनर, आपूर्तिकर्ता और सिविल निर्माण कार्मिक शामिल थे। इस प्रकार, यह सिमुलेटर के घर के भवन के निर्माण की रचना की योजना बनाई गई। चूंकि खरीद आदेश में उपस्कर की स्थापना और चालू करने का कार्य भी शामिल था, इसलिए वितरण की अवधि को अप्रैल 2008 तक फिर से तय किया गया।</p> <p>डीएई का जवाब में यह दर्शाता है कि सामग्री की आपूर्ति के पहले साइट की तैयारी को सुनिश्चित करने में एमआरपीयू असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप वैट के संशोधन के कारण 71.40 लाख रुपये को जारी करने हेतु निवेदन को मान लिया गया।</p>
2.	एचआरपीयू अल्ट्रासोनिक ट्यूब परीक्षण सिस्टम	175.12	22	<p>एचआरपीयू ने मार्च 2005 में पीओ दिया था। फरवरी 2007 तक फर्म को सामग्री का वितरण किया जाना था। आगे, पीओ के अनुसार, फॉर्म डी की प्रस्तुति के जवाब में बिक्री कर के भुगतान से फर्म को छुट दी गई थी। फर्म के अनुरोध पर डिलीवरी तिथि को जून 2007 तक बढ़ाया गया था। हालांकि, बढ़ाई गई अवधि के दौरान जारी किए गए वैट को फर्म ने स्वीकार किया था।</p> <p>डीएई ने अक्टूबर 2009 में कहा कि खरीदा गयो उपस्करा प्रकृति में विशेष था और विकास प्रयास, संशोधन को ध्यान में रखते हुए नवम्बर 2007 तक अतिरिक्त समय दिया गया था।</p> <p>हालांकि अनुसंधान एवं विकास से संबंधित खरीददारी में आई बाधाओं के सामना करने की हम सहराना करते हैं फिर भी लेखों में इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिए पर्याप्त अग्रिम योजना एवं मूल्य सम्बन्धित कार्यान्वयन को ध्यान में रखने की जरूरत है। इस मामले में, एचआरपीयू ने कर संरचना के पुनरीक्षण को 22 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च का वहन किया।</p>
3.	डीपीएस रोटरी प्रेस	89.18	7.58	<p>सितम्बर 2004 में, एएफएफएफ, तारापुर से प्राप्त मांगपत्र पर डीपीएस ने एक क्रय आदेश दिया। पीओ के अनुसार वितरण की निर्धारित तिथि फरवरी 2005 थी। आपूर्तिकर्ता के निवेदन पर, विस्तारित वितरण अवधि से पांच गुणा अवधि को स्वीकृत किया गया। बिक्री कर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत पर वैट को बढ़ाने की अनुमति को जनवरी 2008 में डीपीएस ने छठे</p>



क्रम संख्या	इकाई का नाम और पद का नाम	पीओ मूल्य (रुपये लाख में)	अतिरिक्त खर्च (रुपये लाख में)	मामले का विवरण और टिप्पणी
				<p>संशोधन के रूप जारी किया गया।</p> <p>डीएई ने अक्टूबर 2009 में, जवाब दिया कि प्रेस की विशेष प्रकृति का बनाया गया था और प्रयोक्ता विभाग के निरंतर बातचीत को शामिल करते हुए कई विकास के प्रयास की अवश्यकता थी। इससे अतिरिक्त समय लगा जिससे रुपये 7.58 लाख का अतिरिक्त खर्च हुआ।</p> <p>वितरण की अवधि को विस्तृत करने के लिए डीएई के द्वारा प्रस्तुत कारणों के अलावा जवाब स्वीकार्य नहीं है, हमने पाया कि 2007 में, मांग पत्र में कहा गया था कि केवल पतले भित्तीदार जिरकालॉय ट्यूबों के साथ उपकरण की आवश्यकता को वापसी पर आधारित मुक्त जारी सामग्री के रूप में आपूर्तिकर्ता को जारी किया जाना था। हालांकि, यह पहलू पीओ में कवर नहीं होता और इसलिए, फर्म को मुफ्त जारी सामग्री को जारी करने में लिए गए समय को कवर करने के लिए पीओ में निर्धारित वितरण की अवधि को बढ़ाना था। हम महसूस करते हैं कि पर्याप्त अग्रिम कार्य और योजना के द्वारा इस स्थिति और अनुगामी अतिरिक्त खर्च को रोका जा सकता था।</p>
4.	एम आर पीयू पी एफ बी आर के लिए पल्स कोडेड सेपटी लॉजिक सिस्टम	75.08	5.60	<p>एमआरपीयू ने सितम्बर 2004 और मार्च 2005 में दो पीओ दिए। इन आदेशों की निर्धारित वितरण तिथि नवंबर 2004 और और जुलाई 2005 थी। हालांकि, वितरण अवधि को क्रमशः अक्टूबर 2007 और सितंबर 2007 तक बढ़ा दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि वृद्धि बढ़ाई गई अवधि के दौरान हुई थी, एमआरपीयू ने करों के उच्च दरों की भुगतान की अनुमति के लिए अनुशंसा जारी की परिणामतः रुपये 5.60 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार हुआ।</p> <p>अक्टूबर 2009 में डीएई ने जवाब दिया कि यह प्रणाली एक नोवेल प्रणाली है और भारतीय नाभिकीय रिएक्टरों में पहली बार प्रयोग हुई है और भारत में इसका विकास किया जा रहा है। आगे कहा गया कि प्रणाली को पर्यावरण के योग्य बनाने के क्रम में, ईएमआई/ईएमसी को विश्वसनीय बनाया गया, नई कार्यप्रणाली विकसित की गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्य में देरी हुई और आवश्यक वितरण कार्यक्रम को दोबारा सितंबर 2007 तक निर्धारित किया गया। अनुसंधान और विकास से संबंधित खरीदारी, पर्याप्त अग्रिम योजना और निहितार्थ लागत के बारे में उल्लेख करते समय इस प्रकार की खरीद को एकाउंट में लिए जाने की आवश्यकता है।</p>
कुल		1224.00	106.58	



परिशिष्ट -III-बी

(अध्याय 7: पैरा 7.10)

पीओ के अन्य शर्तों के उल्लंघन के कारण गैर अनुमेय भुगतान

क्रम संख्या	इकाई और मद का नाम	पी ओ मूल्य (रुपये करोड़ में)	उल्लंघन का प्रकार	कीमत (लाख रुपये में)	ममले का विवरण और टिप्पणी
1.	एसएस 304 में इंटरनल के साथ डीपीएस फॉस्फर ब्रॉन्ज के पतले तार की जाली पैक	3.30	पीओ की भुगतान शर्तों का उल्लंघन: उपकरण के प्रतिस्थापन और चालू होने से पूर्व भुगतान जारी	26.50	<p>सितंबर 2006 में, भारी जल प्लांट, मानुगुरु से एक मांग पत्र पर पीओ रखा गया। पीओ के नियम और शर्त के अनुसार, शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान केवल उपस्कर की स्थापना के बाद किया जाना था। हालांकि, हमने पाया कि प्रयोक्ता अनुभाग साइट को तैयार करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप शेष 10 प्रतिशत राशि अर्थात् 26.50 लाख रुपये का भुगतान आदेश के नियम और शर्तों के विरुद्ध किया गया था।</p> <p>डीएई ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि यह उपेक्षित था कि निर्धारित समय तक मदों को प्राप्त किया गया, जिससे साइट तैयार किया जाएगा। हालांकि, संयंत्र क्षेत्र के अंदर बाहरी एजेंसियों के कार्य पर साइट के बाधाओं के कारण सिविल कार्य में अधिक समय लग गया। डीएई ने आगे कहा कि चूंकि स्थापना में हुई देरी के लिए आपूर्तिकर्ता को आरोपित किया गया था और उस साइट की तैयारी में अधिक समय लगने के कारण शेष राशि का भुगतान कर दिया गया।</p> <p>डीएई के जवाब ने तथ्य को दोहराया कि भुगतान को न केवल आपूर्तिकर्ता के कारण जारी किया गया बल्कि सामग्री के प्राप्ति से साइट को तैयार करने में इसके अपने समय में चूंक होने के कारण भी करना पड़ा।</p>
2.	एचआरपीयू उच्च शुद्धता वाला मैग्नीशियम इंगोट्स	1.77	अनुबंध की भुगतान शर्तों का उल्लंघन: अस्वीकृत सामग्री और पूर्ण भुगतान की प्राप्ति को स्वीकार्यता	46.80	<p>अगस्त 2005 में पीओ दिया गया। जून 2006 में जांच के समय इंडेंटिंग अधिकारी के द्वारा मैग्नीशियम इंगोट्स के 140 एमटी में से केवल 112.204 एमटी को स्वीकृत किया। 27.491 एमटी जिसकी कीमत रुपये 46.80 लाख है, की शेष राशि को अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन इसकी पुष्टि विशिष्ट लोहा के साथ-साथ मैग्नीशियम कॉन्टेन्ट के रूप में नहीं की गई थी। आपूर्तिकर्ता ने इसे मई, जून और अगस्त 2006 में बदलने के लिए कहा। हालांकि, वापसी का इंतजार किए बिना, एचआरपीयू ने अक्टूबर 2006 में यह कहते हुए अस्वीकृत सामग्री को स्वीकृत कर लिया कि सामग्री का प्रयोग इसी कार्य के लिए दुबारा उपयोग</p>



क्रम संख्या	इकाई और मद का नाम	पीओ मूल्य (रुपये करोड़ में)	उल्लंघन का प्रकार	कीमत (लाख रुपये में)	ममले का विवरण और टिप्पणी
					<p>में लाया जा सकता है।</p> <p>डी.ए.ई ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि अस्वीकृत सामग्री को बदलने हेतु आपूर्तिकर्ता पर जोर देने की लगातार कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ था। अक्टूबर 2006 तक, साइट पर मैनिशियम के स्टॉक की स्थिति गंभीर थी और नए स्टॉक की प्राप्ति में अधिक समय लग रहा था। गंभीर स्टॉक को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी विशेषताओं की पुष्टि के बाद कार्यकारी समिति ने परिवर्तित सामग्री स्वीकार करने का निर्णय लिया।</p> <p>गंभीर स्टॉक स्तरों के कारण अस्वीकृत सामग्री की स्वीकार्यता की सभा, जैसे पूर्ण भुगतान की आपातकालीन और आगामी विमोचन, में पर्याप्त योजना की कमी को प्रतिबिवित करती थी।</p>
3	डीपीएस एफटी एन.एम.आर. स्पैक्ट्रोमीटर	0.95	पूर्व प्रेषण निरीक्षण और प्रशिक्षण खंड का उल्लंघन	7.81	<p>बीएआरसी के रसायन प्रभाग से फरवरी 2007 में एक मांगपत्र पर पीओ जारी किया गया था। पीओ में 10 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के विमोचन के लिए आपूर्तिकर्ता के दृष्टांत में पूर्व प्रेषण निरीक्षण खंड और स्थापना तथा चालू करने का प्रमाण पत्र को हटा दिया था। जनवरी 2008 में, जब उपकरणों को अंतिम रूप से वितरण किया गया था तब उसमें त्रुटि पाई गई थी, जिसे पूर्व प्रेषण निरीक्षण चरण में पाया गया था। इसलिए, यद्यपि डी.पी.एस. इस बात से अवगत था कि परेषण में त्रुटि थी, फिर भी फर्म के दृष्टांत पर खंडों में संशोधन के कारण 7.81 लाख रुपये की 10 प्रतिशत राशि को जारी किया गया था।</p> <p>डी.पी.एस ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि मद प्रकृति में मानक थी और फर्म ने उसी प्रकार के उपकरणों को बीएआरसी और अन्य स्थानों पर स्थापित किया था। इसलिए, अच्छे अनुभव के आधार पर, अधिक कीमत बचाने के लिए विद्युतों में जांच नहीं की गई थी। डी.पी.एस. ने आगे जवाब दिया कि कभी-कभी दोषपूर्ण आपूर्ति से कार्य में बाधा नहीं आई थी। क्योंकि संबन्धित गतिविधियाँ कभी - कभार ही की जाती थीं।</p> <p>जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रेषण निरीक्षण के खंड मूल पीओ में मौजूद था, जो उसके महत्व को रेखांकित करता है। खंड को फर्म के दृष्टांत में हटाया गया था न कि डी.पी.एस. के द्वारा लागत को बचाने के लिए। आगे, वे खंड के हटाये जाने के परिणाम इस तथ्य के साक्षी थे कि आपूर्ति में त्रुटियाँ पाई गई थीं। डी.पी.एस. के दोषपूर्ण आपूर्ति का तर्क जो कार्य को प्रभावित नहीं करते हैं, उसे पुनः अस्वीकृत कर दिया गया लैं।</p>
4	डीपीएस एक्स-रे पलुरेसीन स्पैक्ट्रोमीटर	0.57	पीओ की भुगतान शर्तों का उल्लंघन: प्रशिक्षण को पुरा किए बिना 90	43.57	डीपीएस ने अक्टूबर 2006 में खरीद आदेश दिया था। डीपीएस ने आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण नहीं लिया था। पीओ के मूल शर्त के अनुसार, 90 प्रतिशत भुगतान को अपेक्षित दस्तावेजों की



क्रम संख्या	इकाई और मद का नाम	पी ओ मूल्य (रूपये करोड़ में)	उल्लंघन का प्रकार	कीमत (लाख रूपये में)	ममले का विवरण और टिप्पणी
	सिस्टम'		प्रतिशत भुगतान जारी करना जो भुगतान करने लिए पूर्व अपेक्षित था।		<p>प्रस्तुति के बाद जारी करना था, जिसमें कर्मचारी के प्रशिक्षण के लिए प्रमाणपत्र भी शामिल है। बाद में, इस खंड को संशोधित किया गया और उपस्कर के शिपमेंट के बाद प्रशिक्षण दिया जाना था। हालांकि, शिपमेंट के बाद, सितंबर 2007 में आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रशिक्षण कॉल दिया गया था, लेकिन डीएई के कर्मचारी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण डीपीएस ने इस मांग को छोड़ दिया।</p> <p>डीएई ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि प्रयोक्ता विभाग और डीपीएस इस कार्य को करने का निरंतर प्रयास किए थे और 10000 अमेरीकी डॉलर के भुगतान के 10 प्रतिशत शेष राशि को इस कार्य के लिए रोक दिया गया था।</p> <p>हालांकि, तथ्य यह रह जाता है कि 90 प्रतिशत अर्थात् रूपये 43.57 लाख के भुगतान को जारी करने से पूर्व आदेश के नियमों और शर्तों को डीपीएस ने सुनिश्चित नहीं किया।</p>
5.	600 एमएम और 530 एमएम का एमआरपीयू जेनरेटर वियरिंग्स	0.22	पूर्व प्रेषण निरीक्षण खंड को ध्यन	0.88	<p>फरवरी 2006 में, 600 एमएम और 530 एमएम के प्रत्येक आपूर्ति के लिए एमआरपीयू ने पीओ रखा। वितरण की निर्धारित तिथि फरवरी 2007 थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर 2007 कर दिया गया था। नवंबर 2007 में फर्म ने बताया कि सामग्री प्रेषण के लिए तैयार है और और पूर्व प्रेषण निरीक्षण के लिए व्यवस्थित करने का निवेदन किया था। हालांकि, बिना कोई कारण बताए इस खंड को हटा दिया गया और पीओ के संशोधन नवंबर 2007 में किया गया था। नवंबर 2007 में इस सामग्री के प्रेषण पर, यह पाया गया कि आपूर्ति की गई सामग्रियां विनिर्देशन के अनुसार नहीं थीं और सभी वियरिंग 530 एमएम के थे। हालांकि, एमआरपीयू ने इस तर्क पर अस्वीकृत सामग्री को स्वीकार किया कि मूल्य में कमी के कारण फर्म वियरिंग के उत्पादन को रोकने ही वाला था। फर्म को रूपये 12.50 लाख की राशि जारी की गई। रूपये 1.68 लाख की राशि को अग्रिम भुगतान कर दिया गया था, जिसमें गैर आपूर्ति सामग्रियों की ओर से रूपये 0.88 लाख का अस्वीकार्य भुगतान शामिल है।</p> <p>डीएई ने अक्टूबर 2009 में जवाब दिया कि पीएसयू के द्वारा के निर्मित जेनरेटर के लिए वियरिंग के मानक पूर्जे थे। इसलिए, पूर्व प्रेषण निरीक्षण को हटाना परियोजना अधिकारियों के द्वारा अधिकृत किया गया था।</p> <p>हालांकि, यह जिम्मेवारी डीएई को दोषमुक्त नहीं करती है कि इस प्रकार के पूर्व प्रेषण निरीक्षण के खंड को हटाने के कारण गलत आपूर्ति को हाथ में आने से पहले पता नहीं लगाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, पूर्ण भुगतान के बावजूद अपनी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति प्राप्त नहीं कर पाया था।</p>
	कुल	6.81		125.56	

परिशिष्ट-IV (ए)

(अध्याय 8 पैरा 8.2)

2002–03 से 2007–08 के दौरान स्टोर वाउचर प्राप्ति की निकासी में देरी (रूपये करोड़ में)

देरो की अवधि	बी.ए.आर.सी.		आई.आर.पी.यू		एच.आर.पी.यू		एम.आर.पी.यू		कुल	
(महीने)	वस्तुओं की संख्या	मूल्य								
1 से 6	मान	37.89	149	33.19	201	39.59	59	36.26	534	146.93
6 से 12	मान	26.13	17	08.82	31	09.33	21	15.06	108	59.34
12 से 24	मान	12.22	12	14.04	11	07.32	19	13.56	65	47.14
24 से 36	मान	03.97	04	02.99	01	00.05	05	12.87	15	19.88
36 से ऊपर	01	00.32	01	01.94	02	01.45	0	0	04	03.71
कुल	193	80.53	183	60.98	246	57.74	104	77.75	726	277.00



परिशिष्ट -IV (बी)
 (अध्याय 8 पैरा 8.2)

2002–03 से 2007–08 के दौरान स्टोर वाउचर प्राप्ति की निकासी में देरी (रूपये करोड़ में)

देरो की अवधि	बी.ए.आर.सी.		आई.आर.पी.यू		एच.आर.पी.यू		एम.आर.पी.यू		कुल	
(महीने)	वस्तुओं की संख्या	मूल्य								
1 से 6	28	14.79	0	0	0	0	0	0	28	14.79
6 से 12	29	08.64	0	0	03	02.31	0	0	32	10.95
12 से 24	24	15.42	0	0	02	05.60	05	07.06	31	28.08
24 से 36	12	08.20	01	02.46	05	09.24	01	00.92	19	20.82
36 से ऊपर	13	06.83	02	03.56	0	0	0	0	15	10.39
कुल	106	53.88	03	06.02	10	17.15	06	07.98	125	85.03

**परिशिष्ट -IV (सी)**

(अध्याय 8 पैरा 8.3)

उपकरणों की स्थापना / चालू करने में देरी (रूपये करोड़ में)

देरो की अवधि (महीने)	बी.ए.आर.सी.		आई.आर.पी.यू.		एच.आर.पी.यू.		एम.आर.पी.यू.		कुल	
	वस्तुओं की संख्या	मूल्य								
1 से 6	47	24.60	05	02.38	01	00.14	0	0	53	27.12
6 से 12	31	25.05	12	08.06	10	05.86	0	0	53	38.97
12 से 24	15	09.98	10	13.87	06	07.01	08	08.21	39	39.07
24 से 36	05	03.97	04	02.99	0	0	02	09.77	11	16.73
36 से ऊपर	01	00.32	01	01.94	02	01.45	0	0	04	03.71
कुल	99	63.92	32	29.24	19	14.46	10	17.98	160	125.60

परिशिष्ट -IV (डी)

(अध्याय 8 - 8.4 पैरा डी)

मशीनरी और उपकरण की स्थापना ना होना (रूपये करोड़ में)

दरो की अवधि (महीने)	बी.ए.आर.सी.		आई.आर.पी.यू.		एच.आर.पी.यू.		एम.आर.पी.यू.		कुल	
	वस्तुओं की संख्या	मूल्य								
1 से 6	15	10.50	0	0	0	0	0	0	15	10.50
6 से 12	24	07.38	0	0	03	02.31	0	0	27	09.69
12 से 24	15	13.05	0	0	02	05.60	05	07.06	22	25.71
24 से 36	11	08.08	01	02.46	05	09.24	01	00.92	18	20.70
36 से ऊपर	12	06.65	02	03.56	0	0	0	0	14	10.21
कुल	77	45.66	03	06.02	10	17.15	06	07.98	96	76.81



परिशिष्ट V

(अध्याय 8: पैरा 8.5)

कार्य-स्थल तैयार न होने के कारण मशीनरी/उपकरणों की अस्थापना/चालू न किया जाना

क्रम संख्या	केन्द्र	पी ओ संख्या और तिथि	मूल्य(रुपये लाख में)	मद	आपूर्तिकर्ता	प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
1.	एम.आर. पी.यू.	एमआरपीयू/आईजीसीएआर/सी एपी/3488/पीओ/91056 दिनांक 1.11.2006	93.25	डेटा प्राप्ति प्रणाली	मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, चेन्नई	मार्च 2007	<p>मार्च 2007 में आईजीसीएआर, कालपक्कम के लिए रुपये 93.25 लाख की लागत पर एक डेटा प्राप्ति प्रणाली प्राप्त किया गया। हमने पाया कि कार्य-स्थल के तैयार नहीं होने के कारण इस प्रणाली की स्थापना नहीं हो सकी थी।</p> <p>अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई.ने बताया कि पैनल तैयार करने, वायरिंग और सॉफ्टवेयर इंस्टाल करने का काम प्रगति पर था और काम कुछ महीनों में पूरा किया जाना था। फिर भी, अक्टूबर 2009 से 30 महीने पहले से मशीन लगाने और चालू करने का काम लंबित था।</p>
2	एम.आर. पी.यू.	एम.आर.पी.यू./आई.जी.सी.ए.आर./एफ.ए.बी./608/पी.ओ./87948 दिनांक 26.4.2005	92.06	अपकेन्द्री जल शीतलक	मैसर्स चेन्नई वोल्टाज लि.	जनवरी 2006	<p>एम.आर.पी.यू. ने जनवरी 2006 में 92.06 लाख रुपये की लागत पर अपकेन्द्री जल शीतलक की अधिप्राप्ति की। इस प्रणाली के डिजाइन में सुधार के लिए इसे लगाते समय कुछ अतिरिक्त रुपांतर किए गए। फिर भी इसे अक्टूबर 2009 तक चालू नहीं किया जा सका था।</p> <p>अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई.ने कहा कि चूंकि शीतलन प्रणाली को रिएक्टर वाले भवन में लगाया जाना था, कार्य सिर्फ शटडाउन पीरियड (फैक्टरी बंद रहने की अवधि) में ही किया जा सकता था। आगे, बताया कि प्रणाली की स्थापना का काम पूरा हो चुका था और इसे चालू करने का काम प्रगति पर था, जिसके निकट भविष्य में पूरा होने की उम्मीद थी। लेकिन सच्चाई यह है कि जनवरी 2006 में अधिप्राप्त की गई शीतलन प्रणाली 44 माह बाद भी चालू नहीं हुई थी पुनः डी.ए.ई.ने इस शीतलन प्रणाली को चालू करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है।</p>
3.	बी ए आर सी	डी.पी.एस./04/ईईक्यू/140 27-टी.पी.टी./पी.	82.97	डिगैसिंग फर्नेश/गैस निकालने वाली भट्ठी	मैसर्स वैक्यूम टेक्नीक्स प्रा. लि., बंगलोर	अगस्त 2007	बार्क के लेजर एवं प्लाज्मा तकनीक विभाग के लिए अगस्त 2007 में 82.97 लाख रुपयों की लागत पर अधिप्राप्त की गई थी और डिगैसिंग फर्नेश से अक्टूबर 2009 तक नहीं लगाया और चालू नहीं की गई थी। डी.पी.एस./डी.ए.



क्रम संख्या	केन्द्र	पी ओ संख्या और तिथि	मूल्य(रुपये लाख में)	मद	आपूर्तिकर्ता	प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
		ओ./172506 दिनांक 9.8.2005					ई.ने उपकरण नहीं लगाने और इसे चालू नहीं करने के कारण नहीं बताए थे। डी.ए.इ. ने अक्टूबर 2009में बताया कि फर्नेश को जल्दी लगाने की कोशिशें थीं। लेकिन तथ्य यह था कि इतने मंहगे फर्नेश को अक्टूबर 2009 तक, 25 महीनों के बाद भी नहीं लगाया गया था।
4.	बी.ए.आर. सी.	डी.पी.एस. /04/ईएनजी/2 7264/पी.ओ. /176594 दिनांक 3.3.2006	81.46	आयन कॉलम्स	एक्सचेंज	मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया प्रा.लि. नवी मुंबई	मार्च 2007 बी.ए.आर.सी. मुंबई के वेस्ट इमोबिलाइजेशन प्लांट के लिए 81.46 लाख रुपये की लागत पर शीलिंग बॉक्स के साथ आयन एक्सचेंज कॉलम का एसेंबल किया जाना था। इस कार्य के संपन्न होने की तिथि जुलाई 2008 निर्धारित की गई थी। यद्यपि मार्च 2007 में सामग्री की आपूर्ति कर दी गई, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ था। डी.ए.इ. ने अक्टूबर 2009 में कहा कि जहां आयन एक्सचेंज कॉलम स्थापित किया जाना था, वह स्थान रेडियोएक्टिव था और यह क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण देर हुई। इस प्रकार, सत्य यही रहा कि मंहगी आयन एक्सचेंज कॉलम को पिछले 30 महीने से स्थापित और चालू नहीं किया जा सका था।
5.	बी.ए.आर. सी.	डी.पी.एस./ओ4टी. पी.टी./सी.ए.पी. /191/पी.ओ. /153477 दिनांक 5.11.2001	55.99	ई.ओ.टी. क्रेन	मैसर्स अनुपम इंडस्ट्रीज लि. गुजरात	मई 2005	बीएआरसी, मुंबई के परमाणु रिसाइकिंग समूह के प्रोजेक्ट के लिए रुपये 55. 99 लाख की ई ओ टी टी क्रेन अप्रैल /मई 2005 में अधिप्राप्त की गई। मई 2005 से इसकी स्थापना के कार्य की गति धीमी थी। आपूर्तिकर्ता के साथ कुछ लंबित मुददों के कारण क्रेन को चालू नहीं किया जा सका और यह काम फरवरी 2009 में पूरा किया जाना था। डी.ए.इ. ने अक्टूबर 2009 में कहा कि जहां क्रेन स्थापित किया जाना था, वह स्थान रेडियोएक्टिव था और इस स्थापना के लिए उस स्थान को संदूषणमुक्त करना था। तथ्य यही था कि बीएआरसी क्रेन प्राप्त होने की तिथि के 51 महीने बाद भी कार्यस्थल को इसकी स्थापना और संचालन के प्रारंभ के लिए तैयार नहीं किया जा सका था।
6	एम.आर. पी.यू.	एम.आर.पी.यू./आई. जी.सी.ए.आर./ सी. ए.पी./3227/पी.ओ./89261 दिनांक 5.12.2005	41.80	फर्नेश/भटठी	मैसर्स इंजीनियरिंग कंपनी	अनुराग मार्च 2007	यह फर्नेश आई.जी.सी.ए.आर., कलपक्कम के लिए अधिप्राप्त किया जाना था। इसकी स्थापना/संचालन कार्यस्थल के तैयार नहीं रहने के कारण लंबित थी। अगस्त 2008 में आरपीयू ने कहा कि फर्नेश की स्थापना के लिए सहायक ढांचे और पाइप बैंडों के निर्माण की आवश्यकता है। इस कार्य को अक्टूबर 2008 तक पूरा किया जाना था। डी.ए.इ. ने अक्टूबर 2009 में कहा कि सहायक ढांचा तैयार कर खड़ा कर



क्रम संख्या	केन्द्र	पी ओ संख्या और तिथि	मूल्य(रुपये लाख में)	मद	आपूर्तिकर्ता	प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
							दिया गया है। इस प्रकार तथा यही था कि 41.80 लाख रुपये के फर्नेश को इसकी प्राप्ति की तिथि से 31 माह बीतने के बाद भी स्थापित किया जाना बाकी था।
7	बी.ए.आर. सी.	डी.पी.एस. /04 /ई. एन.जी. /26373–टी.पी.टी. /पी.ओ./ 171658 दिनांक 10.5.2005	38.14	पावर मैनिपुलेटर	मैसर्स विजुअल एजुकेशन एंड प्रा लि., कोयम्बटूर	जनवरी 2008	पावर मैनिपुलेटर को क्रब और जेंटरी एसेंबली पर लगाया जाना था। यह उपकरण बीएआरसी, मुम्बई के रिमोट हैंडलिंग एंड रोबोटिक्स डिवीजन (डी.आर.एच.आर.) के लिए अधिप्राप्त किया गया था। उपकरण की प्राप्ति के समय स्थान से उपलब्ध करा दिया गया था। फिर भी आपूर्तिकर्ता ने पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया और इसके स्थापना/संचालन स्टाफ के सामने दूसरी सुरक्षा औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की।
8.	बीएआरसी	डीपीएस/04/ई एनजी/27260/पी ओ/176027 दिनांक24.1.2006	10.13	क्रेब व गैन्ट्री असेम्बली	मैसर्स विजुअल एजुकेशन एंड प्रा.लि. कयम्बटूर	जनवरी 2008	डी.ए.ई.ने अक्टूबर 2009 में कहा कि सभी आवश्यक सुरक्षा औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और स्थापना/संचालन का काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार, तथ्य यही है कि 48.27 लाख रुपये मूल्य के दो उपकरणों की स्थापना और इसे चालू करने का कार्य इसकी प्राप्ति के 22 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ था।
9	बीएआरसी	डी.पी.एस. /04/सीएपी/13 866/पी. ओ/167240 दिनांक 10.8.2004	24.17	टॉली और होस्टिंग यूनिट सहित कन्वर्सन ब्रिज	मैसर्स सिमैक इंजीनियर्स प्रा. लि.	अक्टूबर 2007	टॉली और होस्टिंग यूनिट सहित कन्वर्सन ब्रिज को बीएआरसी, तारापुर के पावर एंड कंट्रोल फ्यूएल रिप्रोसेसिंग(पी.ओरईएफआरई) प्लाट में लगाया जाना था। जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सकता। डी.ए.ई.ने अक्टूबर 2009 में कहा कि उपकरण लगाने के लिए प्रीफ्री प्लाट को लंबे समय तक बंद रखना जरूरी था, जिसकी योजना बड़ी मरम्मतों के समय बनाई जा सकती है। स्थापना और संचालन के उद्देश्य के लिए प्रयास किए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बी.ए.आर.सी. रिथति के विषय में पूरी तरह जानता था और उसे फैक्टरी को लंबे समय तक बंद रहने की योजना से मिलान कर अधिप्राप्ति करनी चाहिए थी। इस प्रकार तथ्य यह था कि 24.17 लाख रुपये मूल्य का उपकरण पिछले 24 महीनों के बाद भी लगाया नहीं जा सका था।



क्रम संख्या	केन्द्र	पी ओ संख्या और तिथि	मूल्य(रुपये लाख में)	मद	आपूर्तिकर्ता	प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
10	बीएआरसी	डी.पी.एस. /04/आईई/183 61/पी.ओ. /176317/एफई दिनांक 9.5.2006	16.82	ब्रुकर डीपी 300 एफटीएनएमआর मशीन की एक्सेसरीज	मैसर्स ब्रुकर बायोस्पिन इंटरनेशनल एजी, स्विट्जरलैंड	दिसंबर 2006	एक्सेसरीज एक मौजूदा एफटीएनएमआर मशीन के लिए था। हमने पाया कि यह मशीन काम नहीं कर रही थी और इसलिए एक्सेसरीज के प्रदर्शन का पता नहीं लगाया जा सका था। निर्माण कर्ता एन.टी.एन.एम.आर. मशीन को पूर्ण रूप से सम्मिलित करने के लिए कार्य पर थीं जिसे अप्रैल 2009 तक पूरा किया जाना था। डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि प्रतिस्थापना एवं चालू करने हेतु आवश्यक स्प्येर अभी प्राप्त होने वाकी थे और इस मामले का आपूर्तिकर्ता के साथ चर्चित किया जा चुका था। संक्षेप में, रुपये 16.82 लाख के मूल्य के उपसाधनों की निष्पादितों को मशीन के कार्य न करने के कारण पिछले 34 महीनों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसके लिए यह बनाई गई थी।
कुल			536.79				



परिशिष्ट VI
(अध्याय 8: पैरा 8.6)

दोषपूर्ण/कम आपूर्ति के कारण 18 से 51 माह तक उपस्करों की प्रतिस्थापना होना/उपयोग में न लाया जाना

क्रम संख्या	केन्द्र	पी ओ संख्या और तिथि	मूल्य (लाख में)	मद	आपूर्तिकर्ता	प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
1	बी.ए.आर.सी.	डी.पी.एस. /04/आईई/1743 7/पीओ/169178/ एफई दिनांक 12.10. 2004	47.40	डाइ डीटीएल-90 लेजर	मैसर्स क्वांटेल एसए, फ्रांस	नवंबर 2005	बी.ए.आर.सी., मुंबई के लेजर एंड प्लाज्मा तकनीकि प्रभाग के लिए अधिप्राप्ति की गई प्रणाली को अप्रैल 2006 में स्थापना के समय से ही सही काम नहीं कर रही थी। इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया और अक्टूबर 2009 तक प्रणाली को संचालित नहीं किया जा सका। अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई.ने कहा कि त्रुटियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार 47.40 लाख रुपये मूल्य को उपस्कर प्राप्ति के 46 माह बाद भी संचालित नहीं किया जा सका।
2	बी.ए.आर.सी.	डी.पी.एस./04/ सीएपी/ 16067-टीपीटी/पीओ /180065 दिनांक 28.11.2006	34.25	अत्याधुनिक स्व चालित 3 डी मोशन लेजर डिलीवरी सिस्टम और ईडीजीई कैम	मैसर्स इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सिस्टम (आई) प्रा. लि., मुंबई	मार्च 2008	मार्च 2008 में आंशिक आपूर्ति की गई। प्रणाली की अधिप्राप्ति बीएआरसी, मुंबई के पदार्थ विज्ञान प्रभाग के लिए की गई, जिसमें तीन घटक थे जिसमें से लेजर सिस्टम की अधिप्राप्ति होनी अभी बाकी थी। डी.ए.ई.ने अक्टूबर 2009 में बताया कि दूसरी प्रणालियों के संयोजन का काम चल रहा है। अधिकतर प्रणालियों के संयोजन का काम और स्थापना कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। इस प्रकार 34.25 लाख रुपये का उपस्कर पिछले 18 महीने से संचालित नहीं किया गया था।
3.	एम. आर.पी.यू	आईजीसीएआर/एफ एवी/792/पीओ/9 0470 दिनांक 19.7. 2006	29.01	अल्टा हाई वैक्यूम (यूएच वी) सिक्स एक्सिस मैनिपुलेटर	मैसर्स सिंसिल इंटरनेशनल	मार्च 2007	यूएच.वी. सिक्स एक्सिस मैनिपुलेटर की अधिप्राप्ति आईजीसीएआर कलपक्कम के लिए की गई। मार्च 2007 में मात्र आंशिक आपूर्ति हुई। निरीक्षण में प्रणाली अपनी विशिष्टताओं के प्रदर्शन में असफल रही। आदेश को प्रांगम में ही बंद कर दिया था फिर भी, आपूर्तिकर्ता के आग्रह पर, डी.ए.ई.ने कुछ मदों को स्वीकार किया और मई 2007 तक 29.01 लाख रुपये का भुगतान भी किया। नवंबर 2008 में एम.आर.पी.यू. ने कहा कि प्राप्त मदों चालू परियोजना में आयोग किया जा सकता है। हालांकि रुपये 29.01 लाख के मूल्यों की मदों की अंतिम रिपोर्ट, जनवरी 2009 तक मांगकर्ता से प्राप्त होनी बाकी थी। डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि यूएच.वी. प्रणाली अस्थीकृत कर प्राप्त वैक्यूम विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं था। यूएच.वी. प्रणाली की आपूर्ति के लिए उपयुक्त विक्रेता की पहचान करने की कोशिशें चल रही हैं। इस प्रकार 29.01 लाख रुपये का खर्च बेकार रहा।



क्रम संख्या 1	केन्द्र	पी औ संख्या और तिथि	मूल्य (लाख में)	मद	आपूर्तिकर्ता	प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
4	बीएआरसी	डी.पी.एस. /04/आईई/1677 4/ पीओ/167607एफई दिनांक 30.7.2004	20.89	डफरें स्कैनिंग कैलोरीमीटर	शियल मैसर्स पायोनियर इंजीनियरिंग आईएनसी. यूएई	अप्रैल 2005	बीएआरसी मुंबई के आरएमडी के लिए एक डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर की अधिप्राप्ति की गई। यह पाया गया कि फर्म के द्वारा प्रणाली के साथ हार्डवेयर लॉक की आपूर्ति नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप हार्डवेयर लॉक की अनुपलब्धता के कारण उपकरण चालू नहीं किया जा सका था। अक्टूबर 2009 में डी.ए.ई. ने कहा कि आपूर्ति में कमी के मामला को आपूर्तिकर्ता के साथ उठाया गया। इस प्रकार 20.89 लाख रुपये का उपकरण प्राप्ति की तिथि के 51 माह बाद भी चालू नहीं किया जा सका था।
5	बी.ए.आर.सी.	डी.पी.एस. /04/आईई/1712 0/पीओ/167600/ एफई दिनांक 5.8. 2004 और 17396/ पी.ओ. /169454/एफ.ई दिनांक 30.11.2004	18.03	सतत वायू निगरानी यंत्र	मैसर्स एमजीपी इंस्ट्रुमेंट फ्रांस	सितंबर 2005	आरएमडी, बीएआरसी, मुंबई के लिए दो सतत वायू निगरानी प्रणाली की अधिप्राप्ति की गई। जुलाई 2007 तक 20.09 लाख रुपये मूल्य की दोनों आपूर्तियां भी मिल गई, जिसमें से एक (10.05 लाख रुपये) कार्य नहीं कर रही थी और इसलिए उसे बदलना /ठीक करना था। एक सेंसर जिसका मूल्य 6610 यूरो (3.49 लाख रुपये) था, को मरम्मत की आवश्यकता थी। 8502 यूरो (4.49 लाख रुपये) मूल्य के तीन रिएक्टर संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहे थे। डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में बताया कि दोषपूर्ण एअर मॉनीटर, सेंसर प्रोब और रिएक्टर के बदलाव/मरम्मत संबंधी मामले को आपूर्तिकर्ता में के समक्ष रखा गया इस प्रकार 18.03 लाख रुपये के उपस्कर और एक्सेसरीज की प्राप्ति के 48 महीने बाद तक बदला नहीं जा सका था।
6.	बी.ए.आर.सी.	डी.पी.एस. /04एमआईसी/392 95/पीओ/172940 /एफई दिनांक 18.8. 2005	13.09	इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम	मैसर्स मैंजल इन्फो मैटिक्स (एशिया) लि., सिंगापुर	फरवरी 2006	इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम की अधिप्राप्ति बीएआरसी, मुंबई के रिएक्टर सुरक्षा प्रभाग के लिए की गई थी। जनवरी 2007 में इसकी स्थापना के समय दोषपूर्ण हार्डवेयर की समस्या पाई गई। फरवरी 2009 में डी.पी.एस. ने कहा कि नियमित फॉलो-अप के बावजूद दोषपूर्ण हार्डवेयर बदला नहीं गया और फरवरी 2009 में इसे मरम्मत के लिए भारतीय एजेंट को सौंप दिया गया। डी.ए.ई. ने अक्टूबर 2009 में कहा कि दोषपूर्ण हार्डवेयर को बदल दिया गया है और उपकरण की स्थापना का काम चल रहा है। फिर भी, तथ्य ये है कि 13.09 लाख रुपये का उपकरण पिछले 43 माह से चालू नहीं किया गया था।
कुल			162.67				



परिशिष्ट VII

अध्याय 9: पैरा 9.2

स्टॉक की सामग्रियों का बेकार पड़े रहना


स्टोर का नाम	श्रेणी अ		श्रेणी ब		श्रेणी स		श्रेणी ड	
	कार्डों की संख्या	मूल्य(रुपये लाख में)	कार्डों की संख्या	मूल्य(रुपये लाख में)	कार्डों की संख्या	मूल्य(रुपये लाख में)	कार्डों की संख्या	मूल्य(रुपये लाख में)
बीएआरसी स्टोर								
ए3एफ, तारापुर	1-22 (22 कार्ड)	84.56	1-14 (14कार्ड)	55.00	1-14 (14कार्ड)	54.71	1-05 (05कार्ड)	18.01
डबल्यू एम डी, तारापुर	23-33 (11 कार्ड)	59.38	15-23 (09 कार्ड)	56.97	15-22 (08कार्ड)	54.85	06-08 (03कार्ड)	4.54
पीआरईए फआरई तारापुर	34-133 (100 कार्ड)	445.73	24-105 (82 कार्ड)	344.27	23-57 (35कार्ड)	232.03	09-45 (37कार्ड)	86.80
डबल्यू एम जेड, मुंबई	134-176 (43 कार्ड)	1197.56	106-144 (39 कार्ड)	1175.65	58-79 (22कार्ड)	834.86	46-52 (07कार्ड)	232.96
आरईडी जेड, मुंबई	177-204 (28 कार्ड)	535.45	145-168 (24 कार्ड)	500.80	80-101 (22कार्ड)	520.79	53-55 (03कार्ड)	7.02
एफआरडी जेड, मुंबई	205-270 (66 कार्ड)	772.70	169-222 (54 कार्ड)	686.97	102-122 (21कार्ड)	259.87	56-65 (10कार्ड)	253.54
दूसरे स्टोर यूनिट								
आईआरपीयू	271-276(06कार्ड)	81.45	223-228 (06 कार्ड)	81.45	123-128 (06कार्ड)	81.45	शून्य	-
एचआरपीयू	277-278(02कार्ड)	44.93	229-230 (02 कार्ड)	44.93	129-130 (02कार्ड)	44.93	शून्य	-
कुल	(278 कार्ड)	3221.76	(230 कार्ड)	2946.04	(130कार्ड)	2083.49	(65कार्ड)	602.87

श्रेणी अ— स्टॉक का बेकार पड़े रहना

श्रेणी ब—50 प्रतिशत से ज्यादा स्टॉक का उपयोग में नहीं आना

श्रेणी स—पर्याप्त भंडार मौजूद होने के बाद अतिरिक्त मात्रा की अधिप्राप्ति

श्रेणी ड—2 से 11 वर्षों तक कोई मामला नहीं होना



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2010
वेबसाइट: <http://www.cag.gov.in/>

मूल्य
अंतर्देशीय: रुपये 65.00
विदेश में: 5 अमरीकी डॉलर
(जाकखर्च/वायु मेल सहित)